



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2013-14



राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2013-2014 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,	
संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19-28
लोक सेवा आयोग	29
लोक ऋण	30
001. राज्य विधान मंडल	31-32
002. मंत्रि परिषद्	33
003. सचिवालय	34-36
004. जिला प्रशासन	37-38
005. प्रशासनिक सेवाएं	39-41
006. न्याय प्रशासन	42-46
007. निर्वाचन	47-48
008. राजस्व	49-51
009. वन	52-58
010. विविध सामान्य सेवाएं	59
011. विविध सामाजिक सेवाएं	60-63
012. अन्य कर	64-67
013. आबकारी	68-69
014. बिक्री कर	70-72
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	73-76
016. पुलिस	77-83
017. कारागार	84-85
018. जन-सम्पर्क	86
019. लोक निर्माण कार्य	87-106
020. आवास	107-111
021. सड़कें एवं पुल	112-123
022. क्षेत्र का विकास	124-128

023.	श्रम तथा रोजगार	129-132
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	133-152
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	153-154
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	155-175
027.	पेय जल योजना	176-200
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	201-202
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	203-215
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	216-285
031.	पुर्नवास एवं सहायता	286
032.	नागरिक आपूर्ति	287-291
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	292-314
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	315-323
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	324-329
036.	सहकारिता	330-333
037.	कृषि	334-344
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	345-348
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	349-353
040.	राजकीय उपक्रम	354
041.	सामुदायिक विकास	355-361
042.	उद्योग	362-365
043.	खनिज	366-368
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	369
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	370
046.	सिंचाई	371-398
047.	पर्यटन	399-401
048.	विद्युत्	402-407
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	408-411
050.	ग्रामीण रोजगार	412-414
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	415-474
परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		476-477

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक <i>प्रभारित</i>	9,90,77	..	9,64,40
ब्याज अदायगियां <i>प्रभारित</i>	92,41,11,70	..	90,63,19,72
लोक सेवा आयोग <i>प्रभारित</i>	33,95,69	..	33,00,13
लोक ऋण <i>प्रभारित</i>	..	41,32,29,11	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत <i>प्रभारित</i>	48,36,19 30,77	43,15,43 27,46
002. मंत्रिपरिषद दत्तमत	12,08,95	..	10,76,81
003. सचिवालय दत्तमत <i>प्रभारित</i>	2,46,18,57 2	2 ..	2,00,99,19 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत <i>प्रभारित</i>	3,60,14,21 37,87	3,23,53,33 37,68
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,34,27,72 56	1,22,09,13 51
006. न्याय प्रशासन दत्तमत <i>प्रभारित</i>	5,12,03,58 71,50,15	4,66,01,45 65,58,43

लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	26,37
..	1,77,91,98
..	95,56
41,15,62,16	..	16,66,95
..	5,20,76
..	3,31
..	1,32,14
..	45,19,38	2
..	2
..	36,60,88
..	19
..	12,18,59
..	5
..	46,02,13
..	5,91,72

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	2,17,79,23 81	2,05,51,85 52
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	5,93,46,32 3	5,21,37,98 ..
009. वन दत्तमत प्रभारित	7,49,21,16 73,45	1,84,88,06 ..	5,60,92,51 71,41
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	4,23,03,83	..	4,22,97,74
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	99,77,50 3	9,67,75 ..	86,17,14 ..
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	3,54,22,86 6,86	2,62,90,00 ..	3,08,37,99 6,82
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	91,54,56 1	2 ..	87,14,54 ..
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	4,37,68,00 2	4,17,09,26 ..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	79,28,02,63 1,20,18	78,01,25,05 20,20
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	32,04,49,75 13,08	67,80,82 ..	31,19,83,00 13,31
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	1,13,56,73 4,89	1,08,85,81 4,88

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	12,27,38
..	29
..	72,08,34
..	3
1,68,57,90	1,88,28,65	16,30,16
..	2,04
..	6,09
8,06,20	13,60,36	1,61,55
..	3
2,62,90,00	45,84,87
..	4
..	4,40,02	2
..	1
..	20,58,74
..	2
..	1,26,77,58
..	99,98
67,80,80	84,66,75	2
..	23	..
			(आधिक्य ₹23,122)	
..	4,70,92
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	1,58,86,19 1	1,58,38,24 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	3,98,29,44 2,00	7,96,82,76 ..	3,49,34,02 50
020. आवास दत्तमत प्रभारित	84,53,73 1,90	2,21,51,80 ..	60,53,03 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	15,32,10,74 1,18,84	20,15,57,67 ..	15,05,87,74 1,17,84
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	34,84,56 4	3,95,91,31 1,76	31,73,24 ..
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	3,31,13,09 75	5,47,00 ..	3,08,73,21 56
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	1,48,15,09,50 12,89	79,21,14 ..	1,36,11,65,36 10,03
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	1,72,01,34 3,88	3,00,00,00 ..	1,66,23,45 3,86
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	43,16,95,44 90,04	1,85,97,02 ..	39,99,51,00 43,43
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	22,70,57,79 60,00	22,57,45,78 ..	21,58,44,60 41,76

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	47,95
..	1
5,19,09,28	48,95,42	2,77,73,48
..	1,50
2,17,90,23	24,00,70	3,61,57
..	1,90
20,08,77,80	26,23,00	6,79,87
..	1,00
2,93,66,99	3,11,32	1,02,24,32
1,75	4	1
2,60,42	22,39,88	2,86,58
..	19
31,24,53	12,03,44,14	47,96,61
..	2,86
..	5,77,89	3,00,00,00
..	2
1,43,17,24	3,17,44,44	42,79,78
..	46,61
20,57,04,49	1,12,13,19	2,00,41,29
..	18,24

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
दत्तमत	52,01,10	2,80,80,01	21,62,15
प्रभारित	1
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास			
दत्तमत	23,86,94,88	14,60,01,48	21,75,57,23
प्रभारित	7,15	1	7,13
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास			
दत्तमत	35,59,71,20	18,22,65,43	32,53,42,78
प्रभारित	68	..	60
031. पुनर्वास एवं सहायता
032. नागरिक आपूर्ति			
दत्तमत	8,44,08,15	11,05	7,21,72,06
प्रभारित	1,07	..	1,02
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	51,38,21,20	84,36,30	49,38,15,14
प्रभारित	4,53	..	4,38
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	17,09,33,55	68,03	16,21,86,61
प्रभारित	19	..	18
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत	1,13,33,06	39,18,88	90,89,10
036. सहकारिता			
दत्तमत	4,04,23,31	1,57,32,15	3,59,29,80
प्रभारित	40	..	39

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,80,67,60	30,38,95	12,41
..	1
10,45,02,29	2,11,37,65	4,14,99,19
..	2	1
15,99,81,78	3,06,28,42	2,22,83,65
..	8
..
1,43	1,22,36,09	9,62
..	5
73,15,08	2,00,06,06	11,21,22
..	15
26,00	87,46,94	42,03
..	1
32,32,16	22,43,96	6,86,72
1,45,24,15	44,93,51	12,08,00
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
037. कृषि			
दत्तमत	13,51,65,84	1,79,53,46	12,64,08,74
प्रभारित	1,02	..	19
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,22,30,92	26,13,00	1,00,47,73
प्रभारित	2,08	..	2,05
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	7,03,97,92	85,79,74	6,77,52,92
प्रभारित	1,01
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	3,32,71	88,00,93	3,29,35
प्रभारित	1
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	35,37,07,65	6,10,84	33,37,85,61
प्रभारित	1
042. उद्योग			
दत्तमत	1,42,72,09	73,59,39	1,35,51,57
प्रभारित	2
043. खनिज			
दत्तमत	1,48,65,22	1,30,04	1,23,35,71
प्रभारित	1,00
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	28,85,06	1,50,01	28,25,47
प्रभारित	1

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,62,72,17	87,57,10	16,81,29
..	83
39,08	21,83,19	25,73,92
..	3
83,41,12	26,45,00	2,38,62
..	1,01
88,00,93	3,36
..	1
6,91,54	1,99,22,04	80,70
..	1	(आधिक्य ₹ 80,70,191)
73,44,84	7,20,52	14,55
..	2
18,00	25,29,51	1,12,04
..	1,00
1,47,19	59,59	2,82
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	9	..
046. सिंचाई दत्तमत	17,41,43,66	11,08,51,21	16,45,62,69
प्रभारित	2,10,26	12,94	2,04,56
047. पर्यटन दत्तमत	23,81,72	50,14,05	21,02,60
प्रभारित	1
048. विद्युत दत्तमत	93,90,62,91	37,82,90,24	72,13,12,51
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	3,75,80,76	..	2,48,69,19
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	3,83,65,73	73,00,80	3,26,22,67
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	29,55,13,22	20,93,01,70	26,92,87,32
प्रभारित	2
दत्तमत	7,47,57,25,47	1,81,97,89,98	6,81,57,01,05
योग प्रभारित	93,64,56,72	41,32,43,82	91,77,63,95
कुल योग	8,41,21,82,19	2,23,30,33,80	7,73,34,65,00

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	..	9
8,29,33,09	95,80,97	2,79,18,12
12,93	5,70	1
46,93,91	2,79,12	3,20,14
..	1
31,38,63,13	21,77,50,40	6,44,27,11
..	1,27,11,57
61,07,40	57,43,06	11,93,40
18,17,94,07	2,62,25,90	2,75,07,63
..	2
1,52,67,82,84	66,00,24,42	29,30,87,84	..	80,70
41,15,76,84	1,86,93,00	16,66,98	23	..
1,93,83,59,68	67,87,17,42	29,47,54,82	23	80,70

2013-14 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

निम्नलिखित एक प्रभारित अनुदान से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
1.	16. पुलिस	23,122	..

निम्नलिखित एक दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
1.	41. सामुदायिक विकास	..	80,70,191

2013-14 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2013-14 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	दत्तमत		
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	6,81,57,01,05	1,52,67,82,84	8,34,24,83,89
घटाइये : वसूलियों का योग	18,25,06,28	7,92,10,40	26,17,16,68
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	6,63,31,94,77	1,44,75,72,44	8,08,07,67,21
	प्रभारित		
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	91,77,63,95	41,15,76,84	1,32,93,40,79
घटाइये : वसूलियों का योग	8	..	8
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	91,77,63,87	41,15,76,84	1,32,93,40,71

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 475-476 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार कार्यालय और अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें की लेखे तात्त्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली,

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	7,92,02	9,90,77	9,64,40	- 26,37
अनुपूरक	1,98,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				23,81

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. ₹ 26.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 1,98.75 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	92,41,11,59			
अनुपूरक	11	92,41,11,70	90,63,19,72	- 1,77,91,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,78,16,87

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 1,77,91.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,78,16.87 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां				
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज				
101. बाजार कर्जों पर ब्याज				
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025				
[11] 9.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022				
मू.	46,20.00			
पु.	- 23,10.00	23,10.00	23,10.00	..

31 मार्च 2014 को ₹ 23,10.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त तक प्रतिभूती धारकों द्वारा छः माही ब्याज आहरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज				
101. बाजार कर्जों पर ब्याज				
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025				
[99] नया ऋण				
मू.	2,56,80.00			
पु.	- 2,56,80.00

शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2,56,80.00 लाख का एक मुश्त प्रावधान वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये जाने वाले विभिन्न नये बाजार ऋणों पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याशा में कराया गया।

2013-14 के दौरान, ₹ 2,56,80.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान लिये गये नये बाजार ऋणों पर ब्याज के भुगतान हेतु 31 मार्च 2014 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज			
(01) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण पर ब्याज			
₹.	19,95,35.05	18,70,80.86	18,70,80.86
₹.	- 1,24,54.19		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,24,54.19 लाख का प्रावधान तैरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा 2013-14 के लिए ब्याज दर में दी गई राहत के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
200. अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(02) स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज			
[08] राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत विकास निधि			
₹.	3,83,96.52	3,24,83.42	3,24,83.41
₹.	- 59,13.10		- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 59,13.10 लाख का प्रावधान ऋण के वास्तविक शेष पर कम ब्याज देय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 55,90.12 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,22.98 लाख) किया गया क्योंकि ऋण की आवश्यकता मूल अनुमानों से कम थी।			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
305. ऋण प्रबन्ध			
(01) नवीन ऋण के जारी किये जाने तथा रोकड़ शेष विनियोजन खाते की सिक्योरिटीज के विक्रय सम्बन्धी व्यय			
₹.	16,05.99	14,35.31	14,35.31
₹.	- 1,70.68		..
₹ 1,70.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार के बैंक टू बैंक ऋणों पर वचनबद्ध सेवा शुल्क मूल्यांकित नहीं होने के कारण 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य खाते को सीधे नामे किया गया।			
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(01) सामान्य प्रावधायी निधि पर ब्याज			
[01] सामान्य प्रावधायी निधियों पर ब्याज			
₹.	14,78,96.75	14,61,92.52	14,61,82.49
₹.	- 17,04.23		- 10.03
31 मार्च 2014 को ₹ 17,04.23 लाख का प्रावधान भविष्य निधि पर ब्याज की दर में 8.80 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत की कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 10.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(01) सामान्य प्रावधायी निधि पर ब्याज			
[13] नगर पालिकाओं/नगर परिषदों की सामान्य प्रावधायी निधियों पर ब्याज			
मू.	7,62.10	6,15.90	6,15.90
पु.	-1,46.20		..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,46.20 लाख का प्रावधान सामान्य भविष्य निधि के वास्तविक शेष पर ब्याज के भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज
(02) अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज
[03] नगर सुधार न्यासों की अंशदायी निधियों पर ब्याज

मू.	6,07.46	1,86.88	1,86.88	..
पु.	-4,20.58			

03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज
(02) अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज
[04] सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों की अंशदायी निधियों पर ब्याज

मू.	39,56.49	25,13.92	25,13.92	..
पु.	-14,42.57			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 18,63.15 लाख का प्रावधान इन संस्थाओं के अंशदायी भविष्य निधि के वास्तविक शेष पर ब्याज का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। जैसाकि वर्ष के दौरान इन संस्थाओं के निजी निक्षेप खाते में निधियों के शेष में निरन्तर परिवर्तन के कारण ब्याज का अनुमान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज
(16) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज

मू.	2,75.48	93.02	93.02	..
पु.	-1,82.46			

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
(18) राजस्थान आवासन मण्डल के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज			
₹.	6,00.00		
₹.	- 2,00.15	3,99.85	3,99.85
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
(19) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधि पर ब्याज			
₹.	5,00.00		
₹.	- 1,10.49	3,89.51	3,89.51
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 4,93.10 लाख का प्रावधान संस्थाओं की निधियों के वास्तविक शेष पर ब्याज के भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। जैसाकि वर्ष के दौरान इन संस्थाओं के निजी निक्षेप खाते में निधियों के शेष में निरन्तर परिवर्तन के कारण ब्याज का अनुमान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।			
04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
101. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
₹.	2,80,62.68		
₹.	- 42,71.76	2,37,90.92	2,37,90.92
31 मार्च 2014 को ₹ 42,71.76 लाख का प्रावधान वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार से बाह्य सहायता प्राप्त ऋणों की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कम ब्याज का भुगतान किया गया तथा बैंक दू बैंक ऋणों पर मुद्रा विनिमय की प्रचलित दर का मूल्यांकन नहीं हो सका क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने वास्तविक भुगतान राज्य खाते में सीधे ही नामे करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101. जमाओं पर ब्याज			
(17) राजस्थान राज्य आवासन मंडल के निक्षेपों पर ब्याज			
₹.	5,00.00		
₹.	- 4,86.84	13.16	13.16

31 मार्च 2014 को ₹ 4,86.84 लाख का प्रावधान संस्थाओं की निधियों के वास्तविक शेष पर ब्याज के भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। जैसाकि वर्ष के दौरान संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों में निधियों के शेष में निरन्तर परिवर्तन के कारण ब्याज का अनुमान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[25] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01		
गु.	46,10.17	46,10.17	- 0.01
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[26] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01		
गु.	20,22.49	20,22.50	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[27] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01		
गु.	18,94.99	18,95.00	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[28] 7.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01		
गु.	19,07.49	19,07.50	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[29] 7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01		
गु.	19,34.99	19,35.00	..

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[30] 7.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01		
गु.	19,84.99	19,85.00	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[31] 9.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01	22,62.50	..
गु.	22,62.49	22,62.50	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[32] 9.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01	24,55.00	..
गु.	24,54.99	24,55.00	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[33] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (I सीरिज)			
अ.	0.01	24,25.00	..
गु.	24,24.99	24,25.00	..
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[34] 9.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023			
अ.	0.01	23,80.00	..
गु.	23,79.99	23,80.00	..

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
101. बाजार कर्जों पर ब्याज			
(04) चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025			
[35] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (II सीरिज)			
अ.	0.01	24,25.00	24,25.00
गु.	24,24.99		..
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,63,02.57 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान लिये गये ऋणों पर ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
200. अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(02) स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज			
[03] राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम			
मू.	24,67.98	30,66.60	30,66.60
गु.	5,98.62		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,98.62 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2013-14 में ब्याज की दर में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(01) सामान्य प्रावधायी निधि पर ब्याज			
[08] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधियों पर ब्याज			
मू.	11,50.00	15,99.26	15,99.26
गु.	4,49.26		..
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(01) सामान्य प्रावधायी निधि पर ब्याज			
[12] राजस्थान आवासन मण्डल के कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधियों पर ब्याज			
मू.	4,80.00	5,93.51	5,93.51
गु.	1,13.51		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,62.77 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि वास्तविक प्राप्तियां अनुमान से अधिक होने के परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान अधिक हुआ।

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
(01) राज्य सरकार की जीवन बीमा निधि पर ब्याज			
₹.	6,61,09.82	6,73,88.70	6,74,69.85
₹.	12,78.88		
			+ 81.15
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
(15) साधारण बीमा योजना से संबंधित निधियों पर ब्याज			
₹.	14,90.87	16,94.45	16,87.56
₹.	2,03.58		
			- 6.89
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
(23) राज्य सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित ब्याज			
₹.	4,57.93	5,78.64	5,78.62
₹.	1,20.71		
			- 0.02

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,03.17 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि वास्तविक प्राप्तियां अनुमान से अधिक होने के परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान अधिक हुआ।

शीर्ष "2049-03-108(01)" के अंतर्गत ₹ 81.15 लाख के अंतिम आधिक्य तथा शीर्ष "2049-03-108(15)" के अंतर्गत ₹ 6.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज
117. निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज
(01) सरकारी कर्मचारियों के लिए

₹.	10,00.00
₹.	50,00.00

60,00.00

60,00.00

..

03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज
117. निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज
(02) जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए

₹.	0.10
₹.	1,99.90

2,00.00

2,00.00

..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51,99.90 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

ब्याज अदायगियां - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
05. आरक्षित निधियों पर ब्याज			
105. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज			
(01) राज्य आपदा मोचन निधि की जमाओं पर ब्याज			
₹.	0.01		
₹.	26,27.96	26,27.97	26,27.97
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,27.96 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपयोजित राशि पर ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी जिसे राज्य सरकार द्वारा निवेशित नहीं किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को अनुपयोजित राशि, यदि राज्य आपदा मोचन निधि में पड़ी है और वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित नहीं की जाती है, तब छः माही ब्याज का भुगतान करना होगा।			
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101. जमाओं पर ब्याज			
(16) कृषि उपज मंडी समितियों के निक्षेपों पर ब्याज			
₹.	29,47.71		
₹.	3,33.63	32,81.34	32,81.34
			..
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101. जमाओं पर ब्याज			
(18) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा सहायता निधि के निक्षेपों पर ब्याज			
₹.	2,00.00		
₹.	2,23.59	4,23.59	4,23.59
			..
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101. जमाओं पर ब्याज			
(28) नगर विकास न्यास के निक्षेपों पर ब्याज			
₹.	2,48.01		
₹.	2,45.89	4,93.90	4,93.90
			..
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101. जमाओं पर ब्याज			
(33) नगर पालिका/नगर परिषदों के निक्षेपों पर ब्याज			
₹.	2,95.88		
₹.	3,52.09	6,47.97	6,47.97
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,55.20 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि वास्तविक प्राप्तियां अनुमान से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान अधिक हुआ।

ब्याज अदायगियां - (समाप्त)

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2049. ब्याज अदायगियां			
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(02) अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज			
[02] नगर पालिकाओं/नगर परिषदों की प्रावधायी निधियों पर ब्याज			
मू.	20,80.45		
पु.	56.66		
		21,37.11	21,00.16
			- 36.95

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55.66 लाख की अतिरिक्त निधियां इन संस्थाओं के अंशदायी भविष्य निधि के वास्तविक शेष पर ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

₹ 36.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	23,96,66			
अनुपूरक	9,99,03	33,95,69	33,00,13	- 95,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				95,55

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

- ₹ 95.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 9,99.03 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग				
102. राज्य लोक सेवा आयोग				
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग				
मू.	23,96.66			
अ.	9,99.03	33,00.14	33,00.13	- 0.01
पु.	- 95.55			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.03 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 95.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने तथा (ii) जिला कलेक्टरों द्वारा परीक्षाओं से सम्बन्धित अवशेष राशि जमा कराने को आरोपित की गई।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	41,32,29,11	41,32,29,11	41,15,62,16	- 16,66,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				16,66,89

अनुदान संख्या 001 - राज्य विधान मण्डल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	46,67,71			
अनुपूरक	1,68,48			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		48,36,19	43,15,43	- 5,20,76
प्रभारित				
मूल	29,51			
अनुपूरक	1,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		30,77	27,46	- 3,31
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				3,07

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी 2014 में ₹ 1,68.48 लाख का लिया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान मंडल				
मू.	19,67.19			
अ.	55.00			
पु.	- 3,59.01			
		16,63.18	16,62.30	- 0.88

फरवरी 2014 में ₹ 55.00 लाख का अनुपूरक अनुदान वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 3,59.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 001 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101. विधान सभा			
(04) भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा			
मू.	1,50.00		
		1,05.03	1,05.03
पु.	- 44.97		..

31 मार्च 2014 को ₹ 44.97 लाख का प्रावधान माननीय भूतपूर्व सदस्यों द्वारा 2013-14 के दौरान यात्रा कम/ नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल
103. विधान मंडल सचिवालय

मू.	24,91.32			
अ.	63.48	24,57.95	24,55.74	- 2.21
पु.	- 96.85			

फरवरी 2014 में ₹ 63.48 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः कार्यालय व्यय और संविदा व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 96.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	11,88,95	12,08,95	10,76,81	- 1,32,14
अनुपूरक	20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,31,98

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रिपरिषद्				
101. मन्त्रियों और उप मन्त्रियों का वेतन				
मू.	2,76.72	2,34.18	2,34.18	..
पु.	- 42.54			

31 मार्च 2014 को ₹ 42.54 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 003 - सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं,
 2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं और
 3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं
 पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,46,10,57		
अनुपूरक	8,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	2,46,18,57	2,00,99,19	- 45,19,38
प्रभारित			
मूल	2		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	2	..	- 2
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	2	..	- 2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 19,08.50 लाख, ₹ 42,31.63 लाख, ₹ 3,56,83.73 लाख, ₹ 1,72,73.58 लाख तथा ₹ 45,19.38 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 14.66 प्रतिशत से 70.36 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।

अनुदान संख्या 003 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग			
मू.	44,77.22	39,24.45	39,24.27
पु.	- 5,52.77		
₹ 5,52.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा नये फर्नीचर की खरीद नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(06) राजस्व विभाग			
मू.	5,59.20	4,69.03	4,68.87
पु.	- 90.17		
090. सचिवालय			
(07) विधि विभाग			
मू.	7,54.01	6,74.98	6,74.96
पु.	- 79.03		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,69.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) शिक्षा विभाग			
मू.	8,71.00	7,80.84	7,80.82
पु.	- 90.16		
090. सचिवालय			
(02) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग			
मू.	5,78.50	4,73.45	4,73.44
पु.	- 1,05.05		
090. सचिवालय			
(03) नगर आयोजना विभाग			
मू.	3,04.40	2,23.58	2,23.56
पु.	- 80.82		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,76.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[06] राज्य नव प्रवर्तन परिषद			
मू.	11,88.56		
		71.94	71.89
			- 0.05
पु.	- 11,16.62		

₹ 11,16.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने तथा (ii) राज्य नव प्रवर्तन परिषद की समीक्षा का कार्य एवं पुनर्गठन के प्रक्रियाधीन होने के कारण स्वीकृत परियोजनाओं की क्रियान्विति नहीं होने को आरोपित की गयी।

090. सचिवालय

(07) कृषि मय सहकारिता विभाग

मू.	7,32.20			
		6,11.88	6,11.86	- 0.02
पु.	- 1,20.32			

₹ 1,20.32 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

090. सचिवालय

(13) राज्य आयोजना बोर्ड द्वारा अनुशंसित योजनाएं

[01] आयोजना विभाग के माध्यम से

मू.	5,00.00			
	
पु.	- 5,00.00			

31 मार्च 2014 को ₹ 5,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2012-13 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

102. जिला योजना संगठन

(03) विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत जिला गरीबी

उन्मूलन परियोजना, द्वितीय चरण हेतु व्यय

मू.	61,80.00			
		45,00.00	45,00.00	..
पु.	- 16,80.00			

₹ 16,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत चुनाव आचार संहिता के कारण अनुदान कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 004 - जिला प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,60,14,21	3,60,14,21	3,23,53,33	- 36,60,88
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				36,29,93
प्रभारित				
मूल	4	37,87	37,68	- 19
अनुपूरक	37,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				19

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 36,60.88 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 30.95 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएँ				
(01) जिलाधीश कार्यालय				
मू.	88,24.08	76,34.18	76,23.50	- 10.68
पु.	- 11,89.90			

₹ 11,89.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2166 स्वीकृत पदों में से विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 487 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) चुनाव आचार संहिता के कारण कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फर्नीचर की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 10.68 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 004 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन 093. जिला स्थापनाएँ (02) दण्डाधीश			
मू.	13,53.38		
पु.	- 5,25.58		
	8,27.80	8,25.11	- 2.69
₹ 5,25.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 560 स्वीकृत पदों में से विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 385 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
094. अन्य स्थापनाएँ (01) सब डिवीजनल स्थापनाएँ			
मू.	53,01.55		
पु.	- 4,42.93		
	48,58.62	48,51.66	- 6.96
₹ 4,42.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 804 पदों के रिक्त रहने तथा बजट उद्घोषणा के अनुसार 43 नये उप-खण्डीय कार्यालयों में 301 नये पदों का सृजन किया गया परन्तु उन सभी के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 6.96 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
094. अन्य स्थापनाएँ (02) तहसील कार्यालय			
मू.	1,90,93.59		
पु.	- 9,34.00		
	1,81,59.59	1,81,49.09	- 10.50
₹ 9,34.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 3765 पदों के रिक्त रहने तथा बजट उद्घोषणा के अनुसार 9 नये एवं 15 क्रमोन्नत तहसील कार्यालयों में 1123 नये पदों का सृजन किया गया परन्तु इन सभी के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
₹ 10.50 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
101. आयुक्त			
मू.	10,20.91		
पु.	- 1,35.01		
	8,85.90	8,85.80	- 0.10
₹ 1,35.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 214 स्वीकृत पदों में से विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 55 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय (02) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम			
मू.	4,10.67		
पु.	- 3,92.48		
	18.19	18.18	- 0.01
₹ 3,92.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,17,19,80	1,34,27,72	1,22,09,13	- 12,18,59
अनुपूरक	17,07,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				12,03,69
प्रभारित				
मूल	4	56	51	- 5
अनुपूरक	52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				5

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 12,18.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 17,07.92 लाख के अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 17,07.80 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 12,18.59 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 14.90 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय सामान्य सेवाएं				
092. अन्य कार्यालय				
(01) राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण				
मू.	3,06.55	2,42.84	2,42.83	- 0.01
पु.	- 63.71			
₹ 63.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।				

अनुदान संख्या 005 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरीश चन्द माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[01] संचालन एवं प्रशासन			
मू.	9,77.20		
अ.	77.00	9,64.33	9,63.72
पु.	- 89.87		- 0.61

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 77.00 लाख का प्रावधान रिक्त पदों के भरने की प्रत्याशा में वेतन और भत्तों पर बढ़े हुये व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 89.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव
(02) गाड़ियों का एकत्रीकरण

मू.	22,92.17			
अ.	2,77.01	24,11.25	24,05.35	- 5.90
पु.	- 1,57.93			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,77.01 लाख का प्रावधान नये वाहनों की खरीद और वाहनों के रख रखाव हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,57.93 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 5.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव
(05) किराये पर वायुयान/हेलिकॉप्टर

मू.	6,00.00			
अ.		1,85.91	1,85.91	..
पु.	- 4,14.09			

₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अति विशिष्ट लोगों के लिये वैट लीस पर हेलीकाप्टर किराये पर लेने हेतु अनुमानित था। क्योंकि राज्य का स्वयं का हेलीकाप्टर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था तथा अति विशिष्ट लोगों के आवागमन हेतु प्रावधान रखा जाना था। यद्यपि, चार्टर सेवाओं की आवश्यकता कम रही क्योंकि अति-विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा वायु यात्रा कम की गई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 4,14.09 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव
(06) नागरिक विमानन निदेशालय
[01] नागरिक विमानन निदेशालय

मू.	4,49.11			
अ.		3,55.64	3,55.65	+ 0.01
पु.	- 93.47			

₹ 93.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, (ii) अति विशिष्ट लोगों द्वारा कम वायु यात्रा करने और (iii) जी.पी.यू. तथा सेटेलॉइट टेलीफोन नहीं खरीदने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 005 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(03) परिधि गृह			
मू.	25,73.01		
अ.	3,12.01	25,90.26	25,90.58
पु.	- 2,94.76		+ 0.32

₹ 3,12.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,12.00 लाख का प्रावधान संविदा पर कार्मिक लेने और भोजनालय प्रबंध पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,94.76 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 209 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) बाहरी स्रोतों द्वारा परिधि गृह के रख-रखाव का कार्य जिसमें सामग्री भी शामिल है शुरू नहीं किये जाने को आरोपित की गई।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि
(06) चाणक्यपुरी गेस्ट हाउस, नई दिल्ली

मू.	2,74.05			
अ.	0.01	2,15.22	2,14.77	- 0.45
पु.	- 58.84			

₹ 58.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई

अ .	66.56			
		7.70	7.70	..
पु .	- 58.86			

₹ 66.56 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 66.49 लाख का प्रावधान राजस्थान भवन के कार्यालय व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 58.86 लाख की प्रत्याशित बचत 2013 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण राजस्थान भवन के लिये रसोई के साधन क्रय नहीं करने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,57,46,09			
अनुपूरक	54,57,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		5,12,03,58	4,66,01,45	- 46,02,13
प्रभारित				
मूल	64,13,94			
अनुपूरक	7,36,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		71,50,15	65,58,43	- 5,91,72
				43,31,48

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 54,57.49 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 43,55.49 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिये गये ₹ 11,02.00 लाख के बाद सीमा में था।
- ₹ 46,02.13 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,70.65 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय				
मू.	1,23,52.82			
अ.	19,25.00			
पु.	- 9,04.91			
		1,33,72.91	1,32,62.47	- 1,10.44

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 19,25.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः रिक्त पदों को भरने, बोनस तथा बढ़ी दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान और लाईट-पानी-टेलीफोन बिल के भुगतान पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 9,04.91 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने और न्यायिक अधिकारियों के लिए 873 लेप-टॉप नहीं खरीदने को आरोपित की गई।

₹ 1,10.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	82,44.92		
अ.	6,00.00	88,17.52	87,35.13
पु.	-27.40		- 82.39
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	1,12,81.08		
अ.	3,00.00	1,14,09.24	1,13,58.28
पु.	- 1,71.84		- 50.96

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,00.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः रिक्त पदों को भरने, बोनस तथा बढ़ी दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,99.24 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,33.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय
(17) ग्राम न्यायालय

मू.	9,73.47		
		9,24.28	9,12.50
पु.	- 49.19		- 11.78

₹ 49.19 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

₹ 11.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं
[01] सुबह-शाम की अदालतें

मू.	5,54.41		
अ.	6,85.19
पु.	- 12,39.60		..

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,85.19 लाख का प्रावधान मुख्यतः रिक्त पदों को भरने, बोनस तथा बढ़ी दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 12,39.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 8,18.56 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,21.04 लाख) किया गया क्योंकि वर्ष के दौरान सुबह-शाम की अदालतों की योजना लागू नहीं हुई।

2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं			
[02] लोक अदालत			
मू.	1,03.46		
पु.	- 63.24	40.22	40.21
			- 0.01
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं			
[03] विधिक सहायता			
मू.	2,06.94		
पु.	- 79.97	1,26.97	1,27.30
			+ 0.33
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं			
[07] जिला वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्र (ए.डी.आर.)- मध्यस्थों को प्रशिक्षण			
मू.	3,75.47		
अ.	5,35.93	1,47.21	1,46.84
पु.	- 7,64.19		
			- 0.37

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9,07.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुल 501 स्वीकृत पदों में से 437 पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप विधिक सेवा कार्यक्रम में धीमी प्रगति तथा (ii) वर्ष 2013-14 के दौरान मिडियशन एण्ड कौन्सिलियशन प्रोजेक्ट कमेटी (एमसीपीसी), उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मध्यस्थों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं होने को आरोपित की गई।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं
[04] न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण

मू.	2,58.60		
पु.	- 1,32.24	1,26.36	1,22.98
			- 3.38

31 मार्च 2014 को ₹ 1,32.24 लाख का प्रावधान अकादमी के नये भवन की अनुपस्थिति में कार्य योजना के अनुसार संविदा आधार पर विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं			
[05] लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण			
मू.	1,55.20		
		3.26	3.25
			- 0.01
पु.	- 1,51.94		

31 मार्च 2014 को ₹ 1,51.94 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण कार्य योजना के अनुसार संस्थाओं के कार्यक्रम आयोजित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल)

(02) गृह विभाग के माध्यम द्वारा

[01] अभियोजन कर्मचारी वर्ग

मू.	54,00.17		
		50,91.94	50,91.77
			- 0.17
पु.	- 3,08.23		

₹ 3,08.23 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक लोक अभियोजकों की भर्ती पर कोर्ट स्टे के कारण पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन हैं।

800. अन्य व्यय

(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा

[02] बार काउन्सिल को सहायता

अ.	10,00.00		
		5,58.29	5,58.29
			..
पु.	- 4,41.71		

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान काउन्सिलर कल्याण कोष और बार काउन्सिल को सहायता के लिये लिया गया। वित्त विभाग द्वारा अटार्नी जनरल को बार काउन्सेल/एसोसिएशन के लिए पुस्तकालय और जयपुर तथा जोधपुर में गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु निधियां जारी की गयी। अटार्नी जनरल ने प्रत्येक कलेक्टर को ₹ 3.94 लाख उनके जिले में बार काउन्सेल/एसोसिएशन की संख्या के अनुसार पुस्तकालय के लिये स्थानान्तरित किये किन्तु चुनाव आचार संहिता और कलेक्टर्स के चुनाव में व्यस्त होने के कारण कार्य निष्पादित नहीं हो सका। उसी प्रकार जयपुर और जोधपुर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,41.71 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित की गई।

प्रभारित

1. ₹ 5,91.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 7,36.21 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 5,91.72 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 18.24 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 006 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन			
₹.	55,89.01		
अ.	5,80.19	60,43.58	60,25.35
₹.	- 1,25.62		- 18.23

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,80.19 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,25.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माननीय न्यायाधिपतियों के 11 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

₹ 18.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

102. उच्च न्यायालय
(02) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों
के तहत विभिन्न योजनाएं
[02] हैरीटेज कोर्ट बिल्डिंग की मरम्मत

₹.	8,05.10			
अ.	1,26.86	4,93.89	4,93.89	..
₹.	- 4,38.07			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 1,26.86 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत न्यायालय भवनो की मरम्मत और रख-रखाव के व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया किन्तु बजरी की आपूर्ति में कमी और चुनाव आचार संहिता के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,38.07 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

अनुदान संख्या 007 - निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2015. निर्वाचन और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,07,37,42			
अनुपूरक	1,10,41,81			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		2,17,79,23	2,05,51,85	- 12,27,38
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		81	52	- 29
				11,90,65

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 12,27.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,10,41.81 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 12,27.38 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 36.73 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन				
102. निर्वाचन अधिकारी				
मू.	16,41.23			
अ.	5,28.68			
पु.	- 1,80.38			
		19,89.53	19,88.93	- 0.60

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,28.68 लाख का प्रावधान विधान सभा चुनावों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो कि शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,80.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 87 पदों के 6 माह से अधिक रिक्त रहने तथा (ii) निर्वाचन विभाग द्वारा तय से उच्च बाजार दर के कारण जिला निर्वाचन अधिकारियों हेतु वीडियो कैमरा/टेबलेट की खरीद न होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन				
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण				
मू.	19,00.00			
अ.	7,33.02	25,70.32	25,69.96	- 0.36
पु.	- 62.70			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,33.02 लाख का प्रावधान आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों/फोटो पहचान पत्रों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को ₹ 62.70 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) व्यवस्थित मतदाता शिक्षा तथा चुनावी सहभागिता (स्वीप) (प्रचार) से संबंधित बिलों के देरी से प्रस्तुत करने के परिणामतः भुगतान नहीं किये गये तथा (ii) जिला निर्वाचन अधिकारियों हेतु कम्प्यूटर की खरीद पर उत्पाद शुल्क में कटौति जोकि प्रत्याशित नहीं थी, के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार

मू.	0.01			
अ.	11,25.34	7,29.55	7,29.32	- 0.23
पु.	- 3,95.80			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 11,25.34 लाख का प्रावधान लोकसभा चुनावों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो कि शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 3,95.80 लाख का प्रावधान (i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस को एड्रेस टैग को तैयार करने हेतु दिये गये कार्य आदेश को अन्तिम समय में निरस्त करने, (ii) भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन के प्रथम स्तरीय जांच से संबंधित बिलों के प्रस्तुत न करने तथा (iii) सहकारी मुद्रणालय द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित मुद्रण सामग्री के बिल प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के प्रभार

मू.	65,00.00			
अ.	83,97.00	1,44,23.10	1,43,91.94	- 31.16
पु.	- 4,73.90			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 83,97.00 लाख का प्रावधान विधान सभा चुनावों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो कि शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 4,73.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) व्यवस्थित मतदाता शिक्षा तथा चुनावी सहभागिता (स्वीप) (प्रचार) से संबंधित बिलों के देरी से प्रस्तुत करने के परिणामतः भुगतान नहीं किये गये तथा (ii) अवशेष राशि जमा कराने जो कि यात्रा भत्ते, किराये पर लिये गये वाहनों का किराया तथा लघु खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान की प्रत्याशा में आहरित की गयी थी, को आरोपित की गई।

₹ 31.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 008 – राजस्व

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2029. भू-राजस्व और
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,93,46,32	5,93,46,32	5,21,37,98	- 72,08,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				71,00,22
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				3

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 72,08.34 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,08.12 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 41,84.67 लाख, ₹ 1,70,77.39 लाख, ₹ 1,37,30.99 लाख, ₹ 97,35.58 लाख तथा ₹ 72,08.34 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.79 प्रतिशत से 30.32 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने को बताया गया।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य (01) प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग				
मू.	5,70.97	4,81.08	4,81.04	- 0.04
पु.	- 89.89			
₹ 89.89 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।				

अनुदान संख्या 008 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
(02) जिला कर्मचारी वर्ग			
मू.	60,22.84		
पु.	- 7,20.64	53,02.20	52,98.18

₹ 7,20.64 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

103. भू-अभिलेख

(02) जिला व्यय

मू.	4,29,33.67		
पु.	- 16,28.84	4,13,04.83	4,12,03.17

₹ 16,28.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुल 17978 स्वीकृत पदों में से विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 7138 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 1,01.66 लाख की अंतिम बचत जिलाधीश एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अवशेष राशि जमा कराने तथा भुगतान आहरित नहीं करने के कारण रही।

103. भू-अभिलेख

(04) भू-अभिलेख सुधार योजना

(भू-प्रबंध आयुक्त के माध्यम से)

[02] भू-प्रबंध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)

मू.	53,51.86		
पु.	- 53,51.86

31 मार्च 2014 को ₹ 53,51.86 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण तथा पुनःसर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 36,82.33 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 16,69.53 लाख) किया गया।

103. भू-अभिलेख

(07) पायलट प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकार्ड

कम्प्यूटराइजेशन

मू.	12,38.62		
पु.	- 4,71.60	7,67.02	7,66.63

31 मार्च 2014 को ₹ 4,71.60 लाख का प्रावधान द्वितीय चरण के जिलों में आधुनिक अभिलेखागारों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 008 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
800. अन्य व्यय			
(01) कृषि गणना योजना			
मू.	4,12.76	3,43.07	+ 0.02
पु.	- 69.69		

₹ 69.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर			
मू.	4,76.78	6,37.26	- 0.16
पु.	1,60.48		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,60.48 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं
099. राजस्व बोर्ड
(01) मंडल और उसकी स्थापना

मू.	18,04.95	29,38.07	29,36.44	- 1.63
पु.	11,33.12			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,33.12 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्व मण्डल द्वारा आयोजित पटवार प्रतियोगिता 2013 पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 009 - वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,49,21,16	7,49,21,16	5,60,92,51	- 1,88,28,65
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
1,88,00,33				
प्रभारित				
मूल	20,00	73,45	71,41	- 2,04
अनुपूरक	53,45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
1,03				

पूंजी

दत्तमत				
मूल	1,02,48,43	1,84,88,06	1,68,57,90	- 16,30,16
अनुपूरक	82,39,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
16,46,52				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,88,28.65 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 28.32 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01. वानिकी				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग				
मू.	3,58,29.68	3,35,68.04	3,35,49.23	- 18.81
पु.	- 22,61.64			

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

₹ 22,61.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 7100 स्वीकृत पदों में से 1567 पदों के रिक्त रहने, (ii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संशोधित वेतनमान, 2008 में पुनरीक्षण के पश्चात् जुलाई 2013 से वेतन एवं भत्तों के बकायों का भुगतान नहीं होने, (iii) सीमेंट/पोलीथीन इत्यादि की दरों का अनुबन्ध समय पर निष्पादित नहीं किये जाने, (iv) टूट की निकासी समय पर नहीं होने से भूमि की अनुपलब्धता तथा (v) विधान सभा एवं लोक सभा चुनावों में कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण वृक्षारोपण की निविदाएँ आमंत्रित नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 18.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(10) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं परिस्थितीकीय पर्यटन)			
मू.	3,93.40		
पु.	- 2,19.51	1,73.89	1,73.88
			- 0.01

₹ 2,19.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. वानिकी
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
(11) एकीकृत वन सुरक्षा योजना (1:3)

मू.	4,40.00			
पु.	- 2,32.77	2,07.23	2,07.23	..

₹ 4,40.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में वन संरक्षण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण 31 मार्च 2014 को ₹ 2,32.77 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी।

01. वानिकी
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
(12) ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना

मू.	10,55.10			
पु.	- 1,13.70	9,41.40	9,41.37	- 0.03

₹ 1,13.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. वानिकी
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
(17) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वन संपदा का संरक्षण

मू.	3,16.14			
पु.	- 1,29.23	1,86.91	1,82.99	- 3.92

₹ 1,29.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II			
मू. 1,44,90.00	91,20.00	91,20.00	..
पु. - 53,70.00			
₹ 1,44,90.00 लाख का प्रावधान परियोजना के अन्तर्गत लिये गये विभिन्न वानिकी गतिविधियों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 53,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
[01] संस्थापन			
मू. 18,00.00	6,65.74	6,65.74	..
पु. - 11,34.26			
₹ 11,34.26 लाख का प्रावधान जिला परिषदों द्वारा 2012-13 तक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरित नहीं करने के 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भौर			
मू. 56,40.09	9,80.45	9,80.45	..
पु. - 46,59.64			
₹ 56,40.09 लाख का प्रावधान जानवरों के प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार एवं सुरक्षा तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों से पुर्नविस्थापन हेतु अनुमानित था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 46,59.64 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू. 55,50.03	9,23.46	9,23.40	- 0.06
पु. - 46,26.57			
₹ 55,50.03 लाख का प्रावधान जानवरों के प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार एवं सुरक्षा तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों से पुर्नविस्थापन हेतु अनुमानित था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 46,26.57 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	44,20.56		
		37,61.44	37,57.64
पु.	- 6,59.12		- 3.80

₹ 6,59.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 1144 स्वीकृत पदों में से 354 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) संशोधित वेतनमान, 2008 में पुनरीक्षण के बाद जुलाई 2013 से वेतन एवं भत्तों के बकायों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
110. वन्य जीव परिरक्षण
(04) घाना पक्षी अभ्यारण्य का विकास

मू.	1,16.00		
		47.63	47.63
पु.	- 68.37		..

31 मार्च 2014 को ₹ 68.37 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
110. वन्य जीव परिरक्षण
(06) इको-टूरीज्म का विकास

मू.	3,00.00		
		2,31.20	2,31.83
पु.	- 68.80		+ 0.63

31 मार्च 2014 को ₹ 68.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
मू.	21,97.86		
		28,56.88	28,55.42
पु.	6,59.02		- 1.46

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,59.02 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण			
[01] वृक्षारोपण			
मू.	0.01		
पु.	67.86	67.86	- 0.01
	67.87		

31 मार्च 2014 को पुर्नविनियोजन द्वारा ₹ 67.86 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संसद में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट ऑन कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन (21 ऑफ 2013) की अनुपालना में आरक्षित निधि से एडहॉक कैम्पा मद में राशि जमा कराये जाने के लिए उपलब्ध करायी गयी जिसमें एडहॉक कैम्पा में ₹ 1.91 करोड़ जमा नहीं करवाने का पैरा उजागर किया गया था।

01. वानिकी
001. निदेशन तथा प्रशासन
(04) जैव विविधता की पौधशालाएं
[01] पौध तैयारी

मू.	1,08.00		
पु.	64.63	1,72.63	- 9.06
		1,63.57	

31 मार्च 2014 को पुर्नविनियोजन द्वारा ₹ 64.63 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रति पौधा मॉडल लागत ₹ 2.72 से ₹ 4.50 की वृद्धि किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 9.06 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 16,30.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 82,39.63 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 16,30.16 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 16,46.52 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 59,29.99 लाख, ₹ 49,43.55 लाख, ₹ 20,22.55 लाख, ₹ 27,44.09 लाख तथा ₹ 16,30.16 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.82 प्रतिशत से 68.01 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	18,00.00		
पु.	- 7,22.23	10,77.77	+ 0.83
		10,78.60	

₹ 7,22.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(10) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वन संपदा का संरक्षण			
मू.	12,07.39		
अ.	5,97.47	14,66.82	14,73.94
पु.	- 3,38.04		+ 7.12

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,97.47 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वन संपदा के संरक्षण हेतु लिया गया था जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। ₹ 3,38.04 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 7.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. वानिकी
102. समाज तथा फार्म वानिकी
(08) सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास

मू.	2,74.29			
पु.	- 2,56.90	17.39	17.39	..

₹ 2,74.29 लाख का प्रावधान झीलों के सूखेपन में कमी एवं गीली भूमि के जीवन काल में वृद्धि हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 2,56.90 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. वानिकी
102. समाज तथा फार्म वानिकी
(12) भाखड़ा नांगल नहर के किनारे वृक्षारोपण (राजस्थान के भाग में)

मू.	2,80.26			
पु.	- 66.61	2,13.65	2,13.58	- 0.07

31 मार्च 2014 को ₹ 66.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. वानिकी
102. समाज तथा फार्म वानिकी
(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य

मू.	41,15.69			
अ.	56,10.19	90,86.16	90,99.60	+ 13.44
पु.	- 6,39.72			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 56,10.19 लाख का प्रावधान नाबार्ड की सहायता से वनीकरण कार्यों हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 6,39.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 13.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 009 - (समाप्त)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय				
01. वानिकी				
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण				
(01) परिभ्रांशित वनों का पुनरोपण				
मू.	8,91.21	9,44.33	9,44.48	+ 0.15
पु.	53.12			
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 53.12 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव				
110. वन्य जीव				
(04) केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का विकास				
मू.	0.01	5,21.96	5,21.86	- 0.10
अ.	4,34.95			
पु.	87.00			
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 87.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव				
111. चिड़ियाघर				
(02) पक्षी राहत केन्द्र				
मू.	0.01	97.00	86.82	- 10.18
पु.	96.99			
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 96.99 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 10.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव				
800. अन्य व्यय				
(01) पर्यावरण वृक्षारोपण				
मू.	95.51	1,92.04	1,91.64	- 0.40
पु.	96.53			
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 96.53 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,51,41,89	4,23,03,83	4,22,97,74	- 6,09
अनुपूरक	1,71,61,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				14,96

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 6.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 14.96 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था परिणामतः शीर्ष "2075-800(03) [01] सम्बन्धी और सेवक" के अन्तर्गत अधिक व्यय हुआ।

अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान
 पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	61,89,57	99,77,50	86,17,14	- 13,60,36
अनुपूरक	37,87,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				13,58,36
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	9,67,75	9,67,75	8,06,20	- 1,61,55
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,77,56

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 13,60.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 37,87.93 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,87.79 लाख का प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा हेतु लिया गया जो अनावश्यक था।

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्व अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान एवं धर्मपुरा			
मू.	14,35.88		
पु.	- 2,15.46	12,20.42	12,19.20
			- 1.22

₹ 2,15.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में मंदिरों के पुजारियों/प्रबन्धकों द्वारा दावे प्रस्तुत न करने को आरोपित की गयी।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(04) विज्ञान तथा समाज

मू.	79.80		
पु.	- 58.84	20.96	20.96
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 58.84 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण

मू.	3,78.73		
पु.	- 72.33	3,06.40	3,05.88
			- 0.52

₹ 72.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(10) अनुसंधान एवं विकास

मू.	1,76.45		
पु.	- 97.04	79.41	79.41
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 97.04 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(02) सी.ई.टी.पी.			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
<p>₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान जल प्रदूषण से नदियों को बचाने के लिए लघु उद्योगों से निस्तारित उच्छिष्ट का उपचार करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुरूप निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।</p>			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(03) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना			
मू.	8,91.89	18.38	..
पु.	- 8,73.51	18.38	..
<p>₹ 8,91.89 लाख का प्रावधान शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित तथा विघटित झीलों को प्रदूषण कम करने वाले कार्य के माध्यम से पूर्व स्थिति में लाने तथा संरक्षित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 8,73.51 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2014 को भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(04) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना			
मू.	12,73.40
पु.	- 12,73.40
<p>31 मार्च 2014 को ₹ 12,73.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।</p>			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(06) पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि के अन्तर्गत कार्य			
[01] बायो मेडिकल अपशिष्ट का निस्तारण			
मू.	5,50.00	55.26	55.14
पु.	- 4,94.74	55.14	- 0.12
<p>₹ 5,50.00 लाख का प्रावधान राजस्थान पर्यावरण तथा स्वास्थ्य प्रशासनिक मंडल की अनुशंशा पर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन के विकास हेतु अनुमानित था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,94.74 लाख की प्रत्याशित बचत थी जो मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण पर कम व्यय होने के कारण 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित की गयी।</p>			

अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
अ.	37,87.79		
पु.	16,84.45	54,72.24	54,72.34 + 0.10

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,84.45 लाख की अतिरिक्त निधियां वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हेतु उपलब्ध करायी गयी।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क

मू.	89.15		
पु.	2,04.53	2,93.68	2,93.68 ..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,04.53 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 1,61.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,77.56 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था परिणामस्वरूप शीर्ष "4250-800(01) [01]" के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं			
[01] धार्मिक कस्बा विकास समिति के माध्यम से			
मू.	8,01.60		
पु.	- 1,35.00	6,66.60	6,82.61 + 16.01

31 मार्च 2014 को ₹ 1,35.00 लाख का प्रावधान विकास प्राधिकरण तथा पुरातत्व विभाग की आपत्ति के पश्चात् वर्ष 2012-13 से संबंधित ₹ 88.60 लाख की राशि के 11 कार्य शुरू नहीं होने एवं चुनाव आचार संहिता के कारण चार कार्यों के कार्य आदेश जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 16.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
 2041. वाहन कर,
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और
 3055. सड़क परिवहन
 पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,94,22,86	3,54,22,86	3,08,37,99	- 45,84,87
अनुपूरक	1,60,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				45,76,25
प्रभारित				
मूल	4	6,86	6,82	- 4
अनुपूरक	6,82			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	25,00,01	2,62,90,00	2,62,90,00	..
अनुपूरक	2,37,89,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 45,84.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,60,00.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
03. पंजीकरण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) जिला संगठन			
मू.	20,75.36	19,49.98	19,49.77
पु.	- 1,25.38		
₹ 1,25.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 92 स्वीकृत पदों में से उप पंजीयकों के 42 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
2041. वाहन कर			
102. मोटर वाहनों का निरीक्षण			
(02) निरीक्षण			
मू.	19,54.33	17,63.85	17,63.41
पु.	- 1,90.48		
₹ 1,90.48 लाख की प्रत्याशित बचत 491 स्वीकृत पदों के रिक्त रहने तथा फर्म द्वारा संविदा कर्मियों को कम संख्या में उपलब्ध कराने को आरोपित की गयी।			
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क			
(01) बिजली निरीक्षक			
मू.	1,98.32	1,38.18	1,38.18
पु.	- 60.14		
₹ 60.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क			
(02) डिवीजनल कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,92.44	3,55.83	3,55.84
पु.	- 1,36.61		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,36.61 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क			
(03) मु.शी. 2040-बिक्री कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय			
मू.	9,01.77	4,10.41	4,09.20
पु.	- 4,91.36		
₹ 9,01.77 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष 2040-बिक्री कर से वास्तविक संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय के हस्तांतरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, आनुपातिक व्ययों के कम हस्तांतरण के कारण ₹ 4,91.36 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित की गयी।			

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वी.जी.एफ. के लिए अनुदान			
अ.	30,00.00		
पु.	- 24,37.00	5,63.00	5,63.00
			..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) द्वारा ग्रामीण बस सेवाओं के संचालन हेतु वायविलिटी गेप फंड के पुर्नःभरण के लिये अनुदान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 24,37.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुर्नःभरण दावे अनुमान से कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय

(05) डीजल पर वेट की अन्तर राशि का पुनर्भरण

मू.	15,00.00		
अ.	5,00.00	13,78.95	13,78.95
पु.	- 6,21.05		..

₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को डीजल पर वेट की अन्तर राशि के लिए पुर्नःभरण दावे हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् अगस्त 2013 में ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान इसी कारण से लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

यद्यपि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को डीजल पर वेट की अन्तर राशि हेतु दावे कम स्वीकृत किये गये, परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 6,21.05 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो कि 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित की गयी।

800. अन्य व्यय

(08) सड़क सुरक्षा निधि

[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू.	0.09		
अ.	5,00.00	24.28	24.28
पु.	- 4,75.81		..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से विभाग की 'सड़क सुरक्षा निधि' में प्राप्त निधियों के उपयोग हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 4,75.81 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात् व्यय पर रोक के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(09) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान

मू.	0.03		
अ.	20,00.00	5,00.00	5,00.00
पु.	- 15,00.03		..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सिंधि केम्प बस स्टैंड, जोधपुर बस टर्मिनल तथा उदयपुर बस स्टैंड के निर्माण हेतु ली गयी जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।

31 मार्च 2014 को ₹ 15,00.03 लाख का प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
101. स्टाम्पों की लागत			
मू.	11,00.00		
पु.	6,00.00		
		17,00.00	17,00.00
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय मुद्रणालय, नासिक से आपूर्ति किये गये न्यायिकेत्तर स्टाम्पों का भुगतान करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2041. वाहन कर

 101. संग्रहण प्रभार

 (01) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मू.	32,72.49			
पु.	8,98.32			
		41,70.81	41,79.71	+ 8.90

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,98.32 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) नये पदों के सृजन तथा सूचना एवं तकनीकी विभाग में सूचना सहायक की नियुक्ति, (ii) 31 नये वाहनों की खरीद, (iii) फर्नीचर, ब्रीथ एनालाइजर, वीडियो कैमरा तथा मुद्रा गणक मशीन इत्यादि की खरीद तथा (iv) बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में 7 नये जिला परिवहन कार्यालयों के सृजन के कारण परिवहन विभाग की स्मार्ट कार्ड परियोजना हेतु सूचना-तकनीक ढांचे पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क

पूंजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	88,85,20	91,54,56	87,14,54	- 4,40,02
अनुपूरक	2,69,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				4,38,14
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- 1 फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,69.36 लाख का प्रावधान (i) प्रोत्साहन एवम् मानदेय तथा (ii) रिक्त रहे पदों पर नियुक्ति की प्रत्याशा में वेतन और भत्तों पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) निरोधक दल				
मू.	46,73.82	43,98.52	43,98.52	..
अ.	83.41			
पु.	- 3,58.71			

अनुदान संख्या 013 - (समाप्त)

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 83.41 लाख का प्रावधान रिक्त रहे पदों को भरने के पश्चात् वेतन और भत्तों के भुगतान पर हुए व्यय को पूरा करने हेतु लिए लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 3,58.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अवैध शराब की रोकथाम और सार्थक नियंत्रण के लिये राज्य सरकार से निरोधक दल में 800 रिक्त रहे पदों के विरुद्ध 500 बार्डर होम गार्ड्स की तैनातगी की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) निरोधक दलों के लिए 148 वाहनों की आवश्यकता में से 97 वाहन किराये पर उपलब्ध हुए क्योंकि सरकार द्वारा तय दर बाजार दर से कम थी परिणामस्वरूप किराये के वाहनों पर कम व्यय हुआ तथा (iii) संविदा कर्मियों की कम तैनातगी को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) अन्य स्थापना			
मू.	34,14.98		
पु.	- 2,07.75	32,07.23	32,05.43
			- 1.80

₹ 2,07.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 1149 पदों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 299 पदों के रिक्त रहने और आबकारी निरीक्षकों के लिये कुल 132 स्वीकृत वाहनों के विरुद्ध 52 वाहन ही किराये पर उपलब्ध हुए क्योंकि सरकार द्वारा तय दर बाजार दर से कम थी परिणामस्वरूप किराये के वाहनों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय			
मू.	7,96.31		
अ.	1,85.95	11,10.59	11,10.51
पु.	1,28.33		- 0.08

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,28.33 लाख की अतिरिक्त निधियां जनता को रेडियो/टेलीविजन/समाचार पत्रों के माध्यम से शराब और अन्य मादक पदार्थों से स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव से जनता में जागरूकता लाने से संबंधित विज्ञापन जारी करने और शराब की विक्री तथा अवैध उत्पादन के रोकथाम लिये गये उपायों पर हुए व्यय को की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।

अनुदान संख्या 014 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,73,23,05			
अनुपूरक	1,64,44,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		4,37,68,00	4,17,09,26	- 20,58,74
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		2	..	- 2
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 20,58.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,64,44.95 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,49,79.94 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत सहाय्य के भुगतान हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 13,94.89 लाख, ₹ 9,45.77 लाख, ₹ 13,26.24 लाख, ₹ 22,89.16 लाख और ₹ 20,58.74 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 2.71 प्रतिशत से 20.17 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण पदों का रिक्त रहना बताया गया।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष				
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन और प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय				
मू.	18,24.53			
अ.	14,65.01			
पु.	- 3,41.97			
		29,47.57	29,47.32	- 0.25

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 14,65.01 लाख का प्रावधान वाणिज्य कर विभाग में वेट-आई टी प्रोजेक्ट को लागू करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 3,41.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आंतरिक जांच दलों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) ए.सी.टी.ओ. और जे.सी.टी.ओ. के अन्तर्गत रिक्त पदों के नहीं भरने तथा (iii) मंहगाई भत्ते का बकाया आहरित नहीं करने को आरोपित की गई

अनुदान संख्या 014 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन और प्रशासन				
(02) डिवीजनल कर्मचारी वर्ग				
मू.	18,89.36	15,45.04	15,42.69	
पु.	- 3,44.32			- 2.35
₹ 3,44.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) ए.सी.टी.ओ. और जे.सी.टी.ओ. के अन्तर्गत रिक्त पदों के नहीं भरने तथा (iii) मंहगाई भत्ते का बकाया आहरित नहीं करने को आरोपित की गई।				
001. निदेशन और प्रशासन				
(03) राजस्थान कर बोर्ड				
मू.	3,46.99	2,94.08	2,94.07	
पु.	- 52.91			- 0.01
₹ 52.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।				
101. संग्रहण प्रभार				
(02) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग				
मू.	1,18,17.96	97,47.51	97,44.96	
पु.	- 20,70.45			- 2.55
₹ 20,70.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) ए.सी.टी.ओ. और जे.सी.टी.ओ. के अन्तर्गत रिक्त पदों के नहीं भरने, (iii) मंहगाई भत्ते का बकाया आहरित नहीं करने तथा (iv) दावेदारों द्वारा वापसी पर ब्याज के लिए दावा प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।				
800. अन्य व्यय				
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी				
[02] ब्याज अनुदान				
मू.	52,54.94	1,18,42.71	1,18,42.71	
अ.	77,55.00			..
पु.	- 11,67.23			
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 77,55.00 लाख का प्रावधान राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2003 के अन्तर्गत रोजगार उत्पन्न करने हेतु ब्याज अनुदान पर अधिक सहाय्य जारी करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।				
31 मार्च 2014 को ₹ 11,67.23 लाख का प्रावधान लाभान्वित ईकाईयों से अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,53.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,13.41 लाख) किया गया।				

अनुदान संख्या 014 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[01] मजदूरी/रोजगार अनुदान			
मू.	20,00.00		
अ.	20,47.94	53,46.73	+ 0.01
पु.	12,98.79		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,98.79 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2003 के अन्तर्गत रोजगार उत्पन्न करने हेतु अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करवायी गई।

800. अन्य व्यय
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी
[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडी

मू.	38,00.00		
अ.	51,77.00	96,42.76	..
पु.	6,65.76		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,65.76 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2003 के अन्तर्गत अधिक निवेश सहाय्य जारी करने हेतु उपलब्ध करवायी गई।

अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	78,50,15,37		
अनुपूरक	77,87,26	79,28,02,63	78,01,25,05 - 1,26,77,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			61,36,31
प्रभारित			
मूल	1,20,04		
अनुपूरक	14	1,20,18	20,20 - 99,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			98,03

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,26,77.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 77,87.26 लाख का प्रावधान बढ़ी हुई मंहगाई राहत और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 1,26,77.58 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 65,41.27 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते			
(01) राज्य कर्मचारियों को पेंशन			
मू.	43,00,00.00		
अ.	50,00.00	42,80,00.00	42,62,51.47 - 17,48.53
पु.	- 70,00.00		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान ₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान सेवानिवृत्ति हितलाभ और बढ़ी हुई मंहगाई राहत पर अधिक व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था और शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 87,48.53 लाख की कुल बचत थी।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70,00.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2014 तक हुए मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 17,48.53 लाख की अंतिम बचत कर्मचारियों के लोकसभा व विधानसभा चुनाव कार्यों में व्यस्त रहने के कारण संशोधित नये पेंशन प्रकरणों का निपटारा नहीं होने और संबंधित विभाग द्वारा आक्षेपों को हटाने के पश्चात् पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में वापस नहीं भेजने के कारण रही।

अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
मू.	5,90,00.00	5,35,00.00	5,28,73.64
पु.	- 55,00.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 55,00.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2014 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अभ्यर्पित (₹ 40,31.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,68.77 लाख) किया गया।			
₹ 6,26.36 लाख की अंतिम बचत संबंधित विभागों द्वारा आक्षेप हटाने के पश्चात् पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में वापस नहीं भेजने के कारण रही।			
01. सिविल			
104. उपदान			
(01). राज्य कर्मचारियों को उपदान			
मू.	11,00,00.00	10,95,00.00	10,76,12.31
पु.	- 5,00.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2014 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 18,87.69 लाख की अंतिम बचत कर्मचारियों के लोकसभा व विधानसभा चुनाव कार्यों में व्यस्त रहने के कारण संशोधित नये पेंशन प्रकरणों का निपटारा नहीं होने और संबंधित विभाग द्वारा आक्षेपों को हटाने के पश्चात् पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में वापस नहीं भेजने के कारण रही।			
01. सिविल			
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन			
(01) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन			
मू.	60,00.00	46,50.00	45,83.45
पु.	- 13,50.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 13,50.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2014 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 66.55 लाख की अंतिम बचत कुछ कोष कार्यालयों द्वारा व्यय के गलत वर्गीकरण दर्ज करने के कारण रही।			
01. सिविल			
111. विधायकों को पेंशन			
मू.	10,00.00	7,67.50	7,58.81
पु.	- 2,32.50		
31 मार्च 2014 को ₹ 2,32.50 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण तथा ₹ 8.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित अंतिम बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
105. परिवार पेंशन			
मू.	9,75,00.00		
अ.	27,87.26	10,60,00.00	10,55,86.69
पु.	57,12.74		- 4,13.31

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान (₹ 27,87.26 लाख) तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन (₹ 57,12.74 लाख) द्वारा ₹ 85,00.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2014 तक के मासिक व्यय की बढ़ी हुई प्रवृत्ति को देखते हुए लिया गया। यद्यपि, ₹ 4,13.31 लाख की अंतिम बचत रही जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. सिविल
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में
सरकार का अंशदान
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में
सरकार का अंशदान

मू.	2,00,00.00			
पु.	7,54.99	2,07,54.99	2,06,95.64	- 59.35

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 7,54.99 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 59.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक/अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
115. छुट्टी नकदीकरण हित लाभ			
मू.	6,10,00.00		
पु.	15,00.00	6,25,00.00	6,09,95.80
			- 15,04.20

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ली गई ₹ 15,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां माह फरवरी 2014 तक के मासिक व्यय की बढ़ी हुई प्रवृत्ति को देखते हुए बढ़ी हुई मंहगाई राहत के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गयी जो अनावश्यक थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

₹ 15,04.20 लाख की अंतिम बचत अनुपयोजित अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर अनुमान से कम भुगतान के कारण रही क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश का शेष निश्चित नहीं किया सका।

अनुदान संख्या 015 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
104. उपदान			
(02) कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान			
मू.	4,00.00		
पु.	5,00.00		
	9,00.00	6,72.10	- 2,27.90

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां माह फरवरी 2014 तक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान से संबंधित व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,27.90 लाख की अंतिम बचत कुछ कोष कार्यालयों द्वारा मदों में व्यय के गलत वर्गीकरण और अनुदान के अनुमान से कम उपयोग के कारण रही।

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
मू.	1,20.00		
पु.	- 98.00		
	22.00	20.05	- 1.95

31 मार्च 2014 को ₹ 98.00 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति पर वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय और
6216. आवास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	29,73,89,06			
अनुपूरक	2,30,60,69			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		32,04,49,75	31,19,83,00	- 84,66,75
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	13,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		13,08	13,31	+ 23 (आधिक्य ₹ 23,122)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	67,30,82			
अनुपूरक	50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		67,80,82	67,80,80	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				
1. ₹ 84,66.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,30,60.69 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,30,60.54 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।				
2. ₹ 84,66.75 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 84,83.17 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था परिणामतः शीर्ष "2055-109(01) [04] रेलवे वारंट" के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ।				

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(02) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	27,67.27		
अ.	1,01.01	25,04.49	25,04.50
पु.	- 3,63.79		+ 0.01

₹ 1,01.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का प्रावधान मशीनरी और उपकरण/औजार और संयंत्र पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 3,63.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था तथा (ii) प्रशिक्षण पर कम व्यय को आरोपित की गई।

101. अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता
(02) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

मू.	43,57.38			
		42,81.14	42,78.57	- 2.57
पु.	- 76.24			

₹ 76.24 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

101. अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता
(04) इमीग्रेशन चैक पोस्ट

मू.	1,05.74			
		51.38	51.37	- 0.01
पु.	- 54.36			

31 मार्च 2014 को ₹ 54.36 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

101. अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता
(05) आतंकवाद निरोधक बल एवं विशेष कार्यबल दल

मू.	13,73.35			
अ.	1,60.01	14,68.78	14,68.78	..
पु.	- 64.58			

₹ 1,60.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,60.00 लाख का प्रावधान बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते, नये वेतनमान और नये पदों पर भर्ती की प्रत्याशा में हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 64.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
104. विशेष पुलिस			
(01) सिपाही दल			
मू.	4,82,96.50		
अ.	6,80.00	4,74,04.10	4,74,04.09
पु.	- 15,72.40		- 0.01

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,80.00 लाख का प्रावधान बढ़ी दर पर मंहगाई भत्ते, नये वेतनमान और रिक्त पदों पर भर्ती और कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों के रखरखाव की प्रत्याशा में हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 15,72.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था, को आरोपित की गई।

109. जिला पुलिस
(01) सामान्य पुलिस
[01] सामान्य पुलिस (निदेशन)

मू.	15,41,63.01			
अ.	1,18,19.27	16,54,65.69	16,54,47.70	- 17.99
पु.	- 5,16.59			

₹ 5,16.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था, (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा समय पर सामग्री की आपूर्ति नही करने और डी जी एस एण्ड डी दरों में कमी तथा (iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा समय पर डर्बी जूतों की आपूर्ति नही करने को आरोपित की गई।

₹ 17.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

109. जिला पुलिस
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिए रक्षादल
[01] केन्द्रीय कार्यालय

मू.	23,41.30			
अ.	2,15.00	24,34.65	24,34.64	- 0.01
पु.	- 1,21.65			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,15.00 लाख का प्रावधान बढ़ी दर पर मंहगाई भत्ते, नये वेतनमान और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रत्याशा में हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,21.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था, को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(06) यातायात पुलिस			
मू.	68,12.04		
अ.	2,00.00	67,00.85	67,00.84
पु.	- 3,11.19		- 0.01

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान निविदा सेवाओं पर बढ़े व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 3,11.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था, को आरोपित की गई।

109. जिला पुलिस
(09) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन

मू.	0.01			
अ.	2,99.92	1,33.82	1,33.82	..
पु.	- 1,66.11			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,99.92 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 1,66.11 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा फर्नीचर की खरीद पर हुए व्यय को वहन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. जिला पुलिस
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली
[01] सामान्य पुलिस

मू.	3,49,09.31			
अ.	52,45.51	3,67,45.57	3,67,45.57	..
पु.	- 34,09.25			

₹ 52,45.51 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 52,45.47 लाख का प्रावधान बढ़ी दर से मंहगाई भत्ते, नये वेतनमान, रिक्त पदों पर भर्ती, निविदा सेवाओं पर बढ़े व्यय और नये वाहनों की खरीद पर व्यय पूर्ति की प्रत्याशा हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 34,09.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था तथा (ii) विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

109. जिला पुलिस
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली
[02] यातायात पुलिस

मू.	40,98.29			
अ.	2,63.00	41,95.83	41,95.83	..
पु.	- 1,65.46			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,63.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 1,65.46 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान सिविल सेवा द्वारा नव नियुक्त कर्मचारियों के वेतन स्थरीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(01) वित्तु (विशेष पुलिस)			
मू.	49,01.50		
		43,38.23	+ 0.01
पु.	- 5,63.27	43,38.24	

₹ 5,63.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनःरीक्षण वेतनमान) नियम 2008 (चतुर्थ पुनःरीक्षण) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण नहीं हुआ जो जनवरी 2006 से लागू होना था, (ii) नव नियुक्त कर्मचारियों के वेतन स्थरीकरण नहीं होने तथा (iii) जोधपुर में रेडियो ट्रेकिंग व्यवस्था स्थापित नहीं होने के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम अनुज्ञा फीस पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(02) अपराधिक शाखा का आधुनिकीकरण

मू.	0.01			
अ.	2,68.37	1,76.31	1,76.31	..
पु.	- 92.07			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,68.37 लाख का प्रावधान पुलिस बल के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 92.07 लाख का प्रावधान मुख्यतः निविदा के निरस्त होने और राज्य सरकार द्वारा मदों में बदलाव हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गई।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(04) सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण

मू.	0.01			
अ.	9,07.59	7,30.91	7,30.91	..
पु.	- 1,76.69			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,07.59 लाख का प्रावधान पुलिस बल के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,76.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः एक मिनी बस नहीं खरीदने और केन्द्रीय भण्डार द्वारा निविदा की तीन वस्तुओं के निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित की गई।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(05) सामान्य पुलिस (वित्तु) का आधुनिकीकरण

मू.	0.01			
अ.	3,09.55	2,16.82	2,16.82	..
पु.	- 92.74			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,09.55 लाख का प्रावधान पुलिस बल के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 92.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निविदा के निरस्त होने को आरोपित की गई क्योंकि निविदाएं विशिष्टता के अनुसार प्राप्त नहीं हुई।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
116. न्यायालयिक विज्ञान			
(01) विधि विज्ञान शाला			
मू.	13,02.85		
पु.	- 1,06.43	11,96.42	11,96.07
			- 0.35
₹ 1,06.43 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड			
मू.	0.09		
अ.	8,13.02	4,31.59	4,31.60
पु.	- 3,81.52		+ 0.01
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,13.02 लाख का प्रावधान पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2014 को ₹ 3,81.52 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) जी.पी.एस. लोकेटर नहीं खरीदने, (ii) छः स्थानों पर स्थापित करने के लिए 100 फिट टावर नहीं खरीदे गये क्योंकि निविदा में लागत अनुमान से अधिक प्राप्त हुई और वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होने को आरोपित की गई।			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
107. होम गार्ड			
(01) नगरीय गृह रक्षा			
मू.	34,92.43		
अ.	8,35.45	40,45.19	40,45.16
पु.	- 2,82.69		- 0.03
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 8,35.45 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 2,82.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकने के कारण मशीनरी और औजार नहीं खरीदने को आरोपित की गई।			
107. होम गार्ड			
(02) सीमा गृह रक्षा			
मू.	9,14.51		
अ.	4,95.00	13,04.07	13,04.03
पु.	- 1,05.44		- 0.04
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,95.00 लाख का प्रावधान बढ़ी दर से मंहगाई भते, नये वेतनमान और रिक्त पदों को भरने पर हुए व्यय की पूर्ति की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 1,05.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चुनाव के दौरान अन्य राज्यों में तैनातगी के कारण प्रशिक्षण के लिये स्वयं सेवक उपलब्ध नहीं होने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 016 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) अपराधिक शाखा			
मू.	1,24,73.39		
अ.	53.95	1,26,72.97	1,26,72.96
पु.	1,45.63		- 0.01

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,45.63 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।

109. जिला पुलिस
(01) सामान्य पुलिस
[04] रेलवे वारंट

मू.	2,00.00			
		2,40.00	2,77.50	+ 37.50
पु.	40.00			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुमान से अधिक रेलवे वारंट के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।

₹ 37.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

प्रभारित

- व्यय विनियोजन से ₹ 23,122 अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है। आधिक्य शीर्ष "2055-109(01) [01] सामान्य पुलिस (निदेशन)" (प्रावधान: ₹ 13.06 लाख ; व्यय: ₹ 13.31 लाख) के अन्तर्गत हुआ।
- ₹ 0.23 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए ₹ 0.02 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था।

अनुदान संख्या 017 - कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,03,54,08	1,13,56,73	1,08,85,81	- 4,70,92
अनुपूरक	10,02,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				4,72,25
प्रभारित				
मूल	2	4,89	4,88	- 1
अनुपूरक	4,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,70.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 10,02.65 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 4,70.92 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 4,72.25 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
101. जेल				
(01) मुख्य जेल				
मू.	47,22.81	51,50.09	51,39.90	- 10.19
अ.	6,97.66			
पु.	- 2,70.38			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,97.66 लाख का प्रावधान (i) सीधी भर्ती द्वारा प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने, (ii) जेल में जैमर/क्लोज सर्किट टेलीविजन/डीप सर्च मेटल डिटेक्टर स्थापित करने तथा (iii) कैदियों की बढ़ी संख्या तथा खाद्यान्न की बढ़ी हुई दर हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,70.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रहरियों की भर्ती में विलम्ब, (ii) मुख्य जेल को बार्डर होम गार्ड्स और शहरी/ग्रामीण होम गार्ड्स के वेतन बिल उनके मुख्यालय से प्राप्त नहीं होने, (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान समय की कमी के कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जोधपुर जेल के लिए एक जैमर खरीदने और जोधपुर जेल के सभी जैमर्स के मरम्मत और रखरखाव के लिए दिये गये क्रय आदेश लागू नहीं होने तथा (iv) निविदा में जेल उपकरणों की दर अनुमान से कम प्राप्त होने को आरोपित की गई।

₹ 10.19 लाख की अंतिम बचत केन्द्रीय कारागार जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर तथा अजमेर द्वारा प्रहरियों के चयन पर शेष रही राशि को जमा कराने के कारण थी।

अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
800. अन्य व्यय			
(04) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जेल प्रशिक्षण			
मू.	2,15.47	14.14	14.14
पु.	- 2,01.33		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,01.33 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	42,86,70	1,58,86,19	1,58,38,24	- 47,95
अनुपूरक	1,15,99,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
				1

अनुदान संख्या 019 - लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2059. लोक निर्माण कार्य

- पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	3,94,10,82		
अनुपूरक	4,18,62	3,98,29,44	- 48,95,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			48,12,54
प्रभारित			
मूल	2,00		
अनुपूरक	..	2,00	- 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1,50
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	7,96,82,75		
अनुपूरक	1	7,96,82,76	- 2,77,73,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,93,39,20

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,18.62 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 48,95.42 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 82.88 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[01] मुख्यालय एवं संभाग			
मू.	30,03.46	27,97.67	- 0.11
पु.	- 2,05.79		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण			
मू.	50,29.98	40,87.81	- 0.87
पु.	- 9,42.17		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन			
मू.	1,78,85.78	1,71,71.15	- 3.07
पु.	- 7,14.63		
80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान			
मू.	16,31.29	12,46.92	- 0.05
पु.	- 3,84.37		

उपरोक्त चार शीर्षों में ₹ 22,46.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, इनके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) न्याय प्रशासन विभाग			
मू.	2,00.00		
		1,37.46	1,38.51
			+ 1.05
पु.	- 62.54		

31 मार्च 2014 को ₹ 62.54 लाख का प्रावधान मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय			
मू.	14,55.50		
		12,96.18	12,98.03
			+ 1.85
पु.	- 1,59.32		

₹ 1,59.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य मरम्मत			
मू.	63,67.75		
		56,79.15	56,74.68
			- 4.47
पु.	- 6,88.60		

₹ 6,88.60 लाख की प्रत्याशित बचत मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

₹ 4.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(02) शिक्षा विभाग			
[02] माध्यमिक शिक्षा			
मू.	3,75.00		
		1,99.08	1,20.26
			- 78.82
पु.	-1,75.92		

31 मार्च 2014 को ₹ 1,75.92 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन को अभ्यर्पित किया गया।

₹ 78.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(04) पंजीयक, राजस्व मंडल			
मू.	5,00.00	2,25.34	2,25.34
पु.	- 2,74.66		..

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला राजस्व कार्यालय भवन की मरम्मत हेतु अनुमानित था। यद्यपि, जिलाधीशों से मरम्मत हेतु प्रस्ताव कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 2,74.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग

मू.	5,00.00	4,75.46	4,83.94	+ 8.48
अ.	4,18.62			
पु.	- 4,43.16			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,18.62 लाख का प्रावधान जेल भवन की मरम्मत तथा रखरखाव हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

31 मार्च 2014 को ₹ 4,43.16 लाख का प्रावधान मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

₹ 8.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(10) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग

मू.	91.05	31.97	31.97	..
पु.	- 59.08			

31 मार्च 2014 को ₹ 59.08 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्यों के देरी से शुरू करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(12) महानिरीक्षक, पुलिस विभाग

मू.	3,30.00	1,30.43	1,29.16	- 1.27
पु.	- 1,99.57			

31 मार्च 2014 को ₹ 1,99.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि बजरी खनन पर रोक के कारण कार्य बाधित हुआ।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग			
मू.	1,50.00	62.00	62.00
पु.	- 88.00		
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(29) खान एवं भू-विज्ञान विभाग			
मू.	1,72.43	1,10.39	1,10.39
पु.	- 62.04		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 1,50.04 लाख का प्रावधान मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
799. उच्चन्त			
(02) स्कन्ध			
[02] प्रभार			
मू.	2,00.00	26.15	26.34
पु.	-1,73.85		
80. सामान्य			
799. उच्चन्त			
(03) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम			
[01] प्रभार			
मू.	1,50.00	68.50	68.49
पु.	- 81.50		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 2,55.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उच्चन्त - लघु शीर्ष "उच्चन्त" में अंतरिम लेन-देन के रूप की वे प्राप्तियां और संवितरण सम्मिलित हैं। यद्यपि, उनको अंतिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उच्चन्त" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उच्चन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उच्चन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष दर्शाता है।

(ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, अपलिखित न की गयी रोकड़, भण्डार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।

(iii) **वर्कशाप उचन्त** - सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2013-14 में इस अनुदान में "उचन्त" लेन देनों का विश्लेषण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

"उचन्त" लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अन्त शेष
	नामे (+) जमा (-)	नामे	जमा	नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+) 4,61.38	26.34	27.80	(+) 4,59.92
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 3,15.09	68.49	1,48.79	(+) 2,34.79
योग	(+) 7,76.47	94.83	1,76.59	(+) 6,94.71

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,77,73.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 2,93,39.20 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 47,82.45 लाख, ₹ 22,32.95 लाख, ₹ 1,09,80.48 लाख, ₹ 1,35,71.66 लाख तथा ₹ 2,77,73.48 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल प्रावधान की 14.50 प्रतिशत से 40.16 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00	3,99.74	- 43.92
पु.	- 6,00.26		

31 मार्च 2014 को ₹ 6,00.26 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की स्वीकृति में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

₹ 43.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	22,90.79	11,94.02	11,87.54
पु.	-10,96.77		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	8,59.06	4,47.76	4,45.33
पु.	-4,11.30		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 15,08.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 8.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	38,21.80	21,52.07	21,40.51
पु.	-16,69.73		
31 मार्च 2014 को ₹ 16,69.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 11.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[04] निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से			
मू.	2,94.29	81.88	78.86
पु.	-2,12.41		
31 मार्च 2014 को ₹ 2,12.41 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)			
मू.	50,00.00	45,00.00	45,00.00
पु.	- 5,00.00		

31 मार्च 2014 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	45,22.43	34,53.22	34,53.21
पु.	- 10,69.21		

31 मार्च 2014 को ₹ 10,69.21 लाख का प्रावधान कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[04] ग्राम न्यायालय			
मू.	76.27	17.85	17.85
पु.	- 58.42		

31 मार्च 2014 को ₹ 58.42 लाख का प्रावधान कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेल)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	45,11.50	14,65.41	14,65.41
पु.	-30,46.09		

₹ 30,46.09 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक सेवा)			
[02] गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग			
मू.	1,94.70		
पु.	-1,87.13	7.57	7.57
			..
₹ 1,87.13 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	5,24.25		
पु.	-5,23.88	0.37	0.37
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 5,23.88 लाख का प्रावधान कार्यों के लिए स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[02] पंजीयक, सहकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	1,90.05		
पु.	-1,56.93	33.12	33.12
			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)			
मू.	16,88.27		
पु.	- 8,26.02	8,62.25	8,62.25
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 9,82.95 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इनके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू.	11,01.84		
		6,19.48	6,19.47
पु.	- 4,82.36		- 0.01
₹ 4,82.36 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के लिए स्वीकृति जारी न होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवन का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	17,23.76		
		6,38.79	6,64.54
पु.	-10,84.97		+ 25.75
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(30) सामान्य भवन (राज भवन में निर्माण)			
मू.	2,28.67		
		1,35.88	1,35.87
पु.	- 92.79		- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 11,17.76 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
शीर्ष "4059-80-051(29) [01] " के अंतर्गत ₹ 25.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)			
मू.	5,75.22		
		3,07.84	3,07.57
पु.	-2,67.38		- 0.27

31 मार्च 2014 को ₹ 2,67.38 लाख का प्रावधान कार्यों के लिए स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(35) सामान्य भवन (चुनाव विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,57.30		
पु.	-3,83.34	73.96	73.95
			- 0.01
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य			
मू.	9,03.48		
पु.	-5,40.66	3,62.82	3,62.82
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 9,24.00 लाख का प्रावधान कार्यों के लिए स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	7,89.65		
पु.	-3,90.57	3,99.08	4,10.60
			+ 11.52
31 मार्च 2014 को ₹ 3,90.57 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
₹ 11.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(51) तेरहवें वित्त आयोग के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निर्माण कार्य			
मू.	1,02.65		
पु.	-1,02.65
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,02.65 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(52) सामान्य भवन (भू-प्रबन्ध विभाग)			
मू.	2,68.85
पु.	-2,68.85
31 मार्च 2014 को ₹ 2,68.85 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य समय पर शुरू न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,72.69	2,98.50	2,96.88
पु.	-2,74.19		- 1.62
31 मार्च 2014 को ₹ 2,74.19 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय पर प्रतिशतता व्ययों की वास्तविक गणना के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,15.23	1,84.48	1,84.48
पु.	-2,30.75		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,30.75 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,49.20	5,75.53	5,75.53
पु.	- 73.67		..
31 मार्च 2014 को ₹ 73.67 लाख का प्रावधान कार्यों हेतु स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. पोलिटेक्निक			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,28.11		
पु.	-3,15.89	6,12.22	6,12.20
			- 0.02
₹ 3,15.89 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों की स्वीकृति देरी से जारी होने को आरोपित की गयी।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(05) एलोपैथी (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	16,35.09		
पु.	- 9,08.12	7,26.97	7,23.83
			- 3.14
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(05) एलोपैथी (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,30.81		
पु.	- 72.65	58.16	57.91
			- 0.25
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9,80.77 लाख का प्रावधान मरम्मत कार्यों की स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(08) अस्पताल और औषधालय-हौम्योपेथिक			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	62.42		
पु.	- 62.42
			..
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(09) अस्पताल और औषधालय-यूनानी			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,12.21		
पु.	-1,12.21
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 1,74.63 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,20.26		
पु.	-5,92.42		
		27.84	30.98
			+ 3.14
31 मार्च 2014 को ₹ 5,92.42 लाख का प्रावधान कार्यो हेतु स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 3.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
001. निदेशन तथा प्रशासन (चिकित्सा शिक्षा)			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,25.79		
पु.	-1,70.23		
		2,55.56	2,55.56
			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,75.60		
पु.	-1,61.15		
		14.45	14.45
			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	51,93.81		
पु.	-16,33.86		
		35,59.95	35,59.95
			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,15.50		
पु.	-1,30.70		
		2,84.80	2,84.79
			- 0.01

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	32,45.32		
पु.	-19,85.69	12,59.63	12,59.64
			+ 0.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,59.62		
पु.	-1,58.85	1,00.77	1,00.77
			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	97.36		
पु.	- 59.57	37.79	37.79
			..
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 43,00.05 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इनके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	23,45.04		
पु.	- 6,16.49	17,28.55	17,28.55
			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	39,98.85		
पु.	- 4,75.61	35,23.24	35,23.24
			..

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा [90] निर्माण कार्य	मू. 17,67.26 पु. - 1,50.72	16,16.54	16,16.53	- 0.01

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 12,42.82 लाख का प्रावधान कार्यों हेतु स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय 60. अन्य 101. भवन (02) अन्य कार्य [90] निर्माण कार्य	मू. 3,61.98 पु. -1,12.26	2,49.72	2,49.70	- 0.02
--	-----------------------------	---------	---------	--------

31 मार्च 2014 को ₹ 1,12.26 लाख का प्रावधान कार्यों हेतु स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03. पिछड़े वर्गों का कल्याण 277. शिक्षा (01) छात्रावास भवनों का निर्माण [90] निर्माण कार्य	मू. 3,85.75 पु. - 1,94.99	1,90.76	1,90.76	..
---	------------------------------	---------	---------	----

31 मार्च 2014 को ₹ 1,94.99 लाख का प्रावधान कार्यों हेतु स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण 277. शिक्षा (02) नाबार्ड सहायता योजना के अन्तर्गत छात्रावास भवनों का निर्माण	मू. 1,17.29 पु. -1,13.18	4.11	4.11	..
---	-----------------------------	------	------	----

31 मार्च 2014 को ₹ 1,13.18 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	21,26.15	6,24.50	6,12.33
पु.	- 15,01.65		
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(01) भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,70.10	49.96	48.99
पु.	-1,20.14		
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) रेबारी एवं अन्य माइग्रेटरी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,13.30	19.99	19.99
पु.	-1,93.31		
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविक, सैनिकों तथा वेमानिकों का बोर्ड			
[01] युद्ध विधवा के लिये छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र भवन का निर्माण			
मू.	4,95.00	60.83	60.82
पु.	-4,34.17		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 22,49.27 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
शीर्ष "4235-02-102(01)[90]" के अंतर्गत ₹ 12.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	13,00.88
पु.	-13,00.88

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,04.07
पु.	-1,04.07
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	29,17.68	13,61.92	13,61.91
पु.	-15,55.76		- 0.01
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,33.42	1,08.95	1,08.95
पु.	-1,24.47		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 30,85.18 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(01) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,06.19	67.09	67.08
पु.	-11,39.10		- 0.01
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(01) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	96.50	5.37	5.37
पु.	-91.13		..

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(03) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XVI के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों हेतु भवन निर्माण (25:75)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,52.63		
पु.	-1,18.21	2,34.42	2,34.43
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(05) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XVI के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण (25:75)			
मू.	2,25.00		
पु.	- 93.78	1,31.22	1,37.23

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 14,42.22 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

शीर्ष "4403-101(05)" के अंतर्गत ₹ 6.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास

004. अनुसंधान तथा विकास

(03) भवन

[90] निर्माण कार्य

मू.	2,85.71		
पु.	- 63.26	2,22.45	2,22.46

31 मार्च 2014 को ₹ 63.26 लाख का प्रावधान बचत कार्यों की स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएँ - सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	6,87.56		
पु.	5,82.04	12,69.60	12,60.91

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,82.04 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,41.70		
पु.	4,86.68	10,28.38	10,28.38
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. ऐलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	18,73.22		
पु.	3,32.79	22,06.01	22,06.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,19.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्ष में अंतिम आधिक्य को देखते हुए प्रावधान में कटौति अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक सेवाएं)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	42,10.62		
पु.	- 9,98.62	32,12.00	48,09.63 + 15,97.63

31 मार्च 2014 को ₹ 9,98.62 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

₹ 15,97.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास

पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और

6216. आवास के लिये कर्जे

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	67,91,80			
अनुपूरक	16,61,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		84,53,73	60,53,03	- 24,00,70
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	1,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		1,90	..	- 1,90
				1,90
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	20,79,98			
अनुपूरक	2,00,71,82			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		2,21,51,80	2,17,90,23	- 3,61,57
				3,28,47

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 24,00.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 10,00.00 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 6,61.93 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 16,61.93 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 24,00.70 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 24,76.79 लाख का अभ्यर्ण अत्यधिक था परिणामतः शीर्ष "2216-05-053(01) [11]" के अन्तर्गत आधिक्य रहा।

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[07] पाँच व छः श्रेणी तथा समकक्ष एवं अन्य आवासों के लिए			
मू.	8,80.25		
अ.	2,46.02	8,39.49	+ 0.99
पु.	-2,86.78		
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,46.02 लाख का प्रावधान सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2014 को ₹ 2,86.78 लाख का प्रावधान मरम्मत/संधारण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[09] III व IV श्रेणी तथा समकक्ष आवासों के लिए			
मू.	6,00.00		
अ.	3,74.43	8,54.79	..
पु.	-1,19.64		
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,74.43 लाख का प्रावधान सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2014 को ₹ 1,19.64 लाख का प्रावधान मरम्मत/संधारण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(03) संसदीय मामलात विभाग			
[02] अन्य रखरखाव			
मू.	1,50.00		
पु.	-1,33.43	16.57	16.57
..			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(07) राजस्व विभाग के रिहायशी भवन			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,57.08	42.92	15.37
- 27.55			

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
800. अन्य व्यय			
(01) निर्माण			
[05] V व VI श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिए			
मू.	1,20.00		
पु.	- 57.76		
	62.24	62.24	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 6,48.27 लाख का प्रावधान मरम्मत/संधारण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2216-05-053(07)" के अंतर्गत ₹ 27.55 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

05. साधारण पूल आवास
053. रख रखाव तथा मरम्मत
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन

मू.	15,00.00		
अ.	10,00.00		
पु.	- 15,28.64		
	9,71.36	9,71.36	..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान पुलिस विभाग के रिहायशी भवनों की मरम्मत हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 15,28.64 लाख की प्रत्याशित बचत मरम्मत/संधारण पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[08] I व II श्रेणी तथा समकक्ष आवासों के लिए			
मू.	4,36.50		
अ.	41.48		
पु.	1,99.78		
	6,77.76	6,77.76	..

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 41.48 लाख की तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.78 लाख की अतिरिक्त निधियां श्रेणी I व II तथा समकक्ष सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[11] मुख्य शीर्ष 2059- के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय			
मू.	1,55.51	1,55.51	2,58.26 + 1,02.75

₹ 1,55.51 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2059" से आनुपातिक व्यय के स्थानान्तरण के समायोजन हेतु लिया गया था। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,02.75 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 3,61.57 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 33.10 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,18.66	94.64	61.53 - 33.11
पु.	- 2,24.02		

₹ 2,24.02 लाख की प्रत्याशित बचत सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृती के देरी से जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 33.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
- (01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)
- [90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक
निर्माण विभाग के माध्यम से)

मू.	9,99.62	25.09	25.09	..
पु.	- 9,74.53			

₹ 9,74.53 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 020 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	79.97		
		2.00	2.01
पु.	- 77.97		+ 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 77.97 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)
[90] निर्माण कार्य

मू.	5,22.37			
		1,66.41	1,66.41	..
पु.	- 3,55.96			
₹ 3,55.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				

3 उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6216. आवास के लिए कर्ज			
02. शहरी आवास			
201. आवास बोर्डों को कर्ज			
(02) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	2,00,71.82	2,15,00.00	2,15,00.00
पु.	14,28.17		..

अगस्त 2013 (₹1,15,00.00 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 85,71.82 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00,71.82 लाख का प्रावधान तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,28.17 लाख की अतिरिक्त निधियां शहरी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को घर उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अधिक ऋण जारी किये जाने के कारण लिया गया।

अनुदान संख्या 021 - सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3054. सड़क तथा सेतु

पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,

4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर
पूंजीगत परिव्यय और

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	14,98,76,58		
अनुपूरक	33,34,16	15,32,10,74	15,05,87,74 - 26,23,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			52,45,46
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	1,18,83	1,18,84	1,17,84 - 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1,00
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	17,02,47,96		
अनुपूरक	3,13,09,71	20,15,57,67	20,08,77,80 - 6,79,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 26,23.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 33,34.16 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 26,23.00 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 52,45.46 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100% केन्द्र)			
[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	2,80,23.52		
पु.	- 59,40.56		
	2,20,82.96	2,20,82.96	..

₹ 2,80,23.52 लाख का प्रावधान गत वर्ष के व्यय के रुझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। यद्यपि, सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया वास्तविक व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 59,40.56 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] सड़कों का संधारण			
मू.	1,05,25.40		
पु.	- 4,64.11		
	1,00,61.29	1,00,54.06	- 7.23

03. राजकीय राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार
[05] तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मरम्मत

मू.	29,00.00		
पु.	- 9,86.84		
	19,13.16	17,95.61	- 1,17.55

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹14,50.95 लाख की प्रत्याशित बचत मरम्मत कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,24.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

03. राजकीय राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(02) संधारण एवं जीर्णोद्धार (राष्ट्रीय उच्च मार्ग)
[01] सड़कों का संधारण

मू.	8,19.10		
पु.	- 1,42.32		
	6,76.78	6,79.18	+ 2.40

31 मार्च 2014 को ₹ 1,42.32 लाख प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[04] तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मरम्मत			
मू.	40,00.00		
		28,77.51	- 17.20
पु.	- 11,22.49		

31 मार्च 2014 को ₹ 11,22.49 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 17.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)

मू.	2,38,80.00		
		2,21,22.00	2,21,22.00
पु.	- 17,58.00		..

₹ 17,58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय			
मू.	1,00.00		
		3,65.55	3,65.55
पु.	2,65.55		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,65.55 लाख की अतिरिक्त निधियां अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के अनुसार सड़कों की मरम्मत पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
800. अन्य व्यय
(02) ग्रामीण सड़कें
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत

मू.	1,37,11.80		
		1,51,01.28	1,50,99.06
पु.	13,89.48		- 2.22

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,89.48 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[03] तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मरम्मत			
मू.	3,40,00.00		
पु.	23,89.24		
	3,63,89.24	3,64,06.43	+ 17.19

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,89.24 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु भारत सरकार से निधियां अतिरिक्त प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 17.19 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण

मू.	2,20,00.00		
अ.	33,34.08	2,75,00.00	..
पु.	21,65.92		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 33,34.08 लाख का प्रावधान तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,65.92 लाख की अतिरिक्त निधियां पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्राप्त सेस की बढ़ी हुई राशि राज्य सड़क विकास निधि को हस्तांतरित करने के लिये उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कमी अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के			
अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय			
[01] स्थापना			
मू.	18,48.85		
पु.	- 11,00.29		
	7,48.56	34,94.83	+ 27,46.27

31 मार्च 2014 को ₹ 11,00.29 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्ययों के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक था परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 27,46.27 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

6. **केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इसलिए इन अनुदानों में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 2,21,22.00 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 2,31,43.95 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2014 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 15,38.85 लाख का जमा शेष था।

2013-14 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2013-14 के विवरण संख्या 18 तथा 19 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 6,79.87 लाख की सम्पूर्ण अंतिम बचत अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,28,47.08		
पु.	- 16,04.52	1,12,42.56	1,12,42.57
₹ 16,04.52 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के निष्पादन कम को आरोपित की गयी।			+ 0.01
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	10,27.77		
पु.	- 4,24.29	6,03.48	5,51.50
			- 51.98
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,56.94		
पु.	- 1,06.09	1,50.85	1,37.88
			- 12.97

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	3,85.41		
		2,26.28	2,06.81
पु.	- 1,59.13		- 19.47

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 6,89.51 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 84.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,13,66.04		
अ.	1,00,00.00	1,30,08.32	1,26,14.67
पु.	- 83,57.72		- 3,93.65

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 83,57.72 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 3,93.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[02] बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना			
मू.	1,56,74.42		
पु.	- 1,56,74.42

31 मार्च 2014 को ₹ 1,56,74.42 लाख का समस्त प्रावधान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

2012-13 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(03) आर्थिक महत्व की सड़कें			
मू.	4,70.01		
पु.	- 3,90.36	79.65	79.56
			- 0.09

31 मार्च 2014 को ₹ 3,90.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (षष्टदशम्)			
मू.	41,45.04		
		26,00.14	25,99.84
पु.	- 15,44.90		- 0.30

31 मार्च 2014 को ₹ 15,44.90 लाख का प्रावधान नाबार्ड से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] मिसिंग लिंक परियोजना-II (अष्टदशम्)			
मू.	3,72,26.55		
अ.	83,09.66	3,96,41.50	3,96,41.24
पु.	- 58,94.71		- 0.26

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 83,09.66 लाख का प्रावधान नाबार्ड से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया था जो अत्यधिक था क्योंकि निधियां अनुमान से कम प्राप्त हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 58,94.71 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(19) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंशदान (प्राइवेट)			
मू.	20,00.00		
		1,51.75	1,51.75
पु.	- 18,48.25		..

31 मार्च 2014 को ₹ 18,48.25 लाख का प्रावधान पी.पी.पी. अंशदान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(20) विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें			
मू.	93,18.58		
		36,69.31	36,69.30
पु.	- 56,49.27		- 0.01

31 मार्च 2014 को ₹ 56,49.27 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	------------------------------	-------------------

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03. राज्य राजमार्ग

337. सड़क निर्माण कार्य

(01) निर्माण

मू.	1,48,13.27	1,55,92.95	1,55,92.94	- 0.01
पु.	7,79.68			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,79.68 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. राज्य राजमार्ग

337. सड़क निर्माण कार्य

(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान

मू.	9,92.71	43,49.94	43,49.95	+ 0.01
पु.	33,57.23			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,57.23 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. राज्य राजमार्ग

337. सड़क निर्माण कार्य

(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें

मू.	1,67,42.25	1,99,22.27	1,99,22.28	+ 0.01
पु.	31,80.02			

03. राज्य राजमार्ग

337. सड़क निर्माण कार्य

(09) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण

मू.	11,63.33	12,63.20	12,63.19	- 0.01
पु.	99.87			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,79.89 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

04. जिला तथा अन्य सड़कें

800. अन्य व्यय

(06) नगरीय सड़कें

मू.	43,08.82	44,25.87	44,25.87	..
पु.	1,17.05			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,17.05 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[13] मिसिंग लिंक परियोजना (सप्तदशम्)			
मू.	18,01.43		
पु.	9,54.20	27,55.63	27,55.85 + 0.22
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] सड़क उन्नयन परियोजना (नव दशम्)			
मू.	82,22.35		
अ.	50,00.00	2,88,32.44	2,92,61.88 + 4,29.44
पु.	1,56,10.09		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,65,64.29 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
शीर्ष "5054-04-800(11) [15]" के अंतर्गत ₹ 4,29.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,20.44		
पु.	20,25.96	26,46.40	26,46.39 - 0.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	49.64		
पु.	1,53.03	2,02.67	2,02.67 ..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,78.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू .	17,71.48		
पु .	37,98.95		
		55,70.43	47,01.53
			- 8,68.90
<p>31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37,98.95 लाख की अतिरिक्त निधियां हवाई पट्टियों के निर्माण कार्यों लिये कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p> <p>₹ 8,68.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।</p>			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
अ .	0.01		
पु .	79,61.97		
		79,61.98	79,61.98
			..
<p>31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,61.97 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्व बैंक द्वारा पोषित सड़कों के लिये कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p>			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
अ .	0.01		
पु .	6,36.95		
		6,36.96	6,36.96
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
अ .	0.01		
पु .	1,59.23		
		1,59.24	1,59.24
			..

अनुदान संख्या 021 - (कमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
अ .	0.01		
		2,38.86	2,38.86
पु .	2,38.85		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,35.03 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्व बैंक द्वारा पोषित सड़कों के लिये कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
05. सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण			
मू .	35,00.00		
		53,83.73	53,83.72
पु .	18,83.73		- 0.01
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹18,83.73 लाख की अतिरिक्त निधियां अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण कार्यों के लिये त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	89,68.99		
		93,66.17	94,46.14
पु .	3,97.18		+ 79.97
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	33,63.35		
		35,12.32	35,42.30
पु .	1,48.97		+ 29.98

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,46.15 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,09.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीनें और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	22,42.25		
पु.	99.29		
	23,41.54	23,61.54	+ 20.00

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.29 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 20.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और

2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	28,01,92	34,84,56	31,73,24	- 3,11,32
अनुपूरक	6,82,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				3,10,15
प्रभारित				
मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,95,91,30	3,95,91,31	2,93,66,99	- 1,02,24,32
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,02,22,56
प्रभारित				
मूल	3	1,76	1,75	- 1
अनुपूरक	1,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,11.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.07 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 6,82.57 लाख) में लिया गया ₹ 6,82.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	5,49.51		
अ.	0.02	4,40.35	4,40.33
पु.	- 1,09.18		- 0.02

₹ 1,09.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

107. गंग नहर परियोजना
- (01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से
- [01] निदेशन एवं प्रशासन

मू.	13,07.89		
पु.	- 7,54.21	5,53.68	5,52.52
			- 1.16

₹ 7,54.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) जल उपभोक्ता संगमों के चुनाव नहीं/पंजीयन नहीं होने के कारण कम व्यय हुआ क्योंकि इन संगमों के गठित तथा पंजीयन के पश्चात् प्रारम्भ में एक मुश्त प्रावधान रखा गया था तथा (ii) कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण, मृत्यु तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

- उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास			
(11) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] मण्डी कमेटी, बीकानेर			
मू.	56.23		
अ.	6,82.57	13,55.26	13,55.26
पु.	6,16.46		..

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,82.57 लाख का प्रावधान तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,16.46 लाख की अतिरिक्त निधियां भूमि विकास निगम के ऋणों के अपलेखन हेतु लिया गया था।

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 70,73.52 लाख, ₹ 22,69.65 लाख, ₹ 52,28.09 लाख, ₹ 20,83.90 लाख तथा ₹ 1,02,24.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.88 प्रतिशत से 27.66 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण आयोजना सीमा में कमी था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
800. अन्य व्यय			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,13,86.40		
पु.	- 19,04.40	94,82.00	94,82.00

31 मार्च 2014 को ₹ 19,04.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 17,25.33 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,79.07 लाख) किया गया।

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू.	18,31.03		
अ.	0.01	14,08.20	14,08.19
पु.	- 4,22.84		- 0.01

₹ 4,22.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

103. भाखरा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02] अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू.	8,22.90		
पु.	- 7,73.56	49.34	49.33

₹ 7,73.56 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य से कम पक्के खालों (जलमार्ग) के निर्माण को आरोपित की गयी क्योंकि वास्तविक निर्माण कार्य लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (₹ 22,000 प्रति हेक्टेयर) दर से अधिक थी।

105. सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट			
(04) मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय विकास (इंदिरा गांधी नहर परियोजना), बीकानेर के माध्यम से			

मू.	8,76.00		
पु.	- 6,76.31	1,99.69	1,99.69

₹ 6,76.31 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य से कम पक्के खालों (जलमार्ग) के निर्माण को आरोपित की गयी क्योंकि वास्तविक निर्माण कार्य लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (₹ 22,000 प्रति हेक्टेयर) दर से अधिक थी।

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[02] भूमि विकास कार्य			
मू.	17,38.40		
पु.	- 10,99.84	6,38.56	6,37.39
			-1.17
₹17,38.40 लाख का प्रावधान 14000 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 10,99.84 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य केवल 3900 हेक्टेयर क्षेत्र में निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि (i) पक्के खालों के निर्माण कार्यों के लिये कृषकों से विवाद, (ii) कुल 27 पदों में से 21 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों के रिक्त रहने तथा (iii) पेट्रोल, डीजल, मजदूरी, सीमेन्ट तथा आवागमन की दरें बढ़ने के पश्चात् सरकार द्वारा निर्माण कार्यों की लागत में पुनरीक्षण न करने के परिणामतः निविदा आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण कार्य बाधित हुआ।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से)			
मू.	60,89.40		
पु.	- 5,29.95	55,59.45	55,59.49
			+ 0.04
₹ 5,29.95 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य से कम पक्के खालों (जलमार्ग) के निर्माण को आरोपित की गयी क्योंकि वास्तविक निर्माण कार्य लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (₹ 22,000 प्रति हेक्टेयर) दर से अधिक थी।			
108. भाखरा सिंचाई परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)			
मू.	46,58.56		
पु.	- 46,58.56
			..
108. भाखरा सिंचाई परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[02] निदेशन-प्रशासन भाखरा नहर परियोजना			
मू.	51.20		
पु.	- 51.20
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 47,09.76 लाख का प्रावधान केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा भाखरा नहर परियोजना को चालू करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 022 - (समाप्त)

4. **मण्डी विकास निधि** - चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2014 को निधि में जमा शेष ₹ 3.12 लाख था जो कि वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम तथा रोजगार और
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,31,13,05	3,31,13,09	3,08,73,21	- 22,39,88
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				22,38,99
प्रभारित				
मूल	4	75	56	- 19
अनुपूरक	71			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				19
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	6	5,47,00	2,60,42	- 2,86,58
अनुपूरक	5,46,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,86,58
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार				
01. श्रम				
101. औद्योगिक सम्बन्ध				
(01) डिविजनल और जिला कार्यालय				
मू.	9,91.92	8,95.59	8,95.59	..
पु.	- 96.33			

₹ 96.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(02) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय			
मू.	5,64.42		
पु.	- 1,00.12	4,64.30	4,64.29
			- 0.01
₹ 1,00.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(08) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	12,89.41		
पु.	- 6,26.59	6,62.82	6,62.81
			- 0.01
₹ 6,26.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(07) अक्षत कौशल योजना			
[01] कौशल प्रशिक्षण वाउचर			
मू.	56.00		
पु.	- 51.80	4.20	4.20
			..
₹ 56.00 लाख का प्रावधान राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से योग्य बेरोजगार व्यक्तियों के प्रशिक्षण व्यय हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 51.80 लाख का प्रावधान राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के क्रियान्वयन के बाद आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि नकद में लाभ के विकल्प के कारण बेरोजगार युवाओं की रुचि इस योजना से बदल गई।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	6,19.56		
पु.	- 1,17.00	5,02.56	5,02.48
			- 0.08
31 मार्च 2014 को ₹ 1,17.00 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	74,68.06		
पु.	- 5,38.70	69,29.36	69,28.62

₹ 5,38.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
191. नगर निगम को सहायता
(01) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
[01] विकास कार्य

मू.	2,60.72	36.68	36.68	..
पु.	- 2,24.04			

₹ 2,60.72 लाख का प्रावधान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली शहरी जनसंख्या का स्तर उठाने के लिए स्वरोजगार अवसर, विभिन्न मौलिक तथा शारीरिक सुविधाओं के विकास तथा सामाजिक गतिविधियाँ उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2014 को ₹ 2,24.04 लाख के प्रावधान के अभ्यर्षण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(01) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
[01] विकास कार्य

मू.	23,70.60	5,66.28	5,66.28	..
पु.	- 18,04.32			

₹ 23,70.60 लाख का प्रावधान शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या का स्तर उठाने के लिए स्वरोजगार अवसर, विभिन्न मौलिक तथा शारीरिक सुविधाओं के विकास तथा सामाजिक गतिविधियाँ उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था।

₹ 18,04.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(07) भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड, राजस्थान			
मू.	1,60,00.00	1,73,83.53	1,73,83.53
पु.	13,83.53		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,83.53 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 2,86.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,46.94 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(07) वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अंतर्गत)			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	0.04		
अ.	2,93.96	8.75	..
पु.	- 2,85.25		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,93.96 लाख का प्रावधान वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 2,85.25 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 024 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं ,

2202. सामान्य शिक्षा ,

2203. तकनीकी शिक्षा ,

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और

2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और

6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,44,53,24,42		
अनुपूरक	3,61,85,08		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	1,48,15,09,50	1,36,11,65,36	- 12,03,44,14
प्रभारित			
मूल	20		
अनुपूरक	12,69		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	12,89	10,03	- 2,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,86
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	79,21,09		
अनुपूरक	5		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	79,21,14	31,24,53	- 47,96,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			48,30,89

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 12,03,44.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.22 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 3,61,84.86 लाख) में लिया गया ₹ 3,61,85.08 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 12,03,44.14 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 3,29.84 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू. 1,13,68.93	97,74.28	97,71.08	- 3.20
पु. - 15,94.65			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(02) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू. 36,31.90	30,86.34	30,82.43	- 3.91
पु. - 5,45.56			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 21,40.21 लाख की प्रत्याशित बचत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को नहीं भरे जाने को आरोपित की गई।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय

मू. 1,44,88.72	1,19,13.98	1,19,00.87	- 13.11
अ. 0.01			
पु. - 25,74.75			

₹ 25,74.75 लाख की प्रत्याशित बचत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को नहीं भरे जाने को आरोपित की गई।

₹ 13.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
(05) प्राथमिक पाठशालायें (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)

मू. 1,02,31.00	93,55.54	93,55.55	+ 0.01
पु. - 8,75.46			

₹ 8,75.46 लाख की प्रत्याशित बचत नये क्रमोन्नत विद्यालयों में पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के व्यय शीर्ष में परिवर्तन को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(05) विशिष्ट विद्यालय			
मू.	3,19.92	2,15.22	2,15.22
पु.	- 1,04.70		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,04.70 लाख का प्रावधान अनुदानित संस्थाओं को कम सहायतार्थ अनुदान (वेतन) जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि अनुदानित कार्मिकों की सेवायें राज्य सेवा में समायोजित कर दी गई थी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(01) शिक्षा गारन्टी स्कीम (सीधे प्राप्त केन्द्रीय अंश का राज्यांश)			
मू.	9,18,70.02	7,65,83.05	7,65,83.05
पु.	- 1,52,86.97		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(05) डी.पी.ई.पी. कार्योत्तर गतिविधियां			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,62,86.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	24,96,83.64	23,07,30.66	23,06,93.76
अ.	0.01		
पु.	- 1,89,52.99		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	2,51,60.47	2,37,71.86	2,37,47.50
पु.	- 13,88.61		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,03,41.60 लाख की प्रत्याशित बचत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को नहीं भरे जाने को आरोपित की गई।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 61.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(05) मदरसा स्कूल			
मू.	68,03.40		
पु.	- 36,32.89	31,70.51	31,70.51

₹ 36,32.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 5826 में से 3239 शिक्षा सहयोगियों के पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप मानदेय का भुगतान कम होने, (ii) चुनाव आचार संहिता या कर्मचारी वर्ग के चुनाव कार्यों में व्यस्त बैंक खाता खोलने में देरी, रिपोर्टिंग, छंटनी तथा सूचना के संकलन में विलम्ब के कारण संविदा पर नियुक्त 2587 "शिक्षा सहायोगी" के मानदेय का भुगतान नहीं होने, (iii) मुख्यमंत्री मदरसा आधुनीकीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु प्रत्येक को ₹10.00 लाख तक राशि के अनुदान प्राप्त करने योग्य मदरसों का चयन नहीं होना, (iv) चुनाव आचार संहिता के कारण भौतिक सहायता के अन्तर्गत चयनित मदरसा को ही भौतिक रूप से सहायता जारी नहीं किये जाने तथा (v) मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना के अन्तर्गत 281 मदरसा के विरुद्ध 209 मदरसों को भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गई।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
800. अन्य व्यय
(14) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी
विद्यालयों को पुर्नभरण-सामान्य व्यय

मू.	1,96,56.00			
पु.	-1,60,37.66	36,18.34	36,17.38	- 0.96

31 मार्च 2014 को ₹ 1,60,37.66 लाख का प्रावधान निःशुल्क शिक्षा के लिये अनुमान से कम संख्या में लाभार्थियों एवं 2012-13 सत्र में गैर सरकारी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण वास्तविक फीस के बजाय सत्यापित पुर्नभरण फीस के आधार पर किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) सामान्य व्यय

मू.	38,32.68			
अ.	0.01			
पु.	- 7,23.11	31,09.58	31,09.24	- 0.34

₹ 7,23.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

02. माध्यमिक शिक्षा
101. निरीक्षण
(01) सामान्य व्यय

मू.	45,69.67			
पु.	- 4,76.00	40,93.67	40,90.23	- 3.44

₹ 4,76.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

₹ 3.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(04) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को			
मू.	87.45
पु.	- 87.45
31 मार्च 2014 को ₹ 87.45 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[01] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	47,11.00	34,79.04	34,78.23
पु.	-12,31.96		- 0.81
31 मार्च 2014 को ₹ 12,31.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डी.बी.टी.) से जुड़े जिलों के लाभार्थियों को निधियां सीधे ही हस्तान्तरित कर दी गई।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(07) अन्य पिछड़ीजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	20,26.40	18,17.55	18,17.36
पु.	- 2,08.85		- 0.19
₹ 2,08.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(01) बालकों के विद्यालय			
मू.	42,20,55.26	37,33,06.90	37,33,92.24
पु.	- 4,87,48.36		+ 85.34
₹ 4,87,48.36 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 85.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(02) बालिका विद्यालय			
मू.	7,00,20.62		
पु.	-1,61,37.62		
		5,38,83.00	5,39,02.19
			+ 19.19
₹ 1,61,37.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः दूर दराज क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
₹ 19.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(05) विकेंलाग एकीकृत शिक्षा			
मू.	6,99.81		
पु.	- 6,64.64		
		35.17	35.17
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 6,64.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू.	83,83.49		
अ.	0.01		
पु.	- 21,50.16		
		62,33.34	62,33.34
			..
₹ 21,50.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[01] बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय			
मू.	65,53.13		
अ.	0.01		
पु.	- 58,76.42		
		6,76.72	6,76.72
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 58,76.42 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय			
मू.	34,61.40		
अ.	0.02		
पु.	- 32,61.82		
		1,99.60	1,99.60
			..
₹ 32,61.82 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा परिणामस्वरूप राज्यांश कम जारी करने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(02) अन्य विद्यालय			
मू.	1,00.00		
पु.	- 66.65	33.35	33.35
31 मार्च 2014 को ₹ 66.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(08) ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	73,72.77		
पु.	- 1,37.09	72,35.68	72,29.88
₹ 73,72.77 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, साइकिलों के लिए चैक योग्य छात्राओं को ही आवंटित किये गये जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,37.09 लाख की प्रत्याशित बचत रही तथा 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित की गई।			
₹ 5.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(15) विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	58,73.98		
पु.	- 10,64.41	48,09.57	47,99.03
31 मार्च 2014 को ₹ 10,64.41 लाख का प्रावधान मुख्यतः सूचना एवम् संचार प्रौद्योगिक (आई सी टी) स्कीम के अन्तर्गत कम व्यय को आरोपित की गई।			
₹ 10.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(22) माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर सुविधा			
मू.	21,40.46		
पु.	- 21,40.46
31 मार्च 2014 को ₹ 21,40.46 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(11) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर			
मू.	2,54.65		
पु.	- 1,64.03	90.62	90.62
31 मार्च 2014 को ₹ 1,64.03 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं होने, (ii) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का अंतिमीकरण नहीं होने के कारण से संबद्धता कार्य, परीक्षा का निष्पादन नहीं होने तथा (iii) बोर्ड प्रबन्धन की अनुपलब्धता के कारण अन्य पदों पर नियमित पद नहीं भरे जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर			
मू.	2,54.65	1,11.66	1,11.66
पु.	- 1,42.99		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,42.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(13) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर			
मू.	2,54.65	1,97.98	1,97.98
पु.	- 56.67		..
₹ 56.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(14) हरिदेश जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,54.64	1,75.63	1,75.63
पु.	- 79.01		..
31 मार्च 2014 को ₹ 79.01 लाख का प्रावधान नये विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष होने के परिणामस्वरूप व्यय नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(16) डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,54.00	1,06.55	1,06.55
पु.	- 1,47.45		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,47.45 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) चुनावों के कारण 58 विधि महाविद्यालयों के क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय को स्थानान्तरण नहीं होने तथा (ii) 53 में से 51 पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप परीक्षाओं इत्यादि के आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(01) अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय			
मू.	3,35.01	1,49.27	1,49.27
अ.	0.01		..
पु.	- 1,85.75		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,85.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय			
मू.	6,07.39		
पु.	- 1,04.35	5,03.04	5,03.04
			..
₹ 1,04.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निजी सहभागिता के अन्तर्गत किशनगढ़ महिला महाविद्यालय के अतिरिक्त, संस्थाओं को सहायता स्वीकृत नहीं होने को आरोपित की गई।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(01) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा			
मू.	10,86.41		
पु.	- 2,27.14	8,59.27	8,59.27
			..
₹ 2,27.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(02) साक्षर भारत अभियान			
मू.	12,10.21		
पु.	- 2,82.28	9,27.93	9,27.93
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,82.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(03) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	45,98.34		
अ.	0.02	34,71.93	34,76.02
पु.	- 11,26.43		+ 4.09
₹ 11,26.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से कम्पोनेन्ट का अनुमोदन नहीं होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त हुई तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
₹ 4.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
004. अनुसंधान			
(01) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान			
मू.	8,40.31		
अ.	0.03	6,74.77	6,73.08
पु.	- 1,65.57		- 1.69
₹ 1,65.57 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने और तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा कार्यक्रम एवं गतिविधियां कम आयोजित करने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(04) माणिक लाल वर्मा टेक्सटाईल इन्स्टीट्यूट, भीलवाडा			
मू.	3,46.60		
पु.	- 80.00	2,66.60	2,66.60
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(06) अभियांत्रिकी कालेज, अजमेर			
मू.	3,29.60		
पु.	- 70.00	2,59.60	2,59.60
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(07) अभियांत्रिकी कालेज, बीकानेर			
मू.	1,20.00		
पु.	- 70.00	50.00	50.00
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(08) अभियांत्रिकी कालेज, झालावाड़			
मू.	1,20.00		
पु.	- 70.00	50.00	50.00
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(09) अभियांत्रिकी कालेज, भरतपुर			
मू.	1,20.00		
पु.	- 70.00	50.00	50.00
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(10) महिला अभियांत्रिकी कालेज, अजमेर			
मू.	1,20.00		
पु.	- 70.00	50.00	50.00

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(11) अभियांत्रिकी तथा तकनीकी कालेज, बीकानेर			
मू. 1,20.00	50.00	50.00	..
पु. - 70.00			
31 मार्च 2014 को उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू. 14,40.00	2,06.14	2,06.14	..
पु. - 12,33.86			
31 मार्च 2014 को ₹ 12,33.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(03) बहुशिल्प विद्यालयों के लिए अन्य सेवाएं			
मू. 3,75.00	2,12.11	2,12.11	..
पु. - 1,62.89			
31 मार्च 2014 को ₹ 1,62.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
800. अन्य व्यय			
(01) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू. 10,54.20	8,55.20	8,55.20	..
पु. - 1,99.00			
31 मार्च 2014 को ₹ 1,99.00 लाख प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कौर			
[01] बडी शाखाएं			
मू. 26,23.65	14,64.01	14,59.86	- 4.15
पु. - 11,59.64			
₹ 11,59.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) दो नये कार्यालयों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) एसोसियेटेड एन.सी.सी. ऑफिसर्स के मानदेय का भुगतान नहीं होना तथा कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के नहीं भरे जाने, (iii) नये एन सी सी अकादमी के लिये जमीन स्वीकृत नहीं होना तथा (iv) अधीनस्थ कार्यालयों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिये निधियों का आहरण नहीं होने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कौर			
[02] छोटी शाखाएं			
मू.	6,51.02		
पु.	- 1,04.25	5,46.77	5,38.68
			- 8.09
₹ 1,04.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) एसोसियेटेड एन.सी.सी. ऑफिसर्स के मानदेय का भुगतान नहीं होने तथा (ii) पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति को आरोपित की गई।			
₹ 8.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[01] महाविद्यालय			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,80.58	3,19.42	3,19.43
			+ 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 1,80.58 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गई।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[02] उच्च माध्यमिक विद्यालय			
मू.	4,08.00		
पु.	- 2,29.87	1,78.13	1,78.13
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,29.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कोन्सिल को अनुदान			
मू.	28,09.60		
अ.	0.01	20,10.00	20,10.00
पु.	- 7,99.61		..
₹ 7,99.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(13) रविन्द्र मंच			
मू.	5,43.01		
पु.	- 4,69.01	74.00	74.00
			..
₹ 4,69.01 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
103. पुरातत्व विभाग			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	7,79.30		
		5,87.90	5,87.91
			+ 0.01
पु.	- 1,91.40		

₹ 1,91.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महानिदेशक पुलिस (नियम) से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राजकीय संग्रहालय भरतपुर, अलवर और कोटा पर अस्थाई नियुक्त पुलिस गार्डों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं होने, (ii) विभिन्न संवृगों के अन्तर्गत 38 पदों के रिक्त रहने तथा (iii) ब्रोशर तथा दुर्लभ पुस्तकों के पुनः मुद्रण के बजाय केवल राजकीय संग्रहालयों के ब्रोशर के प्रकाशन को आरोपित की गई।

103. पुरातत्व विज्ञान
(02) संग्रहालय एवं स्मारक

मू.	14,83.81			
		10,38.94	10,38.93	- 0.01
पु.	- 4,44.87			

₹ 4,44.87 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

103. पुरातत्व विज्ञान
(03) सवाई मानसिंह टाउन हॉल में
अन्तरराष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना

मू.	15,00.00			
	
पु.	- 15,00.00			

31 मार्च 2014 को ₹ 15,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान 2012-13 के दौरान जारी निधियों का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण वर्ष के दौरान आमेर विकास और प्रबन्धन प्राधिकरण को निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

103. पुरातत्व विज्ञान
(04) क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की
प्रोन्नति एवं सुदृढीकरण योजना (80:20)

मू.	66.18			
	
पु.	- 66.18			

31 मार्च 2014 को ₹ 66.18 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	57,84.02		
अ.	0.01	87,79.22	87,73.35
पु.	29,95.19		- 5.87

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,95.19 लाख की अतिरिक्त निधियां शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद (एन सी ई आर टी) का पाठ्यक्रम लागू करने तथा पुस्तकों की दरों में वृद्धि हेतु उपलब्ध कराई गई।

₹ 5.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता
(13) शिक्षा कर्मी बोर्ड

मू.	50,12.00	55,08.00	55,08.00	..
पु.	4,96.00			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,96.00 लाख की अतिरिक्त निधियां शिक्षा कर्मियों के मानदेय की दरों में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन
(05) अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

मू.	18,95.18	21,20.84	21,16.92	- 3.92
पु.	2,25.66			

01. प्रारम्भिक शिक्षा
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन
(06) अनुसूचित जन जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

मू.	15,09.47	19,18.41	19,18.41	..
पु.	4,08.94			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,34.60 लाख की अतिरिक्त निधियां बढ़ी हुई दर पर प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

शीर्ष "2202-01-109(05)" के अन्तर्गत ₹ 3.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	2,53,19.41		
पु.	2,74.25	2,55,93.66	2,55,60.48
			- 33.18

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,74.25 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रेड पे तथा मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

₹ 33.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(07) निरीक्षण
[01] स्थापना व्यय

मू.	48,66.75			
अ.	0.01	63,54.95	61,01.46	- 2,53.49
पु.	14,88.19			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,88.19 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के मध्य में ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में नव सृजित पदों, मंहगाई भत्ते तथा ग्रेड पे दरों में वृद्धि पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

₹ 2,53.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
800. अन्य व्यय
(17) लेपटोप वितरण

मू.	75,60.00			
अ.	1,14,94.71	2,25,65.38	2,25,54.82	- 10.56
पु.	35,10.67			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,10.67 लाख की अतिरिक्त निधियां लेप टॉप तथा टेबलेट पी.सी. के वितरण हेतु उपलब्ध करायी गई।

₹ 10.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. माध्यमिक शिक्षा
107. छात्रवृत्तियाँ
(02) अन्य संस्थान

मू.	13.00			
पु.	1,11.29	1,24.29	1,24.29	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,11.29 लाख की अतिरिक्त निधियां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(11) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	30,53.14		
पु.	13,47.41		
	44,00.55	44,00.66	+ 0.11
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,47.41 लाख की अतिरिक्त निधियां छात्रवृत्तियों के लिये अल्प संख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या में अनुमान से वृद्धि होने के कारण उपलब्ध कराई गई।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(17) गार्गी / प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	6,65.35		
पु.	2,65.25		
	9,30.60	9,30.42	- 0.18
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,65.25 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुमान से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(01) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	65,00.01		
पु.	10,05.54		
	75,05.55	75,05.55	..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,05.54 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में उपलब्ध कराई गई।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(02) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू.	65,00.01		
पु.	44,99.99		
	1,10,00.00	1,10,00.00	..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं को छठे वेतन आयोग के बकायों का भुगतान , (ii) ऋण खाते के विरुद्ध (₹ 3,00.00 लाख) निधियों का पुनः आवंटन जिसे 2012-13 के दौरान जोधपुर (शहर) कोषालय द्वारा समायोजित नहीं किया गया था तथा (iii) वेतन निर्धारण पर अतिरिक्त भुगतान, भत्तों में वृद्धि इत्यादि के कारण उपलब्ध कराई गई।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(03) सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	25,00.01	29,99.99	29,99.99
पु.	4,99.98		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं को यू.जी.सी. वेतन श्रृंखला के बकायों का भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(04) ओपन विश्वविद्यालय, कोटा को अनुदान			
मू.	0.02	2,25.93	2,25.93
पु.	2,25.91		
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(05) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान			
मू.	4,00.01	6,49.43	6,49.43
पु.	2,49.42		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,75.33 लाख की अतिरिक्त निधियां छठे वेतन आयोग के बकायों के भुगतान का पुर्नभरण हेतु उपलब्ध कराई गई जिसका पहले से ही इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने व्याख्याताओं को स्वयं की निधियों से भुगतान कर दिया था।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,16.42	6,08.58	6,08.58
पु.	2,92.16		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,92.16 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(15) सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	2,84.65	11,93.48	11,93.48
पु.	9,08.83		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,08.83 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्वविद्यालय के अस्थाई भवन के मरम्मत /आधुनीकीकरण/निर्माण के लिये उपलब्ध कराई गई।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(02) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
मू.	4,60,51.75		
		5,64,90.76	5,64,90.74
			- 0.02
पु.	1,04,39.01		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,04,39.01 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) छठे वेतन आयोग के 40 प्रतिशत बकायों का भुगतान, (ii) संबद्धता शुल्क की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तथा (iii) जयपुर और जोधपुर के राजकीय महाविद्यालयों के पदों को भरे जाने के पश्चात् वेतन तथा भत्तों पर व्यय के कारण उपलब्ध कराई गई।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(03) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए)			
मू.	1,17,29.26		
अ.	0.01	1,35,36.63	1,35,36.63
			..
पु.	18,07.36		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,07.36 लाख की अतिरिक्त निधियां छठे वेतन आयोग के 40 प्रतिशत बकायों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(02) साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग की नवाचार/ नवीन योजनाएं			
मू.	0.01		
अ.	0.01	6,45.03	6,44.93
			- 0.10
पु.	6,45.01		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,45.01 लाख की अतिरिक्त निधियां नयी सेवाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(02) संस्कृत महाविद्यालय			
मू.	20,47.76		
		24,24.93	24,24.93
			..
पु.	3,77.17		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,77.17 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में यू.जी.सी. वेतनमानों के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(03) संस्कृत विद्यालय			
मू.	91,95.78		
		96,50.00	- 2.28
पु.	4,54.22		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,54.22 लाख की अतिरिक्त निधियां नये क्रमोन्नत विद्यालयों में पदोन्नति/स्थानान्तरण के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
105. बहुशिल्प			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	85,54.34		
		99,39.10	- 0.59
पु.	13,84.76		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 13,84.76 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(02) खेल विभाग-विविध खेल कार्यक्रम			
मू.	13,00.00		
		19,52.66	..
पु.	6,52.66		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,52.66 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(03) संगीत नाटक अकादमी को प्रोत्साहन			
मू.	2,13.00		
		6,90.45	..
पु.	4,77.45		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,77.45 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 47,96.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 48,30.89 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था परिणामतः शीर्ष "4202-03-102(01)" के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा (04) महाविद्यालय शिक्षा [01] भवन (प्रतिशत व्यय सहित)			
मू. 6,51.00			
पु. - 6,51.00			
31 मार्च 2014 को ₹ 6,51.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नये राजकीय महाविद्यालय हेतु जमीन का आवंटन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) (02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू. 38,48.17	17,09.34	17,09.34	..
पु. - 21,38.83			
31 मार्च 2014 को ₹ 21,38.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. खेलकूद स्टेडिया (01) खेल विभाग के माध्यम से-जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू. 20,06.79	11,43.80	11,78.08	+ 34.28
पु. - 8,62.99			
31 मार्च 2014 को ₹ 8,62.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 34.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. कला एवं संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय (01) पुस्तकालय भवन [01] भवन			
मू. 14,00.00	2,36.96	2,36.96	..
पु. - 11,63.04			

2013-14 के बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार ₹ 14,00.00 लाख की निधियों का प्रावधान प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय में 70 पुस्तकालय भवनों के लिये अनुमानित था। यद्यपि, मात्र 58 पुस्तकालय भवनों के लिये ही भूमि उपलब्ध कराई गई, जैसा कि दो कार्यकारी एजेन्सियों राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर और निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर के करार के अनुसार 2013-14 के दौरान केवल 50 प्रतिशत का भुगतान किया गया परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 11,63.04 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

अनुदान संख्या 025 - कोषागार व लेखा प्रशासन

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन
पूँजी - 7999. आकस्मिकता निधि को विनियोजन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,53,93,12	1,72,01,34	1,66,23,45	- 5,77,89
अनुपूरक	18,08,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				5,77,13
प्रभारित				
मूल	3	3,88	3,86	- 2
अनुपूरक	3,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

पूँजी

दत्तमत				
मूल	3,00,00,00	3,00,00,00	..	- 3,00,00,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,77.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 18,08.22 लाख का प्रावधान (i) रिक्त पदों की भर्ती के बाद वेतन एवं भत्तों तथा (ii) मनी ऑर्डर के मुद्रण/सॉफ्टवेयर के विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों को अनुबन्ध पर कार्य के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया जो अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
097. खजाना स्थापना				
(02) तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण				
मू.	2,50.00	57.90	57.90	..
पु.	- 1,92.10			

₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत आई.एच.आर.एम.एस. परियोजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के डाटाबेस तैयारी हेतु अनुमानित था। 31 मार्च 2014 को ₹ 1,92.10 लाख का प्रावधान एन.आई.सी. द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के रूप में कार्य किया जाना था परन्तु उनके द्वारा वर्ष के दौरान कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
098. स्थानीय निधि लेखापरीक्षा			
(01) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा			
मू.	24,85.69	22,10.58	22,10.00
पु.	- 2,75.11		

₹ 2,75.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 798 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 429 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय
(03) निदेशक, निरीक्षण

मू.	8,12.20	7,31.19	7,31.19	..
पु.	- 81.01			

₹ 81.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 3,00,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष "7999-201- आकस्मिकता निधि को विनियोजन" के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि के कारपस में वृद्धि हेतु अनुमानित था परन्तु इसे राज्य सरकार द्वारा निधि को हस्तान्तरित नहीं किया गया तथा यह प्रावधान वर्ष के दौरान अनुपयोजित रहा।

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ,
2211. परिवार कल्याण और
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय और
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	41,02,25,77		
अनुपूरक	2,14,69,67	43,16,95,44	39,99,51,00 – 3,17,44,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			3,10,64,60
प्रभारित			
मूल	43,03		
अनुपूरक	47,01	90,04	43,43 – 46,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			46,60
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	1,11,70,78		
अनुपूरक	74,26,24	1,85,97,02	1,43,17,24 – 42,79,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			43,03,89

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- 1 अगस्त 2013 (₹ 0.12 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 2,14,69.55 लाख) में लिया गया ₹ 2,14,69.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 3,17,44.44 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6,79.84 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू.	52,74.72	50,05.25	49,95.72
पु.	- 2,69.47		

₹ 2,69.47 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 9.53 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना
(03) भरपाई (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के नियुक्ताओं के सहित)

मू.	6,30.00	5,43.90	5,43.90
पु.	- 86.10		

31 मार्च 2014 को ₹ 86.10 लाख का प्रावधान असाधारण बिमारियां जैसे, कैंसर, किडनी फेलियर, हेपेटाईटिस-बी से सम्बन्धित दवाइयों के लिये बीमित लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि इन बिमारियों के लिये दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराने के लिये विभागीय स्तर पर क्रय की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर

मू.	34,77.26	32,75.44	32,75.45
पु.	- 2,01.82		

₹ 2,01.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 546 पर्दों के रिक्त रहने को अरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[04] पी.बी.एम. मेन्स अस्पताल, बीकानेर

मू.	36,88.90	35,43.57	35,42.72
पु.	- 1,45.33		

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[05] पी.बी.एम. जनाना अस्पताल, बीकानेर

मू.	5,45.81	4,75.36	4,75.37
पु.	- 70.45		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,15.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[11] क्षय रोग अस्पताल, जयपुर			
मू.	8,11.58	7,47.09	7,47.09
पु.	- 64.49		..
₹ 64.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[17] महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर			
मू.	34,23.20	32,38.53	32,38.52
पु.	- 1,84.67		- 0.01
₹ 1,84.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 81 पदों के रिक्त रहने, (ii) वेतन पुनः निर्धारण का लाभ कुछ कर्मचारियों को नहीं दिये जाने तथा (iii) 2 एम्बूलेन्स आधुनिक उपकरणों सहित मेसर्स टाटा मोटर लि. बम्बई द्वारा आपूर्ति नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[18] उम्मेद अस्पताल, जोधपुर			
मू.	27,02.68	25,32.95	25,32.03
पु.	- 1,69.73		- 0.92
₹ 1,69.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 243 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[19] क्षय एवं संक्रामक रोग अस्पताल, जोधपुर			
मू.	3,75.05	3,11.94	3,11.95
पु.	- 63.11		+ 0.01
₹ 63.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 67 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[22] मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर			
मू.	27,39.11		
पु.	- 1,20.22		
		26,18.89	26,18.88
			- 0.01
₹ 1,20.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों में 466 पदों में से 343 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[26] एस.आर.बी. भूवालका यक्षमा आरोग्य सदन, बाडी (उदयपुर)			
मू.	4,83.83		
पु.	- 66.31		
		4,17.52	4,17.33
			- 0.19
₹ 66.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[01] भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर			
मू.	6,79.73		
पु.	- 1,27.73		
		5,52.00	5,51.99
			- 0.01
₹ 1,27.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 25 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[08] अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई			
मू.	7,48.45		
पु.	- 2,71.01		
		4,77.44	4,79.17
			+ 1.73
₹ 2,71.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 59 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[01] सामान्य अस्पताल			
मू.	4,18,21.77		
पु.	- 8,72.30		
	4,09,49.47	4,08,84.87	- 64.60
₹ 8,72.30 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 64.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(05) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.)			
मोड़ आधारित स्वास्थ्य योजनायें			
[03] नवीन निजी चिकित्सालयों को प्रोत्साहन राशि			
मू.	15,00.00		
पु.	- 15,00.00		
	
31 मार्च 2014 को ₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों			
को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[03] क्षय क्लिनिक			
मू.	21,26.44		
पु.	- 1,54.77		
	19,71.67	19,71.67	..
₹ 1,54.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों			
को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[05] फर्टीलिटी क्लिनिक स्थापना हेतु अनुदान			
मू.	3,00.01		
पु.	- 3,00.01		
	

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[06] अनुमोदित फर्टीलिटी क्लिनिक से ईलाज के लिये दम्पतियों को दवाइयां हेतु अनुदान			
मू.	1,41.01
पु.	- 1,41.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 4,41.02 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(01) निदेशन और प्रशासन

मू.	15,37.90	14,07.95	14,07.96	+ 0.01
पु.	- 1,29.95			

₹ 1,29.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् खाली पदों को नहीं भरने तथा (ii) ए.सी.पी. के प्रकरणों के कम निस्तारण को आरोपित की गयी।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(03) शिक्षा
[01] आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

मू.	7,60.16	6,95.24	6,95.22	- 0.02
पु.	- 64.92			

₹ 64.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(04) प्रशिक्षण
[02] धात्री/कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र

मू.	3,21.11	1,80.02	1,80.01	- 0.01
अ.	0.01			
पु.	- 1,41.10			

₹ 1,41.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजकीय आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र, पुंजला का आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में समायोजन हो जाने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(05) अनुसंधान			
[02] रसायन शालायें			
मू.	5,35.61		
पु.	- 62.52	4,73.09	4,73.07
			- 0.02
₹ 62.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कम मांग करने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	14,47.65		
पु.	- 1,69.09	12,78.56	12,78.55
			- 0.01
₹ 1,69.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 121 पदों (63 चिकित्सक, माननीय उच्च न्यायालय का चिकित्सकों की नियुक्ति पर स्टे आर्डर के कारण, 42 नर्स/कम्पाउन्डर और 11 परिचारक) के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(02) निदेशन और प्रशासन-होम्योपैथी			
मू.	1,85.53		
पु.	- 90.94	94.59	94.59
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 90.94 लाख का समस्त प्रावधानों अभ्यर्षण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	9,01.78		
पु.	- 70.70	8,31.08	8,31.08
			..
₹ 70.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 324 पदों में से 157 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	3,37,20.22		
पु.	- 21,77.62	3,15,42.60	3,15,03.72
			- 38.88
₹ 21,77.62 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 38.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	3,82,30.71		
पु.	- 2,67.34		
	3,79,63.37	3,79,59.64	- 3.73
₹ 2,67.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	67,22.91		
पु.	- 17,43.49		
	49,79.42	49,75.31	- 4.11
31 मार्च 2014 को ₹ 17,43.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4.11 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	3,81,74.13		
पु.	- 62,20.80		
	3,19,53.33	3,19,51.84	- 1.49
₹ 62,20.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आयुर्वेद चिकित्सकों के साक्षात्कार के पश्चात् भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, (ii) ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों को परीक्षा अवधि में नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी गयी क्योंकि प्रकरण न्यायालय द्वारा विचारधीन था तथा (iii) ए.सी.पी. प्रकरणों के कम निस्तारण को आरोपित की गयी ।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	5,59.73		
पु.	- 67.11		
	4,92.62	4,92.62	..
₹ 67.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 39 पदों (23 चिकित्सक, माननीय उच्च न्यायालय का चिकित्सकों की नियुक्ति पर स्टे आर्डर के कारण और 16 नर्स/ कम्पाउन्डर) के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	5,37.89		
पु.	- 1,04.93		
	4,32.96	4,32.95	- 0.01
₹ 1,04.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 207 पदों में से 119 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग राज्यांश राशि (15 प्रतिशत)			
मू.	1,60.00		
पु.	- 1,60.00		
	
31 मार्च 2014 को ₹ 1,60.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा			
मू.	1,82.96		
पु.	- 92.79		
	90.17	90.16	- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 92.79 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	51,59.18		
पु.	- 9,26.95		
	42,32.23	41,78.38	- 53.85
₹ 9,26.95 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 53.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	41,06.64	36,43.59	36,43.56
पु.	- 4,63.05		
₹ 4,63.05 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	40,89.07	36,56.17	36,56.18
पु.	- 4,32.90		
₹ 4,32.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 221 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	47,67.97	40,22.14	40,21.82
पु.	- 7,45.83		
₹ 7,45.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 873 में से 422 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	35,66.88	29,36.53	29,36.52
पु.	- 6,30.35		
₹ 6,30.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 138 स्वीकृत पदों में से 134 पदों के रिक्त रहने और कुछ अवधि के लिये विद्यार्थियों को वजीफा का भुगतान उनके अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं होने के कारण नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	58,55.80		
पु.	- 38,74.15	19,81.65	19,81.65
			..
₹ 38,74.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	8,49.30		
पु.	-2,94.23	5,55.07	5,55.07
			..
₹ 2,94.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	7,61.90		
पु.	-2,43.13	5,18.77	5,18.77
			..
₹ 2,43.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न उपकरणों की निविदायें प्राप्त नहीं होने और आचार संहिता लागू होने के कारण पुनः निविदा में विलम्ब होने तथा (ii) वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (आर.एम.एस.सी.) से मशीनरी और उपकरणों के क्रय करने के निर्णय से व्यय कम होने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	6,25.30		
पु.	- 99.91	5,25.39	5,25.39
			..
₹ 99.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चुनाव आचार संहिता तथा कार्मिकों की चुनाव कार्य में व्यस्तता होने के कारण उपकरणों की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू.	3,69.27	2,97.83	2,96.86
पु.	- 71.44		
31 मार्च 2014 को ₹ 71.44 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
003. प्रशिक्षण			
(01) लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान			
[02] नर्सिंग कालेज, जोधपुर			
मू.	83.00	23.23	23.23
पु.	- 59.77		
₹ 59.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 53 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(01) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
मू.	68,21.65	57,95.96	57,93.70
पु.	-10,25.69		
₹ 10,25.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(05) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	6,06.96	4,78.44	4,78.43
पु.	-1,28.52		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,28.52 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(06) दृष्टि विकास की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम			
[19] दृष्टि विकास की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण			
मू.	5,68.08	4,80.29	4,80.21
पु.	- 87.79		
₹ 87.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(20) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	70,00.23		
पु.	-12,34.42		
		57,65.81	56,78.78
			- 87.03
₹ 12,34.42 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 87.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
102. खाद्य अपमिश्रण का निवारण			
मू.	3,10.65		
पु.	-1,37.72		
		1,72.93	1,72.83
			- 0.10
31 मार्च 2014 को ₹ 1,37.72 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
104. औषध नियंत्रण			
(01) औषध नियंत्रण स्थापना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	19,14.25		
अ.	0.01		
पु.	- 9,68.17		
		9,46.09	9,45.62
			- 0.47
₹ 9,68.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
(01) जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशालाएं			
मू.	9,10.64		
पु.	-5,26.25		
		3,84.39	3,84.23
			- 0.16
₹ 5,26.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	1,96,78.33		
पु.	- 98,39.13		
		98,39.20	98,39.20
			..
₹ 98,39.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी			
मू.	65,38.70	61,30.27	61,28.58
पु.	- 4,08.43		
31 मार्च 2014 को ₹ 4,08.43 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2211. परिवार कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	6,96.90	5,56.99	5,56.96
पु.	-1,39.91		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,39.91 लाख का प्रावधान नवीन सृजित प्री-कन्सेप्शन एवं प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीकल सेल के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[07] प्रथम प्रसव पर बी.पी.एल. महिलाओं को सहायता			
मू.	3,50.00	2,89.38	2,89.38
पु.	- 60.62		
₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान सरकारी संस्थाओं पर बी.पी.एल. महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 कि.ग्रा. सरस घी उपहार योजना हेतु अनुमानित था, परन्तु योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. महिला लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण 31 मार्च 2014 को ₹ 60.62 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] जिला परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	28,96.41	25,30.57	25,29.79
पु.	- 3,65.84		
₹ 3,65.84 लाख का प्रावधान नवीन सृजित प्री-कन्सेप्शन एवं प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीकल सेल के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	21,31.35		
पु.	- 1,99.28	19,32.07	19,28.73
			- 3.34
31 मार्च 2014 को ₹ 1,99.28 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया है।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[02] ग्रामीण उप केन्द्र			
मू.	3,46,97.58		
पु.	- 2,22.64	3,44,74.94	3,44,67.76
			- 7.18
₹ 2,22.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) यात्रा व्यय तथा वेतन एवं भत्तों पर व्यय कम होने तथा (ii) निःशुल्क दवा वितरण के कारण चिकित्सा व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 7.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू.	14,00.00	14,00.00	10,21.79
			- 3,78.21
₹ 14,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से सामग्री प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमानित किया गया किन्तु भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक सामग्री कम प्राप्त होने के कारण शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,78.21 लाख की अन्तिम बचत रही।			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	1,50,47.89		
अ.	94,56.48	2,02,87.01	2,02,87.01
पु.	- 42,17.36		..
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 94,56.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त निधियां जारी किये जाने की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने हेतु अनुमानित था।			
यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 42,17.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम क्रियान्विति (पी.आई.पी.) योजना राशि में कटौति के परिणामस्वरूप राज्यांश कम जारी करने से तथा अन्तिम किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित (₹ 28,57.37 लाख) एवं अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित (₹ 13,59.99 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [08] सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर	मू. 1,10,39.95 पु. 6,28.10	1,16,68.05	1,16,64.66 - 3.39

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,28.10 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[33] नवीन चिकित्सालय, कोटा

मू.	8,13.24	9,32.00	9,31.98	- 0.02
पु.	1,18.76			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,18.76 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) रिक्त पदों को भरने तथा (ii) राजस्थान चिकित्सा सेवाये निगम लिमिटेड (आर.एम.एस.आई.) द्वारा दवाओं की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण सभी वर्गों के मरीजों को निःशुल्क दवायें उपलब्ध कराने हेतु दवाओं की खरीद के लिये उपलब्ध कराई गयी।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(02) अस्पताल तथा औषधालय
[01] अस्पताल तथा औषधालय
(निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)

मू.	61,64.36	63,28.94	63,28.47	- 0.47
अ.	0.01			
पु.	1,64.57			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,64.57 लाख की अतिरिक्त निधियां होस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कोरपोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड, नोयडा द्वारा जमा करायी गयी अवशेष निधियों का उपयोग करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(06) सहायतार्थ अनुदान
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय
जोधपुर को अनुदान

मू.	15,16.15	16,67.90	16,67.90	..
पु.	1,51.75			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,51.75 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर पूंजीगत सम्पत्तियां सृजन करने हेतु अनुदान के लिये उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(01) शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,24,44.31		
		1,28,80.15	1,28,80.15
पु.	4,35.84		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,35.84 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	36,67.00		
		42,01.97	42,00.79
पु.	5,34.97		- 1.18

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,34.97 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2211. परिवार कल्याण			
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
(01) राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	14,39.09		
		16,04.81	16,04.46
पु.	1,65.72		- 0.35

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,65.72 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।

105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[03] अन्य अभिनव योजना			
मू.	35.01		
		88,20.21	88,20.21
पु.	87,85.20		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87,85.20 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में उद्घोषित मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना की क्रियान्विति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[11] असफल नसबन्दी प्रकरणों में मुआवजा			
अ .	0.01		
पु .	3,22.19	3,22.19	- 0.01

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,22.19 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में असफल नसबन्दी प्रकरणों के दावों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)
(15:85)
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

मू .	0.01		
पु .	13,59.99	13,60.00	13,60.00

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,59.99 लाख की अतिरिक्त निधियां शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से *राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन* के अन्तर्गत निधियां प्राप्त होने के पश्चात् राज्य के मैचिंग अंश जारी किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 42,79.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 74,26.24 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 42,79.78 लाख की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 43,03.89 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(07) निर्माण कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	46,02.12		
अ .	14,77.10	43,11.10	43,00.08
पु .	- 17,68.12		- 11.02

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 14,77.10 लाख का प्रावधान अस्पताल भवन निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 17,68.12 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 11.02 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(12) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य (डी.एम.एच.एस.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	32,53.70		
अ.	13,50.00	32,27.69	..
पु.	- 13,76.01		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹13,50.00 लाख का प्रावधान अस्पताल भवन निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 13,76.01 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(07) अन्य व्यय
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	8,26.69		
अ.	24,73.32	29,19.81	..
पु.	- 3,80.20		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 24,73.32 लाख का प्रावधान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में उपकरणों की खरीद तथा अस्पताल भवन के निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 3,80.20 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(07) अन्य व्यय
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर

मू.	15.02		
अ.	6,72.34	76.91	76.92 + 0.01
पु.	- 6,10.45		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,72.34 लाख का प्रावधान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में उपकरणों की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 6,10.45 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) उपकरणों की निविदायें प्राप्त नहीं होने और आचार संहिता लागू होने के कारण पुनः निविदायें आमंत्रित करने में विलम्ब होने तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में राजस्थान मेडिकल सेवाएं निगम लिमिटेड से क्रय करने के निर्णय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	16,00.01		
अ.	2,09.60	15,47.23	..
पु.	- 2,62.38		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,09.60 लाख का प्रावधान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में उपकरणों की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 2,62.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा मशीन व उपकरणों की खरीद पर रोक के कारण अभ्यर्पित की गयी।

6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिये कर्ज			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा विश्वविद्यालयों को उधार			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को उधार			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00

31 मार्च 2014 को ₹ 5,00.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	50.02		
पु.	1,77.45	2,27.47	2,48.75 + 21.28

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,77.45 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में मशीन एवं उपकरणों के क्रय की घोषणा की पालना में उपलब्ध करायी गयी।

₹ 21.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिये कर्ज			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन को उधार			
मू.	0.01		
		3,56.00	
पु.	3,55.99	3,56.00	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,55.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 027 - पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2215. जलपूर्ति तथा सफाई

पूंजी - 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	21,06,25,91	22,70,57,79	21,58,44,60	- 1,12,13,19
अनुपूरक	1,64,31,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				90,97,93
प्रभारित				
मूल	5,00	60,00	41,76	- 18,24
अनुपूरक	55,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				17,00

पूंजी

दत्तमत				
मूल	20,22,37,60	22,57,45,78	20,57,04,49	- 2,00,41,29
अनुपूरक	2,35,08,18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,36,40,58

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 1,12,13.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹1,64,31.88 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 1,12,13.19 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 21,15.26 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष				
2215. जलपूर्ति तथा सफाई				
01. जलपूर्ति				
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				
(01) जलपूर्ति योजना, अजमेर				
मू.	97,01.36	1,05,22.43	1,05,17.35	- 5.08
अ.	14,00.00			
पु.	- 5,78.93			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर			
मू.	38,45.93		
अ.	1,56.40	37,14.57	36,35.09
पु.	- 2,87.76		- 79.48
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जलपूर्ति योजना, जयपुर			
मू.	1,68,54.42		
अ.	19,11.76	1,80,37.63	1,80,05.05
पु.	- 7,28.55		- 32.58
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर			
मू.	54,01.81		
अ.	4,00.00	55,36.60	53,59.67
पु.	- 2,65.21		- 1,76.93
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(09) जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जोधपुर			
मू.	86,16.57		
अ.	12,00.00	95,61.03	95,56.25
पु.	- 2,55.54		- 4.78
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा			
मू.	42,10.67		
अ.	4,00.00	44,25.65	43,94.75
पु.	- 1,85.02		- 30.90
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर			
मू.	40,31.30		
अ.	3,90.00	43,48.25	41,43.63
पु.	- 73.05		- 2,04.62

उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 58,58.16 लाख का प्रावधान मुख्यतः जलपूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु विद्युत प्रभार एवं संविदा व्ययों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 23,74.06 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 5,34.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(03) जलपूर्ति योजना, बाड़मेर			
मू.	5,87.61		
पु.	- 1,61.82	4,25.79	4,24.65
			- 1.14
₹ 1,61.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(12) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	3,57,97.85		
अ.	43,96.82	3,97,72.68	3,93,74.32
पु.	- 4,21.99		- 3,98.36
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 43,96.82 लाख का प्रावधान जलपूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 4,21.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भुगतान के लिए बिल प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 3,98.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(16) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (शहरी)			
[36] वाहनों का किराया			
मू.	3,00.00		
पु.	- 1,70.00	1,30.00	1,25.17
			- 4.83
31 मार्च 2014 को ₹ 1,70.00 लाख के प्रावधान के अभ्यर्षण करने तथा ₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	7,93,29.76		
अ.	56,10.93	8,13,46.00	8,06,87.77
पु.	- 35,94.69		- 6,58.23
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 56,10.93 लाख का प्रावधान मुख्यतः विद्युत प्रभार, जल वितरण व्यवस्था में सुधार तथा संविदा व्यय पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 35,94.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) टेण्डर प्रक्रिया में विलम्ब तथा (iii) भुगतान के लिए बिल प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 6,58.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(03) जनता जल योजनान्तर्गत संधारण			
मू.	0.01		
अ.	2,65.97	46.98	35.83
पु.	- 2,19.00		- 11.15
<p>फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,65.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः जलपूर्ति योजनाओं के संचालन पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।</p> <p>31 मार्च 2014 को ₹ 2,19.00 लाख का प्रावधान भुगतान हेतु बिलों के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p> <p>₹ 11.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।</p>			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (ग्रामीण)			
[36] वाहनों का किराया			
मू.	7,00.00		
पु.	- 4,65.00	2,35.00	2,25.04
<p>31 मार्च 2014 को ₹ 4,65.00 लाख का प्रावधान भुगतान हेतु बिलों के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p> <p>₹ 9.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।</p>			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
मू.	25,13.69		
पु.	- 2,15.79	22,97.90	22,69.34
<p>₹ 28.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।</p>			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पर्यवेक्षण			
मू.	28,18.71		
पु.	- 53.41	27,65.30	26,94.18
<p>₹ 71.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।</p>			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निष्पादन			
मू.	1,97,57.45		
पु.	- 11,06.20		
	1,86,51.25	1,83,23.62	- 3,27.63

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 13,75.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,27.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शिल्पशाला			
मू.	46,20.27		
पु.	- 5,62.67		
	40,57.60	40,42.54	- 15.06

31 मार्च 2014 को ₹ 5,62.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भुगतान के लिए बिल प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।

₹ 15.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(05) जलपूर्ति योजना, भीलवाड़ा			
मू.	13,33.11		
पु.	1,23.70		
	14,56.81	14,55.19	- 1.62

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,23.70 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य की गति को बढ़ाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,00,41.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,35,08.18 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,35,08.10 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 2,00,41.29 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 64,00.71 लाख अन्वर्धित रहे।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 10,71,44.25 लाख, ₹ 7,05,24.69 लाख, ₹ 5,93,18.06 लाख, ₹ 1,78,04.63 लाख तथा ₹ 2,00,41.29 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल बजट की 8.88 प्रतिशत से 40.25 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों के अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	1,55,69.95		
पु.	- 16,19.95	1,39,50.00	1,39,32.99
			- 17.01
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	35,14.00		
पु.	- 10,36.00	24,78.00	24,61.38
			- 16.62
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर (ई. ए. पी.)			
मू.	54,44.22		
पु.	- 10,04.20	44,40.02	44,40.67
			+ 0.65
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 36,60.15 लाख की प्रत्याशित बचत तथा शीर्ष "4215-01-101 (01) [02] तथा [17]" के अन्तर्गत ₹ 33.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं क्रमोन्नयन			
मू.	5,00.00		
पु.	- 3,57.40	1,42.60	1,42.52
			- 0.08
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,55.90	3,44.10	3,44.05
			- 0.05

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[28] जोधपुर राजीव गाँधी लिफ्ट केनाल-द्वितीय चरण			
मू.	3,37.15		
पु.	- 1,54.23	1,82.92	1,82.92
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[37] अजमेर-बीसलपुर जलपूर्ति परियोजना फैज- II (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)			
मू.	2,45.84		
पु.	- 2,45.84
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[46] नर्मदा परियोजना			
मू.	5,26.69		
पु.	- 2,54.91	2,71.78	2,71.78
उपरोक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 11,68.28 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[12] बीसलपुर परियोजना से जयपुर को जलपूर्ति (जे बी आई सी)			
मू.	7,02.40		
पु.	- 6,48.67	53.73	- 12,26.28 - 12,80.01

ऋण व्यय राज्य सरकार और सेना के मध्य हुए समझौते के अनुसार बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना से छावनी क्षेत्र, जयपुर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सेना की एम ई एस यूनिट से प्राप्त हिस्सा राशि ₹ 12,26.28 लाख जमा कराने के कारण था।

31 मार्च 2014 को ₹ 7,02.40 लाख के कुल प्रावधान में से, ₹ 6,48.67 लाख के प्रावधान के प्रत्याशित बचत के रूप में अभ्यर्पित करने तथा ₹ 53.73 लाख अंतिम बचत के रूप में निधि के शेष रहे हिस्से के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना			
मू.	3,51.20	..	- 5,25.44
पु.	- 3,51.20		- 5,25.44
₹ 5,25.44 लाख का ऋण व्यय मोबिलाईजेशन पेशगी की वसूली के विरुद्ध बैंक गारन्टी के नकदीकरण के कारण था।			
31 मार्च 2014 को ₹ 3,51.20 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना, फैज-II			
मू.	63,59.19
पु.	- 63,59.19		..
₹ 63,59.19 लाख का प्रावधान जलपूर्ति योजना हेतु निर्माण कार्यों के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 63,59.19 लाख का समस्त प्रावधान टेण्डर प्रक्रिया में देरी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[70] कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेंस इत्यादि			
मू.	1,00.00	5.82	5.82
पु.	- 94.18		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[72] चम्बल-बूंदी जल प्रदाय परियोजना			
मू.	14,04.80	8,02.40	8,02.21
पु.	- 6,02.40		- 0.19

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[80] पिपलाद जलपूर्ति योजना			
मू.	4,38.00		
पु.	- 2,67.00	1,71.00	1,71.00
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(05) देवास परियोजना			
[01] जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से			
मू.	9,80.40		
पु.	-4,90.20	4,90.20	4,90.20
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(09) तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य			
मू.	47,15.80		
पु.	- 2,23.80	44,92.00	44,91.89
01. जलपूर्ति			- 0.11
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[23] बीसलपुर बांध से टोंक-उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना			
मू.	31,60.80		
पु.	- 8,91.92	22,68.88	22,68.88
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[36] फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	20,15.89		
पु.	- 3,34.89	16,81.00	16,81.03
			+ 0.03

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[40] केरु-बेरु-जोलियाली-फेज- II जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	1,07.18		
पु.	-1,02.27	4.91	4.91
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[44] देवास परियोजना-फेज- II (नाबार्ड)			
मू.	1,75.00		
पु.	- 87.50	87.50	87.50
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्मदा-गुड़ामालानी जलपूर्ति योजना			
मू.	14,04.80		
पु.	- 6,08.64	7,96.16	7,96.16
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	3,00.00		
पु.	-1,22.15	1,77.85	1,77.82
01. जलपूर्ति			- 0.03
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनः स्थापना			
मू.	18,00.00		
पु.	- 2,61.81	15,38.19	15,38.19
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनः स्थापना			
मू.	18,00.00		
पु.	- 2,61.81	15,38.19	15,38.19

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(18) बीसलपुर-दूदू जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	21,07.20		
पु.	- 5,13.75	15,93.45	15,93.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चुरू-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना फ़ैज-II)			
मू.	28,11.20		
पु.	- 2,20.69	25,90.51	25,90.51
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(25) नहरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत			
मू.	10,00.00		
पु.	- 4,79.00	5,21.00	5,20.99
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(35) रिंस की खरीद एवं पुनः उपयोग हेतु			
मू.	6,00.00		
पु.	- 4,50.00	1,50.00	1,49.22
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(47) नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	5,85.80		
पु.	-3,30.67	2,55.13	2,55.13
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का सुदृढीकरण रिजूविनेशन			
मू.	7,00.00		
पु.	-2,23.09	4,76.91	4,76.91

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(49) तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य			
मू.	55,71.40		
पु.	- 2,06.65	53,64.75	- 0.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(51) ग्रामीण जल प्रदाय योजना-भीमनी			
मू.	6,54.64	4,85.10	..
पु.	- 1,69.54	4,85.10	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(52) ग्रामीण जल प्रदाय योजना-माधवी			
मू.	6,46.96	5,69.04	..
पु.	- 77.92	5,69.04	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(55) राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	19,91.94	18,63.72	..
पु.	- 1,28.22	18,63.72	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(56) स्वजल धारा स्कीम के अन्तर्गत किसी जल उपयोगना का एक वर्ष तक सफल संधारण पूर्ण होने पर बी.डब्ल्यू.एस.सी. को एक मुश्त अनुदान			
मू.	1,54.13
पु.	- 1,54.13
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(59) निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गाँवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	10,53.60	3,87.43	..
पु.	- 6,66.17	3,87.43	..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	7,02.40
पु.	- 7,02.40
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(62) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	7,02.40
पु.	- 7,02.40
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	10,57.00	6,30.64	..
पु.	- 4,26.36	6,30.64	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(66) पिपलाद जलपूर्ति योजना			
मू.	4,38.00	68.53	..
पु.	-3,69.47	68.53	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(71) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना- क्लस्टर			
मू.	31,72.50	27,54.00	..
पु.	- 4,18.50	27,54.00	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	14,10.00	10,34.10	..
पु.	- 3,75.90	10,34.10	..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	10,57.50		
पु.	- 3,37.87	7,19.63	7,19.63
			..
उपरोक्त इक्कीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 1,10,39.49 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[65] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/ स्थापना/संचालन एवं संधारण			
मू.	14,05.60		
पु.	-12,34.28	1,71.32	1,71.32
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[75] 200 एमएलडी जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	23,88.16		
पु.	- 14,40.70	9,47.46	9,47.46
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[79] गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	10,57.00		
पु.	-10,57.00
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[82] इसरदा बांध का निर्माण (सिंचाई विभाग के माध्यम से)			
मू.	16,92.00		
पु.	- 16,83.56	8.44	8.44
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(08) मूल्यहास आरक्षित निधि के विरुद्ध जलपूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार			
मू.	64,37.01		
पु.	-37,37.01	27,00.00	26,81.40
01. जलपूर्ति			- 18.60
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[24] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतिवाड़ा जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	21,07.20		
पु.	-12,35.20	8,72.00	8,72.00
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानियां-ओसियां-बावड़ी- भोपालगढ़ जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	20,70.00		
पु.	- 9,67.00	11,03.00	11,03.00
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	12,58.20		
पु.	- 10,18.50	2,39.70	2,39.70
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू.	25,46.60		
पु.	-12,53.70	12,92.90	12,92.90
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(40) डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	11,23.84		
पु.	-10,80.60	43.24	43.24
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई. ए. पी.)			
मू.	70,24.00		
पु.	-15,03.44	55,20.56	55,20.56
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बौरावास-मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	17,56.00		
पु.	-12,80.60	4,75.40	4,75.40
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	21,25.00		
पु.	-15,68.18	5,56.82	5,56.82
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना-II			
मू.	26,13.30		
पु.	-9,04.82	17,08.48	17,08.48
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(70) बारं क्लस्टर परियोजना			
मू.	10,57.50		
पु.	-9,05.83	1,51.67	1,51.67
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(73) नर्मदा परियोजना एल. एल. और एल. यू (आर.डी.74 पर)			
मू.	28,20.00		
पु.	-27,09.75	1,10.25	1,10.25

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(74) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज-I पार्ट-II			
मू.	39,42.08		
पु.	-13,69.16	25,72.92	25,72.92
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(77) नोखा-बीकानेर परियोजना (जी.एल.सी.) गजनेर लिफ्ट नहर			
मू.	26,13.30		
पु.	-26,11.80	1.50	1.50
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (सिंचाई विभाग के माध्यम से)			
मू.	16,92.00		
पु.	-16,92.00
उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,92,53.13 लाख की प्रत्याशित बचत तथा शीर्ष "4215-01-101(08)" के अंतर्गत ₹18.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
799. उचंत			
(02) विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम			
मू.	5,00.00		
पु.	-4,08.44	91.56	58.45
31 मार्च 2014 को ₹ 4,08.44 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने तथा ₹ 33.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जलपूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू.	40.00		
पु.	1,31.12	1,71.12	1,71.12
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	1,45.84		
पु.	1,63.66	3,09.50	3,09.50
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[33] चूरु-झुन्झुनू जलप्रदाय योजना (आपणी योजना फैंज- II)			
मू.	0.01		
पु.	23,79.99	23,80.00	23,80.00
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[45] पोकरण-फलसूंड (फलौदी) जल प्रदाय योजना			
मू.	0.01		
पु.	27,30.52	27,30.53	27,30.53
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	3,51.20		
पु.	9,07.06	12,58.26	12,58.26
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[51] राजगढ़-बूगी जल प्रदाय योजना			
मू.	0.01		
पु.	13,59.99	13,60.00	13,60.00

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[54] शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन एवं अन्य अभिकरणों पर आधारित योजनाएं (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)			
मू.	70.24		
पु.	1,28.06	1,98.30	1,98.30
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना			
मू.	17,56.00	25,09.46	25,09.46
पु.	7,53.46		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[67] बौरावास-मंडाना जल प्रदाय योजना			
मू.	0.01	3,20.59	3,20.59
पु.	3,20.58		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	0.01	45,45.86	45,45.86
पु.	45,45.85		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[76] शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर (शहरी)			
मू.	7,02.40	10,20.00	10,20.00
पु.	3,17.60		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[77] उम्मेद सागर-धावा-समदडी-खंडप जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	7,02.40		
पु.	2,17.14	9,19.54	9,19.54
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
अ.	0.01		
पु.	43,65.03	43,65.04	43,65.04
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)			
मू.	0.01		
पु.	6,03.29	6,03.30	6,03.28 - 0.02
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[21] डांग क्षेत्र जलपूर्ति योजना, धौलपुर (नाबार्ड)			
मू.	0.01		
पु.	1,50.32	1,50.33	1,50.33
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[31] कोलायत तहसील जलपूर्ति योजना			
मू.	0.01		
पु.	3,51.82	3,51.83	3,51.83

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनीया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	0.01		
पु.	11,77.99	11,78.00	11,77.98
			- 0.02
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	0.01		
पु.	11,29.99	11,30.00	11,30.00
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइपों द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई			
02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता			
व्यय (प्रोरेटा)			
मू.	31,43.35		
पु.	4,17.98	35,61.33	35,61.33
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से			
स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण			
प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	17,88.71		
पु.	35,11.29	53,00.00	52,90.75
			- 9.25
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	48,30.00		
पु.	5,42.92	53,72.92	53,71.28
			- 1.64

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	0.01		
पु.	8,99.99	9,00.00	8,99.42 - 0.58
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(38) नागौर लिफ्ट कैनाल			
मू.	0.01		
पु.	7,69.99	7,70.00	7,68.50 - 1.50
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(54) फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	52,68.00		
पु.	11,24.20	63,92.20	63,92.20 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(60) नर्मदा परियोजना (डी.आर.)			
मू.	7,02.40		
पु.	2,49.60	9,52.00	9,52.00 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(63) जवाई-पाली-जोधपुर पाइपलाईन परियोजना फेज-2 (क्लस्टर परियोजना)			
मू.	0.01		
पु.	5,09.99	5,10.00	5,10.00 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर -दूदू परियोजना-चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू.	28,20.00		
पु.	6,07.48	34,27.48	34,27.53 + 0.05

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(69) बीसलपुर-दूदू परियोजना-सांभर तहसील की ढाणियाँ			
मू.	14,10.00		
पु.	1,53.07	15,63.07	15,63.07
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	10,57.00		
पु.	6,43.68	17,00.68	17,00.67
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(76) बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	26,13.30		
पु.	2,19.68	28,32.98	28,32.98
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(80) कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
अ .	0.01		
पु .	13,53.58	13,53.59	13,53.59
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(81) नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जल पूर्ति परियोजना (205 गांव)			
अ .	0.01		
पु .	22,28.72	22,28.73	22,28.73
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(82) राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना से बावड़ीकलां-खारा एवं जलोदा जल पूर्ति परियोजना			
अ .	0.01		
पु .	7,16.52	7,16.53	7,16.53

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(84) भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
अ.	0.01		
		16,90.88	16,90.88
पु.	16,90.87		..

उपरोक्त चौतीस शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,73,73.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा शीर्ष "4215-01-102(03)[05]" के अंतर्गत ₹ 9.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति
- (03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
- [01] अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं

मू.	1,74,00.01			
अ.	2,35,08.09	4,78,48.44	4,77,68.10	- 80.34
पु.	69,40.34			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,35,08.09 लाख का प्रावधान ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के निर्माण पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69,40.34 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 80.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान में कटौति/आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II (ई.ए.पी.)			
मू.	70,24.00		
		5,39.11	8,33.23
पु.	- 64,84.89		+ 2,94.12

31 मार्च 2014 को ₹ 64,84.89 लाख अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 2,94.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
799. उचंत			
(01) स्टॉक			
मू.	1,50,00.00		
		1,61,37.72	1,14,54.56
पु.	11,37.72		- 46,83.16

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 11,37.72 लाख की अतिरिक्त निधियां अनावश्यक थी क्योंकि व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

₹ 11,37.72 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 46,83.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

7. **उचन्त लेन-देन**: 2013-14 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचंत उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+) 33,12.67	1,14,54.56	1,17,42.08	(+) 30,25.15
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 30,65.42	58.45	17.65	(+) 31,06.22
योग	(+) 63,78.09	1,15,13.01	1,17,59.73	(+) 61,31.37

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और

2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	52,01,10	52,01,10	21,62,15	- 30,38,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				30,38,89
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,80,80,01	2,80,80,01	2,80,67,60	- 12,41
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(02) समन्वित जल ग्रहण विकास हेतु				
[01] कार्यकलाप संबंधी				
मू.	31,62.60			
पु.	- 31,62.60

अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)

31 मार्च 2014 को ₹ 31,62.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मैचिंग हिस्सा नहीं जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 22,92.58 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,70.02 लाख) किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थागत व्यय हेतु (राज्यांश)			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	2,76.67	14.86	14.86
पु.	-2,61.81		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,61.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू.	10,10.00	13,37.34	13,37.33
पु.	3,27.34		-0.01

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,27.34 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास और

3055. सड़क परिवहन

पूंजी – 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय ,

5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और

7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	23,52,45,31	23,86,94,88	21,75,57,23	- 2,11,37,65
अनुपूरक	34,49,57			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,10,48,46
प्रभारित				
मूल	3	7,15	7,13	- 2
अनुपूरक	7,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	13,96,01,43	14,60,01,48	10,45,02,29	- 4,14,99,19
अनुपूरक	64,00,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				3,98,31,67
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 2,11,37.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 34,49.57 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 34,49.56 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल.आवास योजना तथा अन्य योजनाओं का प्रचार, (ii) दस्तकार योजना तथा (iii) जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय सेन्टर (हैबीटेड सेन्टर) के निर्माण में राज्य सरकार के अंशदान पर व्यय हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान की तुलना में कम था।
2. ₹ 2,11,37.65 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 89.19 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	42,18.98		
पु.	-31,79.13	10,39.85	..

31 मार्च 2014 को ₹ 31,79.13 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) स्थानीय निकायों के संचालक

मू.	9,00.98			
अ.	17,99.99	23,60.30	23,59.48	- 0.82
पु.	-3,40.67			

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 17,99.99 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना अन्य योजनाओं के प्रचार हेतु लिया गया।

यद्यपि, ₹ 3,40.67 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य

191. नगर निगमों को सहायता

(01) सामान्य अनुदान

[01] निर्बन्ध अनुदान

मू.	75,19.96			
पु.	- 36,63.20	38,56.76	38,56.76	..

₹ 36,63.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(05) जयपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान			
मू.	0.02		
अ.	12,49.40
पु.	-12,49.42		

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 12,49.40 लाख का प्रावधान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान अन्तराष्ट्रीय केन्द्र (हेबिटेड सेन्टर) के निर्माण में राजस्थान सरकार के अंशदान हेतु लिया गया।

यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 12,49.42 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(29) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत बिलों का भुगतान			
मू.	90,00.00		
		83,85.70	83,85.70
पु.	- 6,14.30		..

31 मार्च 2014 को ₹ 6,14.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	3,51.55		
	
पु.	- 3,51.55		..

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(31) मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना			
[01] सामान्य कार्यकलाप गतिविधियां			

मू.	6,42.46		
	
पु.	-6,42.46		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 9,94.01 लाख को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(32) जोधपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान			
मू.	50,00.00
पु.	- 50,00.00		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान जोधपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[01] निर्बन्ध अनुदान			
मू.	1,70,92.62	1,54,85.43	..
पु.	- 16,07.19	1,54,85.43	

31 मार्च 2014 को ₹ 16,07.19 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(03) विशेष अनुदान			
मू.	6,16,36.60	5,51,97.19	..
पु.	- 64,39.41	5,51,97.19	

31 मार्च 2014 को ₹ 64,39.41 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को विशेष अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,66,92.75	1,61,89.06	..
पु.	- 5,03.69	1,61,89.06	

31 मार्च 2014 को ₹ 5,03.69 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(28) तैरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू.	1,30,77.30		
		1,24,77.61	1,24,77.61
पु.	- 5,99.69		..
31 मार्च 2014 को ₹ 5,99.69 लाख का प्रावधान तैरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए भारत सरकार से सामान्य बुनियादी अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.) (10:10:80)			
[01] विकास कार्य			
मू.	86,05.78		
		55,96.60	55,08.51
पु.	-30,09.18		- 88.09
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत बिलों का भुगतान			
मू.	85,00.00		
		55,29.49	55,29.49
पु.	-29,70.51		..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[02] राजस्थान शहरी विकास कोष (आर. यू. डी. एफ.) को हस्तान्तरण			
मू.	5,00.00		
	
पु.	- 5,00.00		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 64,79.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "2217-80-192(22) [01] " के अंतर्गत ₹ 88.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(35) मुख्यमंत्री शहरी बी. पी. एल. आवास योजना			
[01] सामान्य कार्यकलाप गतिविधियां			
मू.	19,04.95
पु.	-19,04.95		
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[01] विद्युत प्रभार हेतु			
मू.	15,80.96	9,41.57	9,41.57
पु.	- 6,39.39		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 25,44.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(12) दस्तकार योजना			
[01] नगरीय विकास विभाग के माध्यम से			
अ .	4,00.01
पु .	-4,00.01		
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा ₹ 4,00.01 लाख का प्रावधान दस्तकार योजना हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2014 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	17,58.08	5,00.00	5,00.00
पु .	- 12,58.08		..
31 मार्च 2014 को ₹ 12,58.08 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	0.04	2,48.70	2,48.70
पु.	2,48.66		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,48.66 लाख की अतिरिक्त निधियां अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(03) विशेष अनुदान			
मू.	4,45,79.07	5,09,33.12	5,09,33.12
पु.	63,54.05		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,54.05 लाख की अतिरिक्त निधियां नगर निगमों को विशेष अनुदान हेतु करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	61,73.38	66,35.39	66,35.39
पु.	4,62.01		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,62.01 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(27) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू.	47,79.70	57,87.50	57,87.50
पु.	10,07.80		..

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(28) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान			
मू.	37,31.71	48,43.70	48,43.70
पु.	11,11.99		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,19.79 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को अधिक अनुदान जारी किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(29) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान			
मू.	84,67.29	1,30,54.08	1,30,54.08
पु.	45,86.79		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,86.79 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अधिक अनुदान जारी किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 4,14,99.19 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 64,00.05 लाख मुख्यतः (i) एन.सी.आर. परिवहन निगम की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान, (ii) जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड को कर्ज, (iii) पांच नये शहरी सुधार न्यासों के सृजन तथा (iv) राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कर्ज अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 4,14,99.19 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 16,67.52 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	11,66.03	27.14	26.52
पु.	-11,38.89		- 0.62

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[04] अग्नि शमन सेवाएँ			
मू.	7,09.34		
पु.	-7,09.34		
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिये			
मू.	47,09.20		
पु.	- 20,00.00		
		27,09.20	27,09.20
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 38,48.23 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(03) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य			
मू.	2,81,91.41		
पु.	- 2,21,39.82		
		60,51.59	60,51.59
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,21,39.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 99,34.54 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,22,05.28 लाख) किया गया।			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना (आई. एच. एस. डी. पी.)			
मू.	1,42,32.77		
पु.	- 41,90.86		
		1,00,41.91	1,00,41.91
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 41,90.86 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	12.34		
		5,12.34	- 5,04.06
			- 10,16.40
₹ 5,04.06 लाख का ऋण व्यय यू.आई.टी. कोटा से ₹ 10,16.40 लाख के अंशदान की प्राप्ति एवं आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर द्वारा जमा कराने के कारण था।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	2,94,99.81		
पु.	- 68,07.43		
		2,26,92.38	2,20,41.89
			- 6,50.49
₹ 74,57.92 लाख (₹ 68,07.43 लाख और ₹ 6,50.49 लाख) की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार-आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[01] नगर पालिका/नगर परिषद, अलवर			
मू.	0.01		
पु.	- 0.01		
		..	- 54.62
			- 54.62
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार-आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[02] नगर पालिका/नगर परिषद, भरतपुर			
मू.	0.01		
पु.	- 0.01		
		..	- 1,13.77
			- 1,13.77

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[06] नगर पालिका/नगर परिषद, झालावाड़			
मू.	0.01	..	- 73.86
पु.	- 0.01		- 73.86
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[11] नगर पालिका/नगर परिषद, जैसलमेर			
मू.	0.01	..	- 5,48.03
पु.	- 0.01		- 5,48.03

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,90.28 लाख का ऋण व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान स्थानान्तरित की गयी अधिक राशि के समायोजन के कारण था।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
(01) मेट्रो रेल परियोजना
[01] जयपुर मेट्रो रेल कापोरेशन लिमिटेड

मू.	1,50,00.01
पु.	-1,50,00.01		..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,50,00.01 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(04) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	7,23.50	70,77.36	..
पु.	63,53.86	70,77.36	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,53.86 लाख की अतिरिक्त निधियां राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत के लिए उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फ़ैज-2			
[03] नगर पालिका/नगर परिषद, धौलपुर			
मू.	0.01		
		4,07.28	4,07.28
पु.	4,07.27		..
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फ़ैज-2			
[04] नगर पालिका/नगर परिषद, सवाई माधोपुर			
मू.	0.01		
		50.91	50.91
पु.	50.90		..
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फ़ैज-2			
[07] नगर पालिका/नगर परिषद, राजसमन्द			
मू.	0.01		
		9,11.88	9,11.88
पु.	9,11.87		..
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फ़ैज-2			
[08] नगर पालिका/नगर परिषद, बांरा			
मू.	0.01		
		52.30	52.30
पु.	52.29		..

अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[09] नगर पालिका/नगर परिषद, बून्दी			
मू.	0.01		
पु.	2,78.43	2,78.44	2,78.44 ..
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[13] नगर पालिका/नगर परिषद, सीकर			
मू.	0.01	18,57.59	18,57.59 ..
पु.	18,57.58		
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फैंज-2			
[15] नगर पालिका/नगर परिषद, चुरू			
मू.	0.01	15,98.78	23,89.07 + 7,90.29
पु.	15,98.77		
उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51,57.11 लाख की अतिरिक्त निधियां विभिन्न नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
शीर्ष "6217-03-192(01) [15] " के अंतर्गत ₹ 7,90.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	23,99.99	29,00.00	29,00.00 ..
पु.	5,00.00		

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 23,99.99 लाख का प्रावधान जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड को कर्ज हेतु लिया गया। आगे, 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2055.	पुलिस,
	2056.	जेल,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2216.	आवास,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम तथा रोजगार,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर
 पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल 33,72,27,57

अनुपूरक 1,87,43,63

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2014)

प्रभारित

मूल 9

अनुपूरक 59

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2014)

35,59,71,20 32,53,42,78 - 3,06,28,42

3,04,04,51

68 60 - 8

8

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	16,48,58,67	18,22,65,43	15,99,81,78	- 2,22,83,65
अनुपूरक	1,74,06,76			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,29,45,06

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- अगस्त 2013 (₹ 0.88 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 1,87,42.75 लाख) में लिया गया ₹ 1,87,43.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 3,06,28.42 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,23.91 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(01) भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से				
[01] भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)				
मू.	8,13.34
पु.	- 8,13.34			

31 मार्च 2014 को ₹ 8,13.34 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं पुनःसर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2202. सामान्य शिक्षा

01. प्रारम्भिक शिक्षा

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर

की पंचायतों को सहायता

(09) जन जाति क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)

[01] स्थापना व्यय

मू.	18,84.35	15,31.17	15,29.28	- 1.89
पु.	- 3,53.18			

₹ 3,53.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/संस्थापन			
[02] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	30,04.00		
पु.	- 5,91.72	24,12.28	24,12.08
			- 0.20
₹ 5,91.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा अन्य प्रभारों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(15) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	35,28.00		
पु.	- 27,80.57	7,47.43	7,43.62
			- 3.81
₹ 27,80.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुफ्त शिक्षा के लिए लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कम होने को तथा अराजकीय विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण वास्तविक फीस के बजाय 2012-13 की सत्यापित पुनर्भरण फीस के आधार पर किये जाने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[03] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	18,90.00		
अ.	0.01	10,68.69	10,68.69
पु.	- 8,21.32		..
₹ 8,21.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	3,41,24.87		
पु.	- 83,60.28	2,57,64.59	2,57,64.16
			- 0.43

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिका विद्यालय			
मू.	29,90.40		
पु.	- 3,96.21	25,94.19	25,97.16 + 2.97

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 87,56.49 लाख की प्रत्याशित बचत जनजातीय क्षेत्रीय विकास क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरदराज विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)
[03] आवासीय विद्यालयों का संचालन

मू.	2,69.34			
पु.	-1,23.64	1,45.70	1,45.71	+ 0.01

31 मार्च 2014 को ₹ 1,23.64 लाख प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा खाद्य सामग्रियों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. माध्यमिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(20) माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर सुविधा

मू.	3,61.95			
पु.	-3,61.95

31 मार्च 2014 को ₹ 3,61.95 लाख का समस्त प्रावधान चुनाव आचार संहिता के कारण वर्ष के दौरान माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(03) अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता

मू.	4,00.00			
पु.	-3,82.00	18.00	18.00	..

31 मार्च 2014 को ₹ 3,82.00 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[01] कॉलेज छात्रावासों का संचालन			
मू.	99.00
पु.	- 99.00
31 मार्च 2014 को ₹ 99.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर			
मू.	2,54.65	53.52	..
पु.	-2,01.13	53.52	..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,01.13 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	2,59.70	1,43.27	..
पु.	-1,16.43	1,43.27	..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,16.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	1,88.40	81.60	..
पु.	-1,06.80	81.60	..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,06.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए पॉलिटेक्निक विद्यालय			
मू.	2,25.00
पु.	- 2,25.00
31 मार्च 2014 को ₹ 2,25.00 लाख का समस्त प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल को अनुदान			
मू.	2,45.68	1,08.65	1,08.65
अ.	0.02		..
पु.	- 1,37.05		
₹ 1,37.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	40,17.75	32,01.73	31,99.59
पु.	- 8,16.02		- 2.14
₹ 8,16.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	12,35.00	1,58.74	1,58.73
पु.	-10,76.26		- 0.01
₹ 10,76.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	66,82.41		
पु.	-14,68.54	52,13.87	52,13.32
			- 0.55

₹ 14,68.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा अनुबन्ध व्यय पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

मू.	3,30.40			
पु.	-1,81.19	1,49.21	1,49.21	..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,81.19 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(01) आयुर्वेद
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-राज्यांश राशि

मू.	95.00			
पु.	- 95.00

31 मार्च 2014 को ₹ 95.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय
समूह, अजमेर

मू.	2,87.81			
पु.	- 2,54.40	33.41	33.41	..

₹ 2,54.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	8,46.70	3,17.98	3,17.98
पु.	- 5,28.72		..
₹ 5,28.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर प्रतिबन्ध को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	7,60.35	4,23.24	4,23.25
पु.	- 3,37.11		+ 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 3,37.11 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 100 स्वीकृत पदों में से 58 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों, (ii) मशीनों एवं उपकरणों के लिए खरीद आदेश जारी नहीं किये जाने तथा (iii) कम्प्यूटरीकरण के लिये दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
मू.	5,49.29	3,84.52	3,84.51
पु.	-1,64.77		- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 1,64.77 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	14,80.00	10,23.30	10,19.18
पु.	- 4,56.70		- 4.12
₹ 4,56.70 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	35,16.85		
		17,58.40	17,58.40
पु.	- 17,58.45		..
₹ 17,58.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य			
सेवाएं के माध्यम से			
मू.	13,00.13		
		11,42.25	11,35.56
पु.	- 1,57.88		- 6.69
₹ 1,57.88 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[03] निर्बंध अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	13,43.92		
		7,34.97	7,34.97
पु.	- 6,08.95		..
31 मार्च 2014 को ₹ 6,08.95 लाख का प्रावधान सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(31) मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना			
[03] सामान्य कार्यकलाप गतिविधियां			
मू.	1,17.90		
	
पु.	-1,17.90		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,17.90 लाख का समस्त प्रावधान सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[03] निर्बंध अनुदान (अनुसूचित जन जातियों के लिए)			
मू.	30,37.50		
पु.	- 3,17.15	27,20.35	27,20.35
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,17.15 लाख का प्रावधान सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	29,19.64		
पु.	- 1,50.10	27,69.54	27,69.54
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,50.10 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के तहत सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आइ.डी.एस.एस.एम.टी.)			
(10:10:80)			
[03] विकास कार्य			
मू.	15,37.97		
पु.	- 5,27.74	10,10.23	10,10.23
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 5,27.74 लाख का प्रावधान सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(35) मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना			
[03] सामान्य कार्यकलाप गतिविधियां			
मू.	3,49.56		
पु.	-3,49.56
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,49.56 लाख का समस्त प्रावधान सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (वि.के.स.)			
मू. 29,64.97	23,27.80	23,27.80	..
पु. - 6,37.17			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता			
मू. 5,40.00	3,00.00	3,00.00	..
पु. - 2,40.00			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[14] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/ स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू. 5,00.00	1,15.00	1,15.00	..
पु. -3,85.00			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[18] कौशल विकास परियोजना			
मू. 2,00.00	1,00.00	1,00.00	..
पु. -1,00.00			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[06] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू.	6,40.00	2,34.00	2,34.00
पु.	-4,06.00		..

उपरोक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 17,68.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग के माध्यम से
[01] छात्रवृत्तियां

मू.	1,76,73.05	1,33,09.20	1,33,06.14	- 3.06
पु.	- 43,63.85			

31 मार्च 2014 को ₹ 43,63.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(09) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष
योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)
[36] मानगढ़ धाम पर शताब्दी समारोह

मू.	1,00.00
पु.	-1,00.00			

31 मार्च 2014 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मानगढ़ धाम पर शताब्दी समारोह पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(10) माडा व बिखरी के आश्रम छात्रावास

मू.	3,60.94
पु.	-3,60.94			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[06] स्वरोजगार हेतु सहायता			
मू.	1,40.00
पु.	-1,40.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] कौशल विकास परियोजना			
मू.	1,00.00
पु.	-1,00.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 6,00.94 लाख के समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	2,64.65	1,74.95	1,74.95
पु.	- 89.70		..
₹ 89.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[08] छात्रावासों में सौर विद्युतिकरण			
मू.	13,00.00
पु.	-13,00.00
31 मार्च 2014 को ₹ 13,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[09] छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास			
मू.	11,00.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 9,00.00		..

31 मार्च 2014 को ₹ 9,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[02] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत नवाचार योजनाएं			
मू.	4,70.00
पु.	-4,70.00		..

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[03] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सोलर लाइट हेतु सहायतार्थ अनुदान			
मू.	2,00.00
पु.	-2,00.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 6,70.00 लाख का प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[06] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया के माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	15,51.26	4,29.60	4,29.60
पु.	-11,21.66		..

31 मार्च 2014 को ₹ 11,21.66 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) क्लस्टर क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान (वि.के.स.)			
[04] कौशल विकास परियोजना			
मू.	80.00
पु.	- 80.00
31 मार्च 2014 को ₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	6,41.59	5,05.50	..
पु.	-1,36.09	5,05.50	..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,36.09 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	2,26.80	92.79	..
पु.	-1,34.01	92.79	..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,34.01 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. प्रशिक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) जनजाति क्षेत्रों में युवकों के लिए पाठ्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
मू.	1,80.44	21.77	..
पु.	-1,58.67	21.77	..
₹ 1,58.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ			
मू.	2,00.00		
पु.	-1,69.03	30.97	30.97
			..
₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान जुवेनाइल न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद अराजकीय ऐच्छिक संगठनों को अनुदान के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 2013-14 के दौरान कुछ संगठनों द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये जाने, कुछ संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने जिन्होंने अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त कर ली थी तथा विभाग द्वारा सक्षम अधिकारियों की चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण समस्त अनुदान का भुगतान नहीं होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 1,69.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[10] अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	6,41.00		
पु.	-1,79.65	4,61.35	4,61.35
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,79.65 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[03] अनुसूचित जन जातियों के लिए नवजीवन योजना			
मू.	3,00.00		
पु.	-2,76.39	23.61	23.61
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,76.39 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	1,44.00		
पु.	- 93.87	50.13	50.13
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 93.87 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[07] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	2,50.01
पु.	-2,50.01
31 मार्च 2014 को ₹ 2,50.01 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> को लागू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी
राष्ट्रीय विधवा पेंशन

मू.	13,51.00	7,65.32	7,65.32	..
पु.	- 5,85.68			

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
[13] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी
राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन

मू.	2,95.00	1,29.30	1,29.30	..
पु.	- 1,65.70			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 7,51.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2236. पोषण
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम

मू.	77,15.14	58,00.00	57,41.23	- 58.77
पु.	- 19,15.14			

31 मार्च 2014 को ₹ 19,15.14 लाख का प्रावधान (i) लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कम होने तथा (ii) प्रशासनिक कारणों से माह दिसम्बर 2013 में पोषाहार पूरक की आपूर्ति के आदेशों के जारी नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 58.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	6,49.09		
पु.	-4,71.85	1,77.24	1,77.20
₹ 4,71.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			- 0.04
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[12] तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)			
मू.	3,80.00		
पु.	-1,85.58	1,94.42	1,94.41
31 मार्च 2014 को ₹1,85.58 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.01
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(50) कार्य योजना (10% राज्यांश : 90% केन्द्रीयंश)			
मू.	2,10.00		
पु.	- 2,10.00
31 मार्च 2014 को ₹ 2,10.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	10,44.47		
पु.	- 2,26.80	8,17.67	8,17.67
₹ 10,44.47 लाख का प्रावधान बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित था जिससे कि पानी के उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 2,26.80 लाख का प्रावधान अनुदान के लिये प्रकरणों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(54) तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)			
मू.	6,60.00	5,47.87	5,47.88
पु.	-1,12.13		
31 मार्च 2014 को ₹1,12.13 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(57) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	13,03.90	6,50.00	6,50.00
पु.	- 6,53.90		
₹ 6,53.90 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	5,20.00	10.00	10.00
पु.	- 5,10.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 5,10.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)। 2012-13 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 7,74.00 लाख का समस्त प्रावधान भी अभ्यर्पित किया गया था।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	57,00.00	55,35.58	55,28.84
पु.	- 1,64.42		
₹ 1,64.42 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[05] मत्स्य विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.00	40.99	40.99
पु.	-1,59.01		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,59.01 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(66) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एगो प्रोसेसिंग			
मू.	2,52.00
पु.	-2,52.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 2,52.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में कार्य योजना हेतु अनुदान			
[02] भू-संरक्षण कार्य हेतु योजना (10:90)			
मू.	1,68.00
पु.	-1,68.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,68.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैंड फण्डेड) (एम पावर)			
मू.	4,97.63	2,48.81	2,48.81
पु.	-2,48.82		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,48.82 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन आधारित अनुबंध पर कार्यरत एफ.एन.जी.ओ. के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किये जाने, (ii) मार्च 2014 में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अनुरक्षण कार्य पर प्रतिबन्ध लगे होने तथा (iii) वित्तीय लक्ष्यों का उपलब्धि से नीचे क्योंकि स्वयं सहायता समूहों को सीड पूंजी जारी करने के मापदण्डों को एन.आर.एल.एम. का प्रावधानों के बजाय आज्ञा सूचक बैंक क्रेडिट लिंकेज स्थिति भारत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[02] अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	28,12.48	27,18.94	27,08.82
पु.	- 93.54		- 10.12
₹ 93.54 लाख की प्रत्याशित बचत पशु चिकित्सा संस्थाओं में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 10.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	20,70.30		
	4,04.45	4,00.67	- 3.78
पु.	- 16,65.85		
₹ 16,65.85 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत पशुओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत दवाओं की खरीद का प्रावधान उपलब्ध होने को आरोपित की गयी।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II			
मू.	26,91.00		
	18,00.00	18,00.00	..
पु.	- 8,91.00		
₹ 8,91.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुदान			
मू.	3,58.62		
	2,38.62	2,38.62	..
पु.	- 1,20.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,20.00 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	21,10.00		
	15,23.09	15,23.09	..
पु.	- 5,86.91		
31 मार्च 2014 को ₹ 5,86.91 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जलग्रहण विकास हेतु			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	5,65.20		
पु.	- 5,65.20
31 मार्च 2014 को ₹ 5,65.20 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[01] अनुदान (राज्य योजना)			
मू.	3,03.30		
पु.	- 3,03.30
31 मार्च 2014 को ₹ 3,03.30 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना इकाई अनुदान में ₹ 50,000 से ₹ 70,000 की वृद्धि किये जाने के बाद <i>इन्दिरा आवास योजना</i> अन्तर्गत राज्य योजना से अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	43,96.01		
पु.	- 25,12.01	18,84.00	18,84.00
₹ 25,12.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) पिछड़ा जिला विकास कोष (केन्द्रीय सहायता)			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां			
मू.	77,96.00		
पु.	- 53,44.00	24,52.00	24,52.00
₹ 53,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) जिला नवाचार कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,07.24
पु.	-2,07.24
31 मार्च 2014 को ₹ 2,07.24 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) यूनिट-II (नहर)			
मू.	17,50.91		
अ.	0.01	14,35.76	14,35.53
पु.	- 3,15.16		- 0.23
31 मार्च 2014 को ₹ 3,15.16 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा सामग्रियों के अनुरक्षण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित कियो गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से			
मू.	8,00.00	5,90.13	5,90.13
पु.	-2,09.87		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,09.87 लाख का प्रावधान न्यायालय में वृहद स्वीकृत कार्य पर निर्णय लम्बित होने तथा चुनाव आचार संहिता के कारण नये कार्यों पर प्रतिबन्ध के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) खनिज संरक्षण बल			
मू.	89.26
पु.	-89.26
31 मार्च 2014 को ₹ 89.26 लाख का समस्त प्रावधान खनिज संरक्षण बल के 1000 कार्मिकों को अवैध खनन रोकथाम के लिये नहीं लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,25.00
पु.	-3,25.00
31 मार्च 2014 को ₹ 3,25.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद् भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना			
मू.	1,07.75
पु.	-1,07.75
31 मार्च 2014 को ₹ 1,07.75 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	20,60.00	15,00.00	..
पु.	- 5,60.00	15,00.00	..
31 मार्च 2014 को ₹ 5,60.00 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता के कारण अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	3,38.87
पु.	-3,38.87
31 मार्च 2014 को ₹ 3,38.87 लाख का समस्त प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2012-13 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,38.87 लाख का समस्त प्रावधान भी अभ्यर्पित किया गया था।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] निदेशन और प्रशासन			
मू.	3,39.24		
पु.	-3,25.82	13.42	13.37
			- 0.05

₹ 3,25.82 लाख की प्रत्याशित बचत नये सृजित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के लिये इस मद के अन्तर्गत एक मुश्त प्रावधान किया गया, परन्तु कर्मचारियों के पदस्थापन के बाद व्यय को संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत करने को आरोपित की गयी।

3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[04] घरेलू गैस पर अनुदान			
मू.	15,70.00		
पु.	- 1,05.62	14,64.38	14,64.38
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,05.62 लाख का प्रावधान दिसम्बर 2013 तक के व्यय के रुझान को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
192. नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता			
(01) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
[03] विकास कार्य			
मू.	4,68.00		
पु.	- 3,28.24	1,39.76	1,39.76
			..

₹ 3,28.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)			
मू.	1,35,00.18		
पु.	4,43.81	1,39,43.99	1,39,43.99
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,43.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
मू.	1,46,00.00	1,61,00.00	..
पु.	15,00.00	1,61,00.00	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹15,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त रहे पदों की भर्ती के बाद वेतन एवं भत्तों तथा बढ़ी दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये अधिक अनुदान जारी किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से
छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन
- [03] माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन

मू.	17,20.00	27,52.40	27,52.40	..
पु.	10,32.40			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹10,32.40 लाख की अतिरिक्त निधियां सामान्य प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (09) लेपटॉप वितरण

मू.	12,96.00	44,15.06	44,11.58	- 3.48
पु.	31,19.06			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,19.06 लाख की अतिरिक्त निधियां लेपटॉप एवं टेबलेट पी.सी. के वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

- 02. माध्यमिक शिक्षा
- 107. छात्रवृत्तियां
- (06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां
- [02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू.	33,12.26	60,06.78	60,06.76	- 0.02
पु.	26,94.52			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,94.52 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	37,38.09		
अ.	0.01	39,02.43	39,02.45
पु.	1,64.33		+ 0.02

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,64.33 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों के बकाया के लिये 40 प्रतिशत भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(03) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण

मू.	52.95			
अ.	0.09	5,48.85	5,03.86	- 44.99
पु.	4,95.81			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,95.81 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

₹ 44.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2211. परिवार कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
(15:85)

मू.	27,94.61			
पु.	4,80.20	32,74.81	32,74.81	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,80.20 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार अधिक राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु
पालनहार योजनान्तर्गत सहायता

मू.	8,35.00			
पु.	1,40.36	9,75.36	9,75.36	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,40.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु सहायता			
मू.	3,03.49	11,96.06	11,96.06
पु.	8,92.57		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,92.57 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार द्वारा अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[40] राजस संघ को अनुदान			
मू.	0.01	15,46.87	15,46.87
पु.	15,46.86		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,46.86 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[41] जनजाति के विकास हेतु नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू.	0.02	20,00.00	20,00.00
पु.	19,99.98		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार द्वारा अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	7,00.00	12,30.60	12,30.60
पु.	5,30.60		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,30.60 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	52,75.00		
पु.	7,06.99		
		59,81.99	59,67.74 - 14.25
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 7,06.99 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 14.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय- जन जाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	64,90.28		
पु.	3,30.90		
		68,21.18	67,94.94 - 26.24
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,30.90 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 26.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[04] सहयोगिनियों को मानदेय			
मू.	7,65.61		
पु.	2,40.97		
		10,06.58	10,05.88 - 0.70
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,40.97 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	24,11.01		
पु.	1,42.28		
		25,53.29	25,53.29 ..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(41) नवाचार कार्यक्रम			
मू.	1,31.45	3,45.82	3,45.82
पु.	2,14.37		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,56.65 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	11,00.00	13,72.81	13,72.81
पु.	2,72.81		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.00	8,20.73	8,20.73
पु.	6,20.73		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,93.54 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(70) अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्तियों के उत्थान हेतु विशेष पैकेज (कृषि विभाग के माध्यम से)			
[02] कृषि उपकरण पर अनुदान			
अ.	0.01	19,98.86	19,98.86
पु.	19,98.85		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,98.85 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्तियों के उत्थान हेतु विशेष पैकेज के लिये उपलब्ध करायी गयी।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
[33] सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	12,56.00	21,43.35	21,43.35
पु.	8,87.35		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,87.35 लाख की अतिरिक्त निधियां दोषी कृषकों द्वारा समस्त ऋण का भुगतान करने पर ब्याज अनुदान के अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों को अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[02] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	12,94.78	40,37.36	40,37.36
पु.	27,42.58		
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,42.58 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान में बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.02	29,95.56	29,95.56
पु.	29,95.54		
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 29,95.54 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3%)			
[03] कार्यकलाप /गतिविधियां			
मू.	1,94.66	3,97.09	3,97.09
पु.	2,02.43		
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,02.43 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[03] जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	50,13.00	52,91.35	52,91.35
पु.	2,78.35		
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,78.35 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)			
[03] कार्यकलाप / गतिविधियां			
मू.	7,78.65	15,88.36	15,88.36
पु.	8,09.71		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,09.71 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायत समितियों को अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये) मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,15,72.50	1,18,42.46	1,19,03.78
पु.	2,69.96		+ 61.32
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,69.96 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 61.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2801. बिजली			
06. ग्रामीण विद्युतीकरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्तियों के उत्थान हेतु विशेष पैकेज (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[01] विद्युत कनेक्शन			
अ.	0.01	3,00.00	3,00.00
पु.	2,99.99		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[07] वितरण			
मू.	0.01		
अ.	36,37.16	41,04.41	..
पु.	4,67.24		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 36,37.16 लाख का प्रावधान तथा उसके पश्चात् 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,67.24 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण की उद्घोषणा के अनुसार समर्थित मूल्य पर गेहूँ की खरीद के लिए ₹ 150 प्रति क्विंटल के बोनस के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
अ .	0.06		
पु .	2,31.33	2,31.39	..

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
अ .	0.06		
पु .	8,05.95	8,06.01	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,37.28 लाख की अतिरिक्त निधियां *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना* नामक नयी योजना को अक्टूबर 2013 से लागू किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्न शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) अन्य व्यय			
मू.	78,12.22		
पु .	1,98.00	79,11.09	- 99.13

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,98.00 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 99.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. अगस्त 2013 (₹ 0.27 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 1,74,06.49 लाख) में लिया गया ₹ 1,74,06.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 2,22,83.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 2,29,45.06 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,32.38		
पु.	-1,01.41	30.97	30.97
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,01.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	89.67		
पु.	- 89.67
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 89.67 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[01] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवन			
मू.	2,04.73		
पु.	-1,74.22	30.51	30.51
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,74.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि मिट्टी के खनन पर प्रतिबन्ध होने के कारण कार्य बाधित हुआ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	2,77.88
पु.	- 2,77.88		
31 मार्च 2014 को ₹ 2,77.88 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि मिट्टी के खनन पर प्रतिबन्ध के कारण कार्य बाधित हुआ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग)			
मू.	6,67.48	1,33.44	1,33.44
पु.	- 5,34.04		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	1,41.59	21.22	21.22
पु.	-1,20.37		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 6,54.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,32.74	39.67	43.61
पु.	- 93.07		+ 3.94
31 मार्च 2014 को ₹ 93.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 3.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	4,84.79	4,40.86	3,25.55
पु.	- 43.93		- 1,15.31
₹ 43.93 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,15.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	4,85.45
पु.	- 4,85.45
31 मार्च 2014 को ₹ 4,85.45 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. कला तथा संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पुस्तकालय भवन			
[01] भवन			
मू.	2,50.00	43.75	43.75
पु.	- 2,06.25
₹ 2,50.00 लाख की निधियों का प्रावधान प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों में 70 पुस्तकालय भवनों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 58 पुस्तकालय भवनों हेतु जमीन उपलब्ध हो पायी तथा दो कार्यकारी एजेंसियों, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर में सहमति के अनुसार 2013-14 के दौरान केवल 50 प्रतिशत भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 2,06.25 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	8,72.24	1,98.64	2,00.66
पु.	- 6,73.60	..	+ 2.02
31 मार्च 2014 को ₹ 6,73.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[02] 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण- प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	17,79.25	14,50.00	14,49.79
पु.	- 3,29.25	..	- 0.21
31 मार्च 2014 को ₹ 3,29.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II			
मू.	12,56.00
पु.	-12,56.00
31 मार्च 2014 को ₹ 12,56.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[24] डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	2,00.96
पु.	- 2,00.96
31 मार्च 2014 को ₹ 2,00.96 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[31] नावा के 72 गाँवों की जल प्रदाय परियोजना			
मू.	5,95.20	2,95.40	2,95.40
पु.	-2,99.80		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[33] नर्मदा परियोजना (डी आर)			
मू.	2,97.60	1,96.00	1,95.99
पु.	-1,01.60		- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[34] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	1,25.60
पु.	-1,25.60

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[35] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज- II पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	1,25.60
पु.	-1,25.60
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[37] ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	5,00.00	4,00.00	4,00.00
पु.	-1,00.00		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[38] गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	2,55.00	1,52.30	1,52.30
पु.	-1,02.70		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[39] पिपलाद जलपूर्ति योजना			
मू.	90.00
पु.	- 90.00
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	5,95.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 3,95.00		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[43] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	2,55.00		
पु.	-2,18.24	36.76	36.76
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[44] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	7,65.00		
पु.	-1,98.00	5,67.00	5,67.00
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[46] नर्मदा परियोजना एल एल और एल यू (आर डी 74 पर)			
मू.	6,80.00		
पु.	- 6,80.00
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[48] बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	3,40.00		
पु.	-1,07.53	2,32.47	2,32.47
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[50] नोखा-बीकानेर परियोजना (जी.एल.सी.)			
मू.	5,95.00		
पु.	- 5,95.00

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[51] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	2,55.00		
पु.	- 83.92	1,71.08	1,71.08
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,08.00
पु.	-4,08.00
उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 36,30.99 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	22,55.98	8,92.46	8,92.46
पु.	-13,63.52
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II			
मू.	19,20.81
पु.	-19,20.81
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 32,84.33 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[03] जयपुर-बीसलपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	1,25.60	12.97	12.97
पु.	-1,12.63

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[21] देवास जलप्रदाय योजना फेज-II (शहरी)			
मू.	8,82.60		
		2,41.30	2,41.30
पु.	- 6,41.30		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[26] चंबल-बूंदी जल प्रदाय परियोजना			
मू.	2,51.20		
		1,63.53	1,63.53
पु.	- 87.67		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[30] 200 एम.एल.डी. जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	4,27.04		
		1,96.00	1,96.00
पु.	- 2,31.04		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	6,28.00		
		4,05.00	4,03.25
पु.	- 2,23.00		- 1.75
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[35] तेरहवां वित्त आयोग			
मू.	5,53.60		
		4,40.00	4,38.46
पु.	- 1,13.60		- 1.54

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[36] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/ स्थापना/संचालन एवं संधारण कार्य			
मू.	2,51.20
पु.	- 2,51.20		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[38] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू.	2,55.00
पु.	- 2,55.00		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	7,65.00	6,46.76	..
पु.	- 1,18.24		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[41] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,08.00
पु.	- 4,08.00		
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 24,41.68 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन			
मू.	50,38.20	12,31.89	..
पु.	- 38,06.31	12,31.89	

31 मार्च 2014 को ₹ 38,06.31 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	1,46.47		
पु.	-1,43.07	3.40	3.40
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,43.07 लाख का प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) अग्नि शमन सेवाएं			
मू.	1,30.01		
पु.	-1,30.01
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,30.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास योजना			
मू.	25,73.80		
पु.	- 7,28.50	18,45.30	18,45.30
			..
₹ 7,28.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
060. अन्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	89.38		
पु.	- 89.38
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 89.38 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] नहरों का सुदृढीकरण			
मू. 7,80.00	2,65.10	2,65.10	..
पु. - 5,14.90			
31 मार्च 2014 को ₹ 5,14.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान			
मू. 2,50.00
पु. - 2,50.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[02] अभियांत्रिकी महाविद्यालय भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 5,00.00
पु. - 5,00.00			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 7,50.00 लाख का समस्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इन योजनाओं के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 18,00.00	9,49.80	9,49.80	..
पु. - 8,50.20			
31 मार्च 2014 को ₹ 8,50.20 लाख की प्रत्याशित बचत संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इन योजनाओं के लिये भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[04] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	5,00.01
पु.	- 5,00.01

31 मार्च 2014 को ₹ 5,00.01 लाख का समस्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इस योजना के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[08] जनजाति भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	10,00.00	4,50.00	4,50.00
पु.	- 5,50.00		..

31 मार्च 2014 को ₹ 5,50.00 लाख का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इस योजना के लिये भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू.	15,00.00	2,50.00	2,50.00
पु.	-12,50.00		..

31 मार्च 2014 को ₹ 12,50.00 लाख का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[16] बाउण्ड्रीवॉल निर्माण तथा मरम्मत			
मू.	1,00.00
पु.	-1,00.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[02] जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	14,17.31	3,13.30	3,09.76
पु.	- 11,04.01		- 3.54
31 मार्च 2014 को ₹ 11,04.01 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[08] सहरिया क्षेत्र में पूंजीगत कार्य			
मू.	3,64.20	2,64.20	2,64.20
पु.	- 1,00.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[10] कार्यालय भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण मय जनरेटर सेट			
मू.	3,79.26	1,50.29	34.58
पु.	- 2,28.97		- 1,15.71
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 3,28.97 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
शीर्ष "4225-02-796(20)[10]" के अंतर्गत ₹ 1,15.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[13] स्मारकों का निर्माण			
मू.	4,03.31		
पु.	- 2,85.15	1,18.16	1,04.94
			- 13.22
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[20] टी.आर.आई. छात्रावास भवन निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	5,09.00		
पु.	- 4,22.56	86.44	86.44
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 7,07.71 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
शीर्ष "4225-02-796(20)[13]" के अंतर्गत ₹ 13.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[22] आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	1,40.00		
पु.	- 1,40.00
			..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) सहरिया विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम			
[02] आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	2,20.00		
पु.	- 2,20.00
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 3,60.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू. 10,00.00	7,80.00	7,80.00	..
पु. - 2,20.00			
31 मार्च 2014 को ₹ 2,20.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[01] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया बंगला का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 5,28.00
पु. - 5,28.00			
31 मार्च 2014 को ₹ 5,28.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[02] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया आवास का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 16,50.00
पु. - 16,50.00			
31 मार्च 2014 को ₹ 16,50.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[04] आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 5,03.21
पु. - 5,03.21			
31 मार्च 2014 को ₹ 5,03.21 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	3,51.75		
पु.	- 3,51.75	..	- 7.00
		- 7.00	- 7.00

31 मार्च 2014 को ₹ 3,51.75 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा ₹ 7.00 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[03] महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	3,94.87		
पु.	- 1,74.98	2,19.89	2,20.23
			+ 0.34

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[04] नाबार्ड सहायता योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	5,28.33		
पु.	- 4,29.05	99.28	99.26
			- 0.02

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 6,04.03 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,04.03		
पु.	- 6,77.28	26.75	26.76
			+ 0.01

31 मार्च 2014 को ₹ 6,77.28 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00		
पु.	- 88.00	12.00	12.00

31 मार्च 2014 को ₹ 88.00 लाख प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	15,86.00		
पु.	- 7,13.94	8,72.06	8,72.06

31 मार्च 2014 को ₹ 7,13.94 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) वन विभाग के माध्यम से			
[01] नदी घाटी पर कार्य योजना (10:90)			
मू.	4,22.40
पु.	- 4,22.40
31 मार्च 2014 को ₹ 4,22.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	21,52.80	17,94.00	..
पु.	- 3,58.80	17,94.00	..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,58.80 लाख का प्रावधान सीमा क्षेत्र विकास परियोजना अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	24,43.00		
अ.	0.01	15,19.90	15,19.85
पु.	- 9,23.11		- 0.05
₹ 9,23.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[03] राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
मू.	15,50.00	6,65.22	..
पु.	- 8,84.78	6,65.22	..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] निर्माण कार्य			
मू. 20,00.00			
पु. - 14,32.76	5,67.24	5,67.44	+ 0.20
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 23,17.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
मू. 30,19.37			
पु. - 13,58.28	16,61.09	16,50.24	- 10.85
₹ 13,58.28 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित समय से पूर्व मानसून शुरू होने तथा अक्टूबर 2013 तक रहने के कारण कार्यों की गति प्रभावित होने को आरोपित की गयी।			
₹ 10.85 लाख की अंतिम बचत नवम्बर एवं दिसम्बर 2013 माह के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा बजरी के खनन पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कार्यों की गति प्रभावित होने को आरोपित की गयी।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू. 1,80.86			
पु. - 1,15.96	64.90	64.87	- 0.03
₹ 1,80.86 लाख का प्रावधान 14000 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के जल संग्रहण के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित था। यद्यपि, जल संग्रहण के निर्माण कार्य के लिए कृषकों से विवाद के कारण कार्य में बाधा से केवल 3990 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्यों का निष्पादन किया जा सका, परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 1,15.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 1,58,75.84			
पु. - 65,81.44	92,94.40	92,94.40	..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	64,05.60		
पु.	- 23,10.64		
	40,94.96	40,94.96	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 88,92.08 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	28,89.91		
पु.	- 3,44.15		
	25,45.76	25,45.76	..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,44.15 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान (एस.एच.)			
मू.	2,09.07		
पु.	- 2,09.07		

31 मार्च 2014 को ₹ 2,09.07 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	30,08.90		
पु.	- 12,53.06		
	17,55.84	17,55.85	+ 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 12,53.06 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) शहरी सड़कें			
मू.	6,14.61
पु.	- 6,14.61
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,11.50
पु.	- 1,11.50
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 7,26.11 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना			
मू.	12,26.55
पु.	- 12,26.55
31 मार्च 2014 को ₹ 12,26.55 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण (एम.डी.आर.)			
मू.	2,09.07	1,25.29	1,25.28
पु.	- 83.78		- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 83.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें			
मू.	16,72.57	5,88.18	5,88.17
पु.	- 10,84.39		- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 10,84.39 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	2,27.68		
पु.	- 82.27	1,45.41	1,45.41
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 82.27 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता लगने के बाद नये कार्यों के शुरू नहीं किये जाने तथा कार्यों के धीमे निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	1,26.19	1,26.20	1,26.20
			..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	1,04.79	1,04.80	1,04.80
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,30.98 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
मू.	45,00.00		
पु.	1,30.25	46,30.25	46,30.24
			- 0.01

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[05] चुरू-झुन्झुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)			
मू.	5,02.40		
पु.	4,95.65	9,98.05	9,98.04
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[15] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू.	5,65.20		
पु.	3,46.04	9,11.24	9,11.27
			+ 0.03
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[17] चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय योजना			
मू.	12,56.00		
पु.	7,04.00	19,60.00	19,59.99
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड़ जलप्रदाय परियोजना			
मू.	5,02.40		
पु.	5,68.20	10,70.60	10,70.60
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[22] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	9,42.00		
पु.	3,82.98	13,24.98	13,24.97
			- 0.01

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[23] नागौर लिफ्ट केनाल फेज-प्रथम			
मू.	0.01		
पु.	3,59.99	3,60.00	3,60.00
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[25] फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	3,60.47	11,36.83	11,36.79
पु.	7,76.36		- 0.04
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[26] नर्मदा-गुढामलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	2,51.20	5,78.04	5,78.04
पु.	3,26.84		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[36] जवाई, पाली-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना फेज- II (क्लस्टर परियोजना)			
मू.	0.01	1,05.00	1,05.00
पु.	1,04.99		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	6,80.00	7,95.00	7,94.99
पु.	1,15.00		- 0.01

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[53] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
अ .	0.01		
		5,73.74	5,73.74
पु .	5,73.73		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[54] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
अ .	0.01		
		12,72.75	12,72.75
पु .	12,72.74		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[55] राजीव गाँधी लिफ्ट केनाल योजना से बावड़ीकलां खारा एवं जलोडा जलपूर्ति परियोजना			
अ .	0.01		
		3,81.30	3,81.30
पु .	3,81.29		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[57] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
अ .	0.01		
		9,92.24	9,92.24
पु .	9,92.23		..

उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75,30.29 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	26.08		
पु.	4,38.57		
	4,64.65	4,64.43	- 0.22
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[14] चम्बल-भीलवाडा जलप्रदाय परियोजना			
मू.	3,14.00		
पु.	9,96.63		
	13,10.63	13,10.67	+ 0.04
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	2,79.99		
	2,80.00	2,80.00	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	9,37.99		
	9,38.00	9,37.98	- 0.02
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[28] चुरू-झुंझुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	4,89.99		
	4,90.00	4,90.00	..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[29] पोकरण-फलसुंड़ जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	7,13.99	7,14.00	- 1.00
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	62.80		
पु.	1,94.67	2,57.47	2,57.47
			..
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,51.83 लाख की अतिरिक्त निधियां शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजीव आवास योजना			
मू.	1,33.99		
पु.	14,41.48	15,75.47	15,75.47
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,41.48 लाख की अतिरिक्त निधियां राजीव आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) राजस संघ को हिस्सा पूंजी			
मू.	0.01		
पु.	4,16.99	4,17.00	4,17.00
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,16.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस संघ में निवेश हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	3,50.00		
पु.	1,28.15		
		4,78.15	4,78.15
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,28.15 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड-पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू.	10,00.00		
पु.	3,00.00		
		13,00.00	13,00.00
			..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू.	8,10.00		
पु.	1,30.00		
		9,40.00	9,40.00
			..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	16,89.92		
पु.	11,63.84		
		28,53.76	28,53.76
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[11] खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 0.01	1,10.00	1,10.00	..
पु. 1,09.99			
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,03.83 लाख की अतिरिक्त निधियां संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इन योजनाओं के लिये भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू. 4,00.00	5,50.00	5,50.00	..
पु. 1,50.00			
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ने के लिये कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[23] छात्रावास भवनों में सोलर लाइट व पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण			
मू. 1,00.00	15,60.00	15,60.00	..
पु. 14,60.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[27] जनजाति के विकास हेतु नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू. 0.01	2,65.75	2,65.75	..
पु. 2,65.74			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,25.74 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)			
[01] छात्रावासों की मरम्मत एवं विस्तार			
मू. 0.01	1,90.00	1,90.00	..
पु. 1,89.99			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 0.01	2,37.00	2,37.00	..
पु. 2,36.99			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) सहरिया विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम			
[01] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 80.00	2,87.00	2,87.00	..
पु. 2,07.00			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,33.98 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[05] आश्रम छात्रावासों (छात्रा) का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 6,23.87	26,46.87	26,46.87	..
अ. 18,78.54			
पु. 1,44.46			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 18,78.54 लाख का प्रावधान तथा 31 मार्च 2014 को ₹ 1,44.46 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा आश्रम छात्रावासों (छात्राओं) के निर्माण हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण लिया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) आंगनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	0.02	5,89.50	5,89.50
पु.	5,89.48		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 5,89.48 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	2,00.00	10,00.00	10,00.00
पु.	8,00.00		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वन संपदा का संरक्षण			
मू.	2,57.65	3,64.83	3,64.69
पु.	1,07.18		- 0.14
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	8,38.63	18,27.04	18,22.95
पु.	9,88.41		- 4.09

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 10,95.59 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

शीर्ष "4406-01-796(16)" के अंतर्गत ₹ 4.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	46.28		
पु.	99.26		
	1,45.54	1,84.41	+ 38.87
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 99.26 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 38.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	4,41.00		
पु.	6,30.00		
	10,71.00	10,71.00	..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,30.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में योजना की आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
अ.	0.01		
पु.	2,24.99		
	2,25.00	2,25.00	..
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] नहरों का सुदृढीकरण			
मू.	0.01		
पु.	8,14.95		
	8,14.96	8,15.34	+ 0.38
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीविकरण /आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
अ.	0.01		
पु.	10,28.03		
	10,28.04	10,28.04	..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/ उन्नयन / आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य	मू. 0.01 पु. 7,11.12	7,11.13	7,11.13 ..
उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 27,79.09 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 24. सोम-कमला-अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य	मू. 0.01 पु. 1,22.09	1,22.10	1,22.10 ..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,22.09 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से) [02] निर्माण कार्य	मू. 41,73.50 पु. 10,08.45	51,81.95	51,79.45 - 2.50
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 10,08.45 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 01. खनिज अन्वेषण तथा विकास 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (02) उपागमन सड़क	मू. 1,72.21 पु. - 20.42	1,51.79	2,65.64 + 1,13.85
₹ 20.42 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,13.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	1,78.41	5,98.78	5,98.77
पु.	4,20.37		
			- 0.01
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,20.37 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	32,09.42	36,47.27	36,43.27
पु.	4,37.85		
			- 4.00
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,37.85 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 4.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[06] मिसिंग लिंक परियोजना (सप्तदशम्)			
मू.	8.40	2,24.30	2,24.30
पु.	2,15.90		
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[07] मिसिंग लिंक परियोजना द्वितीय (अष्टदशम्)			
मू.	66,90.27	82,45.10	82,45.12
पु.	15,54.83		
			+ 0.02
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
अ.	0.01	5,69.98	5,69.99
पु.	5,69.97		
			+ 0.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करयी गयी ₹ 23,40.70 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	15,12.12		
		15,17.69	+ 65.68
पु.	5.57		
₹ 65.68 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[18] ई-सेक्रेटैरियेट			
मू.	46.70		
		3,39.95	..
पु.	2,93.25		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[20] ब्लॉक स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंस			
अ.	0.01		
		1,31.88	..
पु.	1,31.87		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,25.12 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन/कटौती, अत्यधिक/अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) बहुशिल्प विद्यालयों के लिए नई शाखाओं हेतु			
मू.	24.70		
		55.08	- 55.08
पु.	30.38		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 30.38 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 55.08 लाख के समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना (नाबार्ड)			
मू. 0.01			
पु. 1,88.31	1,88.32	- 18.08	- 2,06.40
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,88.31 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 1,88.32 लाख के समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
₹ 18.08 लाख का ऋण व्यय को मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के विरुद्ध बैंक गारंटियों के नकदीकरण के कारण रहा।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[11] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण			
मू. 2,00.00			
पु. - 1,00.00	1,00.00	2,24.63	+ 1,24.63
31 मार्च 2014 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, कार्यों का निष्पादन अनुमान से अधिक था परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,24.63 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[08] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू. 30,56.64			
अ. 21,84.07	49,58.62	55,59.72	+ 6,01.10
पु. - 2,82.09			
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 21,84.07 लाख का प्रावधान नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कों के निर्माण हेतु लिया गया।			
31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया ₹ 2,82.09 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 6,01.10 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए अनावश्यक था। प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू. 20,40.53			
पु. - 5,16.68	15,23.85	17,43.65	+ 2,19.80
31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया ₹ 5,16.68 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2,19.80 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए अत्यधिक था। प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 032 - नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3456. सिविल पूर्ति

पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूंजीगत परिव्यय और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,54,63,77			
अनुपूरक	3,89,44,38	8,44,08,15	7,21,72,06	- 1,22,36,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,22,30,33
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	1,06	1,07	1,02	- 5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,04			
अनुपूरक	1	11,05	1,43	- 9,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				9,63

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,22,36.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,89,44.38 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 89,43.86 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।

अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से				
[02] जिला कर्मचारी वर्ग				
मू.	19,09.78	16,52.43	16,52.42	- 0.01
पु.	- 2,57.35			
₹ 2,57.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्थानान्तरण के पश्चात् पदों के नहीं भरने को आरोपित की गयी।				
102. सिविल पूर्ति योजना				
(01) खाद्यान्न संभरण योजना				
[02] वितरण				
मू.	0.03	1,14,51.29	1,14,51.29	..
अ.	2,00,00.00			
पु.	- 85,48.74			
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00,00.00 लाख का प्रावधान ए.पी.एल. परिवारों को रियायती दरों पर आटा उपलब्ध कराने तथा बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को रियायती दरों पर चीनी के वितरण हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को अनुदान वितरण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।				
31 मार्च 2014 को ₹ 85,48.74 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अवशेष राशि जमा कराने के कारण अभ्यर्पित (₹ 35,78.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 49,70.51 लाख) की गयी।				
102. सिविल पूर्ति योजना				
(01) खाद्यान्न संभरण				
[04] अन्नपूर्णा योजना				
मू.	4,36.68	1,58.61	1,58.60	- 0.01
पु.	- 2,78.07			
102. सिविल पूर्ति योजना				
(02) खाद्यान्न वितरण				
[02] बी.पी.एल. अन्न योजना				
मू.	1,83,24.99	1,51,10.54	1,50,90.76	- 19.78
पु.	- 32,14.45			

अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[03] राज्य बी.पी.एल. अन्न योजना			
मू.	99,91.00	79,93.19	79,93.51
पु.	- 19,97.81		
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[05] सहरिया एवं कथौड़ी जाति को निःशुल्क खाद्यान्न			
मू.	2,65.00	1,72.92	1,72.92
पु.	- 92.08		

31 मार्च 2014 को उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 55,82.41 लाख का प्रावधान मुख्यतः अक्टूबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् इन योजनाओं को बंद करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "3456-102(02) [02] " के अंतर्गत ₹ 19.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

102. सिविल पूर्ति योजना
(02) खाद्यान्न वितरण
[07] निःशक्त जन को अन्न योजना

मू.	1,40.56	1.19	1.19
पु.	- 1,39.37		

31 मार्च 2014 को ₹ 1,39.37 लाख का प्रावधान लाभार्थियों द्वारा योजना के बन्द होने से पूर्व पूर्ण लाभ नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि अक्टूबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा योजना बंद कर दी गयी थी।

102. सिविल पूर्ति योजना
(02) खाद्यान्न वितरण
[09] केरोसिन परिवहन समानीकरण

मू.	4,58.00	1,54.27	1,54.27
पु.	- 3,03.73		

31 मार्च 2014 को ₹ 3,03.73 लाख का प्रावधान (i) केरोसीन वितरण दरों में वृद्धि के कारण परिवहन समानीकरण राशि में बचत तथा (ii) कुछ स्थानों पर सीधे लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के क्रियान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति 102. सिविल पूर्ति योजना (04) घरेलू गैस पर अनुदान			
मू.	87,85.00		
पु.	- 7,94.05	79,90.95	79,90.95 ..
31 मार्च 2014 को ₹ 7,94.05 लाख के प्रावधान के अभ्यर्षण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (01) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	1,49,99.99	1,35,00.00	1,35,00.00 ..
पु.	- 15,00.00		

₹ 1,49,99.99 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 49,99.99 लाख का प्रावधान ए.पी.एल. परिवारों को पोष्टिक आटा योजना हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान अक्टूबर 2013 में *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना* की क्रियान्विति के कारण इस योजना को बंद करने के पश्चात् खाद्य निगम द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की अवशेष राशि जमा कराने के कारण अभ्यर्षित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा [06] उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम			
मू.	10.01		
पु.	88.46	98.47	98.43 - 0.04
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.46 लाख की अतिरिक्त निधियां <i>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना</i> के क्रियान्वयन हेतु बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
102. सिविल पूर्ति योजना (01) खाद्यान्न संभरण योजना [07] राशन टिकट योजना			
मू.	70.28		
पु.	1,12.70	1,82.98	1,82.98 ..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,12.70 लाख की अतिरिक्त निधियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की अन्य योजनाओं में भी राशन टिकट के माध्यम से सामग्री के वितरण तथा *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना* के क्रियान्वयन के कारण अधिक राशन टिकट की मांग के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(01) खाद्यान्न संभरण			
[08] राशन कार्डों का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	1,16.07		
पु.	2,72.30	3,88.37	3,89.06 + 0.69
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,72.30 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष में अपूर्ण कार्यों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[01] अंत्योदय अन्न योजना			
मू.	27,99.00		
पु.	8,75.60	36,74.60	36,92.22 + 17.62
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,75.60 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट उद्घोषणा की अनुपालना में गेहूं वितरण की दर ₹ 2 से ₹ 1 करने से अन्तर की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 17.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
अ.	0.06		
पु.	14,91.37	14,91.43	14,91.43 ..
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्य योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
अ.	39,43.93		
पु.	10,67.12	50,11.05	50,11.05 ..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,58.49 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(01) खाद्य विभाग की नवाचार /नवीन योजनाएं			
मू.	0.01		
पु.	9,99.99	10,00.00	10,00.00 ..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपभोक्ता के खाते में केरोसीन पर नकद सहायता सीधे ही जमा करने की भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 033 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2202. सामान्य शिक्षा,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम तथा रोजगार,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2236. पोषण
 पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
--------------------------	------------------	-------------------

(₹ सहस्र में)

राजस्व

दत्तमत

मूल	29,12,15,11	51,38,21,20	49,38,15,14	- 2,00,06,06
अनुपूरक	22,26,06,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,68,70,30

प्रभारित

मूल	51	4,53	4,38	- 15
अनुपूरक	4,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				15

पूंजी

दत्तमत

मूल	67,13,26	84,36,30	73,15,08	- 11,21,22
अनुपूरक	17,23,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				11,49,63

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,00,06.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 22,26,06.09 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 26,04.92 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

2. वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 1,42,36.28 लाख, ₹ 1,62,88.43 लाख, ₹ 90,59.83 लाख, ₹ 1,74,38.54 लाख तथा ₹ 2,00,06.06 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 3.89 प्रतिशत से 10.20 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण बतायी गयी।
3. ₹ 2,00,06.06 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 31,35.76 लाख अन्व्यर्पित रहे।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[04] मेवात क्षेत्र में बालिका छात्रावास			
मू.	1,13.76	34.72	34.72
पु.	- 79.04		
31 मार्च 2014 को ₹ 79.04 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्व्यर्पित किया गया।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(01) अनुसूचित जाति उप-योजना			
मू.	67,67.66	31,83.58	31,83.58
पु.	-35,84.08		
31 मार्च 2014 को ₹ 35,84.08 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतोंको सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना के अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू.	5,89.25	4,40.70	4,40.71
पु.	-1,48.55		
			+ 0.01

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास का संचालन			
मू.	79.52		
पु.	- 69.24	10.28	10.28
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशालय			
मू.	14,87.59		
अ.	0.01	5,88.59	5,88.59
पु.	- 8,99.01		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 11,16.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजना (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	9,00.00		
पु.	- 78.94	8,21.06	8,21.06
03. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(04) अनुप्रति योजना			
[01] अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल.के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	1,75.00		
पु.	-1,67.20	7.80	7.80
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू.	3,50.00		
पु.	- 58.67	2,91.33	2,91.33

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 3,04.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक विकास निधि			
मू.	25,00.01
पु.	- 25,00.01
31 मार्च 2014 को ₹ 25,00.01 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौति के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 25,00.00 लाख) किया गया ।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी बोर्ड को ब्याज पर अनुदान			
मू.	50.00
पु.	- 50.00
31 मार्च 2014 को ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति			
मू.	4,29.00	2,40.76	2,40.76
पु.	-1,88.24
31 मार्च 2014 को ₹ 1,88.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास			
मू.	1,05.01	51.16	51.16
पु.	- 53.85
₹ 53.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(01) नेत्रहीन लड़के तथा लड़कियों के निवास स्थान सहित पाठशालाएं			
मू.	2,02.45	1,35.06	1,35.04
पु.	- 67.39		
31 मार्च 2014 को ₹ 67.39 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(02) बधिर, मूक और अंधों के विद्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	4,33.93	3,79.73	3,79.74
पु.	- 54.20		
₹ 54.20 लाख की प्रत्याशित बचत बधिर, मूक और अंधों के विद्यालय में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय, विशेष योग्यजन			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	2,45.53	1,44.28	1,44.27
अ.	0.01		
पु.	-1,01.26		
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(39) राजस्थान पुनर्वास संस्थान			
मू.	1,00.00	4.81	4.81
पु.	- 95.19		
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना			
मू.	37,00.00	30,14.49	30,15.76
पु.	- 6,85.51		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 8,81.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) संभाग मुख्यालयों पर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का निर्माण			
मू.	4,26.00		
पु.	- 55.04		
	3,70.96	3,70.96	..
31 मार्च 2014 को ₹ 55.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	4,56.00		
पु.	-1,88.00		
	2,68.00	2,68.00	..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,88.00 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(10) राज्य महिला आयोग			
मू.	2,17.55		
पु.	- 82.55		
	1,35.00	1,35.00	..
31 मार्च 2014 को ₹ 82.55 लाख का प्रावधान राज्य महिला आयोग को वेतन तथा मरम्मत/रखरखाव के लिए अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(12) महिला स्वयं सहायता गुप संस्थान			
मू.	4,91.08		
पु.	- 2,12.93		
	2,78.15	2,77.71	- 0.44
₹ 4,91.08 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण, सेमिनार तथा प्रियदर्शनी स्वयं सहायता समूहों को भुगतान के लिए अनुमानित था।			
₹ 2,12.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	10,60.01
पु.	-10,60.01		
31 मार्च 2014 को ₹ 10,60.01 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,60.00 लाख) किया गया ।			
02. समाज कल्याण			
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता			
मू.	7,17.55	4,83.27	4,82.63
पु.	-2,34.28		-0.64
₹ 2,34.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 501 स्वीकृत पदों में से 437 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
02. समाज कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राज्य मानवाधिकार आयोग			
मू.	4,59.52	2,49.50	2,49.50
पु.	-2,10.02		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,10.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला स्तरीय कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग			
[01] संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	19,49.63	18,78.64	18,76.49
पु.	-70.99		-2.15
₹ 70.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला स्तरीय कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग			
[07] किशोरी शक्ति योजना			
मू.	2,73.50
पु.	-2,73.50		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,73.50 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला स्तरीय कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग			
[10] समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम			
मू.	3,43.66		
पु.	- 3,30.02	13.64	13.64
31 मार्च 2014 को ₹ 3,30.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला स्तरीय कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग			
[11] धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र			
मू.	1,05.00
पु.	-1,05.00
₹ 1,05.00 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण, सम्मेलन तथा दौड़ों पर व्ययों की पूर्ति हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 1,05.00 लाख का समस्त प्रावधान धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों के संचालन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	11,00.00	5,41.73	5,41.67
पु.	- 5,58.27		- 0.06
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विकलांगों के विवाह हेतु कैम्प			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	1,82.71	88.45	88.45
पु.	- 94.26		..
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[02] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू.	10,55.00	6,35.02	6,35.02
पु.	- 4,19.98		..

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[08] संयुक्त सहायता के लिए अनुदान (विश्वास योजना)			
मू.	2,50.00		
पु.	-1,02.78	1,47.22	1,47.22
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[10] चिन्हित निशक्त व्यक्तियों के परिवारों को रियायतें (आस्था)			
मू.	1,00.00		
पु.	- 88.50	11.50	11.50
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) बाल कल्याण			
[06] मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना			
मू.	1,03.50		
पु.	- 94.01	9.49	9.49
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[04] बी. पी. एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	11,19.00		
पु.	- 3,19.42	7,99.58	7,99.58
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	12,65.04		
पु.	- 4,46.44	8,18.60	8,18.60

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 21,23.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[01] वृद्ध एवं निर्बलों का कल्याण			
मू.	88.88		
पु.	- 67.90	20.98	20.97
			- 0.01
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[03] पशु पालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	2,54.91		
पु.	-1,07.50	1,47.41	1,47.39
			- 0.02
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,75.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[15] सामाजिक सुरक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू.	0.03		
अ.	7,35,00.00	4,98,79.55	4,90,03.94
पु.	-2,36,20.48		- 8,75.61
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,35,00.00 लाख का प्रावधान साड़ी तथा कम्बल योजना के क्रियान्वयन हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 2,36,20.48 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 8,75.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[01] नवजीवन योजना के तहत छात्रावासों का संचालन			
मू.	11,46.08		
पु.	- 9,61.81	1,84.27	1,84.27
			..
₹ 9,61.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
104. निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि			
(02) प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण			
मू.	27,03.29		
		26,35.35	26,35.35
पु.	- 67.94		..
₹ 67.94 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 196 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) कार्य समाप्त नहीं किये जाने न ही जिला कार्यालयों द्वारा कार्यों की जांच के प्रमाण पत्र भेजे जाने के कारण प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि प्रोत्साहन/मानदेय राशि का भुगतान कार्य समाप्त होने पर ही किया जाना था, को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग			
मू.	47,94.22		
		44,69.36	44,72.41
पु.	- 3,24.86		+ 3.05
₹ 3,24.86 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 250 पदों के रिक्त रहने, (ii) जालोर, सिरौही, कोटा, उदयपुर, बांसवाडा तथा बीकानेर में नये भवन के निर्माण हेतु कार्य के निष्पादन कम या नहीं होने, (iii) राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि पोर्टल पर बीमा की वसूलियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का कार्य समाप्त न होने के कारण प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान नहीं करने तथा (iv) भुगतान के अंतिमीकरण के लिए गठित संयुक्त समिति से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण बी.एस.एन.एल. को मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग वरचूअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी हेतु कम भुगतान को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
मू.	18,00.00		
अ.	0.04	15,63.86	15,53.30
पु.	- 2,36.18		- 10.56
31 मार्च 2014 को ₹ 2,36.18 लाख का प्रावधान दिनांक 03.05.2012 से दरों में ₹ 20,000 से ₹ 24,000 तक वृद्धि किये जाने के पश्चात् भी वर्ष के दौरान कम संख्या में लाभार्थियों द्वारा पेंशन के आहरण करने से अभ्यर्पित की गई।			
₹ 10.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
110. अन्य बीमा योजनाएं			
(01) सामान्य बीमा योजना			
मू.	2,92.25		
		2,41.37	2,41.36
पु.	- 50.88		- 0.01
₹ 50.88 लाख की प्रत्याशित बचत 22 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] अंगहीन और दृष्टिहीन निराश्रितों को पेंशन			
मू.	90,00.00		
अ.	1,25,00.00	1,72,92.66	1,71,25.67
पु.	- 42,07.34		- 1,66.99
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,25,00.00 लाख का प्रावधान अंगहीन और दृष्टिहीन निराश्रित पेंशनरों की संख्या में वृद्धि पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 42,07.34 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,66.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[03] विधवा पेंशन			
मू.	2,20,00.00		
अ.	2,90,00.00	3,58,42.64	3,58,39.17
पु.	- 1,51,57.36		- 3.47
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,90,00.00 लाख का प्रावधान विधवा पेंशन के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 1,51,57.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	39,05.00		
पु.	- 12,99.86	26,05.14	26,05.14
₹ 12,99.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन			
मू.	9,82.20		
पु.	- 4,08.83	5,73.37	5,73.37
31 मार्च 2014 को ₹ 4,08.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] जिला नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों के बोर्ड			
मू.	6,54.93		
पु.	-1,01.58	5,53.35	5,54.21
			+ 0.86

31 मार्च 2014 को ₹ 1,01.58 लाख का प्रावधान जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के वेतन निर्धारण के बकाया का भुगतान न होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्यों का निष्पादन न होने को आरोपित की गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन			
मू.	22,29.00		
पु.	- 4,36.03	17,92.97	17,92.28
			- 0.69

31 मार्च 2014 को ₹ 4,36.03 लाख की प्रत्याशित बचत पेंशनरों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान न करने एवं अधिकतर पेंशनरों की मृत्यु हो जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[08] युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु गठित कारपस फण्ड में अंशदान			
मू.	3,00.00		
पु.	-1,00.00	2,00.00	2,00.00
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों के लिए संचालन के लिए गठित कारपस फण्ड में अंशदान हेतु कम निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
[02] नवीन अंशदायी पेंशन योजना			
मू.	7,61.52		
पु.	- 1,35.65	6,25.87	6,25.85
			- 0.02

₹ 7,61.52 लाख का प्रावधान नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार नवीन पेंशन योजना अंशदाताओं की तय संख्या में वृद्धि के पश्चात् प्रत्येक देय स्थाई सेवानिवृत्ति खाता पर संव्यवहार शुल्क तथा संधारण शुल्क के लिए अनुमानित था।

₹ 1,35.65 लाख की प्रत्याशित बचत संव्यवहार शुल्क ₹ 5 से ₹ 4 तथा संधारण शुल्क ₹ 225 से ₹ 190 से दरों में कटौति को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	4,76,27.57		
पु.	- 1,24,15.52		
		3,52,12.05	3,52,11.79
			- 0.26

31 मार्च 2014 को ₹ 1,24,15.52 लाख का प्रावधान (i) लाभार्थियों की अनुमान से कम संख्या तथा (ii) माह दिसम्बर 2013 में प्रशासनिक कारणों से पोषक भोजन की आपूर्ति के आदेश जारी न करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101. विशेष पोषण कार्यक्रम
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[02] एकीकृत बाल विकास योजना

मू.	1,23,85.02		
पु.	- 50,03.00		
		73,82.02	73,81.97
			- 0.05

₹ 50,03.00 लाख की प्रत्याशित बचत (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) चुनाव आचार संहिता के कारण टेण्डर जारी नहीं किये जाने, (iii) किराये, दरों आदि के लिए भारत सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त न होने तथा वित्तीय वर्ष के अंत में किराये के पुनरीक्षण आदेश जारी किये जाने, (iv) आंगनबाड़ी केन्द्रों के सरकारी भवनों में हस्तांतरित होने, (v) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिनी आदि के चयन न होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूरी शक्ति से कार्य न करने, (vi) पदों के रिक्त रहने तथा (vii) राजस्थान राज्य चिकित्सा निगम द्वारा मेडिसीन किट के साथ औषधी का क्रय तुलनात्मक रूप से कम दरों पर करने के कारण औषधी तथा दवाइयों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101. विशेष पोषण कार्यक्रम
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना

मू.	1,29,70.01		
पु.	- 21,07.48		
		1,08,62.53	1,08,61.46
			- 1.07

₹ 21,07.48 लाख की प्रत्याशित बचत (i) लाभार्थियों की अनुमान से कम संख्या, (ii) माह दिसम्बर 2013 में प्रशासनिक कारणों से पोषाहार की आपूर्ति के आदेश जारी न करने तथा (iii) 28.03.2014 को भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[13] सशर्त मातृत्व लाभ योजना			
मू.	39,19.02	17,50.97	17,58.49
पु.	- 21,68.05		+ 7.52

31 मार्च 2014 को ₹ 21,68.05 लाख का प्रावधान (i) लाभार्थियों के बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलने में परेशानी, (ii) भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित शर्तों की अनुपालना न होने तथा (iii) जिला समन्वयक और सहायक समन्वयक के पद रिक्त रहने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 7.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
- (01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
- [10] आंगन बाड़ी केन्द्रों के बच्चों को पोशाक वितरण

मू.	15,00.00	3,45.74	3,65.03	+ 19.29
पु.	- 11,54.26			

₹ 11,54.26 लाख की प्रत्याशित बचत पोशाक वितरण योजना के तहत जिला कार्यालयों को हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर और राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा पोशाक के लिए कपड़े की आपूर्ति न करने को आरोपित की गयी।

₹ 19.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	6,50.01	8,06.17	8,06.17
पु.	1,56.16		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,56.16 लाख का अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन तथा भत्तों एवं वाहनों की खरीद पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) छात्रावासों का संधारण			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	33,11.34		
पु.	2,97.79	36,09.13	36,10.99 + 1.86
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,97.79 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः खाद्य सामग्री पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	35,00.00		
पु.	1,86.51	36,86.51	36,86.45 - 0.06
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,86.51 लाख की अतिरिक्त निधियां विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) छात्रावासों का संधारण			
मू.	65,00.00		
पु.	77,69.29	1,42,69.29	1,42,68.51 - 0.78
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 77,69.29 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में छात्रवृत्तियों के वितरण तथा (ii) भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने से उपलब्ध करायी गयी।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[11] केन्द्र सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित योग्य विद्यार्थियों के लिए विशेष राज्य छात्रवृत्ति योजना			
अ.	0.01		
पु.	8,73.91	8,73.92	8,73.92 ..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,73.91 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्र सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित योग्य विद्यार्थियों के लिए विशेष राज्य छात्रवृत्ति योजना के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उप सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू.	1,94.97		
पु.	2,42.76		
		4,37.73	4,37.73
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,42.76 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(33) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता			
मू.	16.00		
पु.	4,02.24		
		4,18.24	4,18.24
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,02.24 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[10] महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	1,75.15		
		1,75.16	1,75.16
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,75.15 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में स्वयं सहायता समूहों को एक मुश्त ब्याज अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[07] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	49,22.38		
पु.	3,29.09		
		52,51.47	52,51.47
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,29.09 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	4,00,00.00		
अ.	10,76,04.89	19,90,76.13	19,70,68.98
पु.	5,14,71.24		- 20,07.15

अगस्त 2013 (₹ 10,50,00.00 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 26,04.89 लाख) में ₹ 10,76,04.89 लाख का अनुपूरक अनुदान वृद्धावस्था पेंशन के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,14,71.24 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशन के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 20,07.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

मू.	1,34,43.80			
पु.	21,50.69	1,55,94.49	1,55,41.40	- 53.09

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,50.69 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 53.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2236. पोषण
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101. विशेष पोषण कार्यक्रम
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[08] सहयोगिनियों को मानदेय

मू.	5,80.81			
पु.	2,41.89	8,22.70	8,08.82	- 13.88

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,41.89 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में सहयोगिनियों को मानदेय का भुगतान ₹ 500 प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 13.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	3,86,70.74	4,03,30.43	4,03,16.18
पु.	16,59.69		
			- 14.25

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,59.69 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय का भुगतान क्रमशः ₹ 500 तथा ₹ 700 प्रति माह की बढ़ी हुई दर से करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 14.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
- (01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
- [04] सहयोगिनी को मानदेय

मू.	48,84.01	59,93.77	59,92.66
पु.	11,09.76		
			- 1.11

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,09.76 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में सहयोगिनियों को मानदेय का भुगतान ₹ 500 प्रति माह की बढ़ी हुई दर से करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 11,21.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.08 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 17,22.96 लाख) में लिया गया ₹ 17,23.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 11,21.22 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 11,49.63 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था जिसके परिणामतः शीर्ष "4235-02-103(11)" के अंतर्गत अंतिम आधिक्य हुआ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अंश पूँजी (आर.ओ.बी.सी.एफ.डी.सी.सी.)			
मू.	1,00.00		
पु.	-1,00.00		
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[02] छात्रों हेतु महाविद्यालय भवन का निर्माण			
मू.	3,00.00		
पु.	-1,86.39		
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रवास भवनों का निर्माण			
मू.	2,75.00		
पु.	-1,85.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 4,71.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू.	15,50.97		
पु.	- 5,23.81		
		10,27.16	10,26.06
			- 1.10

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू.	19,61.81		
पु.	- 3,09.87	16,51.94	16,51.93
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			- 0.01
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	4,00.00
पु.	-4,00.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 12,33.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(11) विमंदिता महिला एवं बालग्रह भवन का निर्माण			
मू.	4,97.43	3,32.97	3,62.44
पु.	-1,64.46		+ 29.47
31 मार्च 2014 को ₹ 1,64.46 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
₹ 29.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(13) राजस्थान पुनर्वास संस्थान भवन का निर्माण			
मू.	4,00.00	1.35	1.35
पु.	-3,98.65		..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,98.65 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(14) संभाग मुख्यालयों पर मानसिक पुनर्वास गृह भवन का निर्माण			
मू.	3,90.00
पु.	- 3,90.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 3,90.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(04) ओल्डएज होम भवन का निर्माण			
मू.	3,68.40	3,13.82	3,13.83 + 0.01
पु.	- 54.58		
31 मार्च 2014 को ₹ 54.58 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू.	1,03.31
पु.	-1,03.31		
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू.	3,00.00
पु.	-3,00.00		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 4,03.31 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] हज समिति			
मू.	0.01		
पु.	1,09.89		
	1,09.90	1,09.90	..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09.89 लाख की अतिरिक्त निधियां नये भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

 02. समाज कल्याण

 800. अन्य व्यय

 (10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत
 व्यक्तियों के लिए योजना

 [01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण

अ .	0.02		
पु .	5,15.98		

5,16.00

5,16.00

..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,15.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय

 02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

 800. अन्य व्यय

 (09) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण

 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत

मू.	0.02		
अ.	17,22.96		
पु .	12,78.51		

30,01.49

30,01.49

..

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹17,22.96 लाख का प्रावधान तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹12,78.51 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा निश्चित वित्तीय मानदंड ₹ 4.50 लाख प्रत्येक भवन के अनुसार आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ली गयी।

अनुदान संख्या 034 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

पूंजी - 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	14,03,25,82		
अनुपूरक	3,06,07,73	17,09,33,55	16,21,86,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			- 87,46,94
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	18	19	18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			- 1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3		
अनुपूरक	68,00	68,03	26,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			- 42,03

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 87,46.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,06,07.73 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में सूखा राहत कार्य के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,04,07.73 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 87,46.94 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,86.08 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 2,63,82.65 लाख, ₹ 3,60,36.98 लाख, ₹ 5,43,85.52 लाख, ₹ 4,08,26.84 लाख तथा ₹ 87,46.94 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.12 प्रतिशत से 34.57 प्रतिशत के बीच थी। बचत का कारण मुख्यतः राहत कार्यों पर कम व्यय को बताया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
101. आनुग्रहिक राहत			
(11) वृद्ध-असक्त एवं निस्साहाय बच्चों के लिए राहत			
मू. 10,00.00	3,50.60	3,37.63	- 12.97
पु. - 6,49.40			
01. सूखा			
101. आनुग्रहिक राहत			
(12) कपड़े एवं बर्तन			
मू. 50.00
पु. - 50.00			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(07) ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू. 10,00.01	1,48.19	1,48.19	..
पु. - 8,51.82			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(08) नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू. 1,00.00
पु. - 1,00.00			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(10) जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति			
मू. 80,00.00	4,04.07	4,04.09	+ 0.02
पु. - 75,95.93			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(02) परिवहन			
मू. 51,56.47	2,46.22	2,46.22	..
पु. - 49,10.25			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(03) पशु पोषण केन्द्र			
मू.	27,00.00		
पु.	- 20,57.33	6,42.67	6,40.53
			- 2.14
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(06) पशु शिविर/गौशाला			
मू.	92,00.00		
पु.	- 70,08.72	21,91.28	21,82.53
			- 8.75
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	10,50.00		
पु.	- 10,50.00	..	- 0.01
			- 0.01
01. सूखा			
282. लोक स्वास्थ्य			
(02) दवाइयों की पूर्ति			
मू.	6,00.00		
पु.	- 6,00.00
			..
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[11] अग्नि सहायता			
मू.	5,50.00		
पु.	- 96.82	4,53.18	4,53.77
			+ 0.59
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[13] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	16,00.00		
पु.	- 15,65.44	34.56	34.56
			..

उपरोक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,65,35.71 लाख की प्रत्याशित बचत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कम राहत कार्यों को आरोपित की गयी।

शीर्ष "2245-01-101(11) " (₹ 12.97 लाख) तथा "2245-01-104(06) " (₹ 8.75 लाख) के अंतर्गत ₹ 21.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(08) अन्य मद			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00	..	- 0.03
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(12) कपड़े तथा बर्तन			
मू.	55.00		
पु.	- 53.84	1.16	1.16
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(13) आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत			
मू.	1,10.00		
पु.	- 1,08.99	1.01	1.01
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
105. पशु चिकित्सा			
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	7,65.00		
पु.	- 7,65.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	1,50,00.00		
पु.	- 1,38,95.47	11,04.53	11,04.51
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(05) सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	22,00.01		
पु.	- 17,53.28	4,46.73	4,46.61

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
107. खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	50.00
पु.	- 50.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जल पूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	2,50.00	26.27	..
पु.	- 2,23.73	26.27	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
मू.	1,75.00	54.09	..
पु.	- 1,20.91	54.09	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(02) पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	10,00.00	18.30	..
पु.	- 9,81.70	18.30	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(03) पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	4,00.00	1,84.69	..
पु.	- 2,15.31	1,84.69	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(04) पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	4,00.00	5.98	- 0.01
पु.	- 3,94.02	5.97	- 0.01

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(05) गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,81.69	18.31	18.30
			- 0.01
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(06) गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	2,50.00		
पु.	- 1,69.73	80.27	80.08
			- 0.19
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(07) गंभीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	2,50.00		
पु.	- 2,39.92	10.08	10.08
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(08) आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	4,50.00		
पु.	- 1,20.77	3,29.23	3,28.92
			- 0.31
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
मू.	1,00.00		
पु.	- 98.82	1.18	1.10
			- 0.08
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	17,00.00		
पु.	- 11,80.55	5,19.45	4,56.68
			- 62.77

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
191. नगर निगम को सहायता			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	20,00.00
पु.	- 20,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समान को सहायता			
मू.	12,00.00
पु.	- 12,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(02) दवाइयों की पूर्ति			
मू.	4,50.00
पु.	- 4,50.00

उपरोक्त बाइस शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,54,03.73 लाख की प्रत्याशित बचत बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कम राहत कार्यों को आरोपित की गयी।

शीर्ष "2245-02-122" के अन्तर्गत ₹ 62.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(06) तेरहवें वित्त आयोग के तहत आपदा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पॉस			
[01] सर्वे रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरण का क्रय			
मू.	6,00.00	1,13.20	1,10.83
पु.	- 4,86.80		- 2.37

₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आपदा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पॉस के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमानित था।

31 मार्च 2014 को ₹ 4,86.80 लाख के प्रावधान के अभ्यर्षण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

5 उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[17] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	23,00.00		
अ.	3,04,07.73	5,23,48.16	5,22,97.92
पु.	1,96,40.43		
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[18] लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	25,00.00		
पु.	2,34,91.73	2,59,91.73	2,59,64.23
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
मू.	32,00.00		
पु.	2,11.57	34,11.57	34,09.81
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
मू.	21,50.00		
पु.	3,75.19	25,25.19	25,18.27

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,37,18.92 लाख की अतिरिक्त निधियां राहत कार्यों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 86.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(04) अन्य सहायता			
मू.	27.71		
अ.	2,00.00	5,93.74	5,93.74
पु.	3,66.03		..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान उत्तराखण्ड आपदा से प्रभावितों को राहत हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 3,66.03 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

6. राज्य आपदा मोचन निधि:—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्तमान में रही आपदा राहत निधि को 2010-11 से 5 वर्षों के लिये नयी योजना राज्य आपदा मोचन निधि से बदला गया। आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में सम्पूर्ण वर्ष के प्रावधान का 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार करेगी और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। निधि ब्याज वाली आरक्षित निधि होगी। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जाये जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करें।

2013-14 के दौरान ₹ 6,95.33 करोड़ निधि को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 9,13.66 करोड़ को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि पर छमाही ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यदि राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि पर ₹ 26.28 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 2049 को नामे करते हुए निधि मद 8121 को जमा किया गया। राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि की आंशिक अनुपयोजित राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर ₹ 48.74 करोड़ ब्याज के रूप में भी अर्जित किये। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने शीर्ष "2245-80-800" को नामे करते हुए निधि को ₹ 0.53 करोड़ भी स्थानान्तरित किये। 31 मार्च 2014 को ₹ 10,68.82 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2013-14 के विवरण संख्या 12,18 तथा 19 में दर्शाया गया है।

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 42.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 68.00 लाख का प्रावधान फोडर डिपो खोलने हेतु संस्थाओं को ऋण देने के लिये लिया गया जो अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	90,33,01		
अनुपूरक	23,00,05	1,13,33,06	90,89,10 – 22,43,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			22,40,74
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	32,18,85		
अनुपूरक	7,00,03	39,18,88	32,32,16 – 6,86,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			6,86,72

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 22,43.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 23,00.04 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 0.01 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 23,00.05 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 2,67.77 लाख, ₹ 95,99.81 लाख, ₹ 28,24.83 लाख, ₹ 35,25.48 लाख तथा ₹ 22,43.96 लाख तक की पायी गयी निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के कुल बजट की 8.17 प्रतिशत से 68.54 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत रहने के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	8,59.78		
अ.	3,00.00	10,36.42	10,36.42 ..
पु.	- 1,23.36		

₹ 1,23.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) आई.ए. प्रवेश परीक्षा पर कम व्यय तथा (iii) प्रशिक्षण/सेमीनार कम आयोजित होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] जिला कार्यालय			
मू.	4,34.64		
पु.	- 1,57.28		
	2,77.36	2,77.37	+ 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 1,57.28 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	5,68.54		
अ.	0.02		
पु.	- 4,60.88		
	1,07.68	1,07.69	+ 0.01
₹ 4,60.88 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,61.84 लाख भारत सरकार से निधियां नहीं प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
₹ 2,99.04 लाख की शेष रही प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[04] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	18,96.15		
पु.	- 18,96.15		

31 मार्च 2014 को ₹ 18,96.15 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 4,75.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,20.30 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
वर्ष 2012-13 के दौरान भी 31 मार्च 2013 को ₹ 18,96.15 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 7,08.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,88.15 लाख) किया गया था।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	1,33.83		
पु.	- 74.37		
	59.46	59.46	..
31 मार्च 2014 को ₹ 74.37 लाख का प्रावधान भुगतान अगले वर्ष देय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[08] सेकलेन			
मू.	2,20.50		
पु.	- 1,16.38	1,04.12	1,04.12
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,16.38 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[11] ई-सुगम			
मू.	1,40.38		
पु.	- 93.52	46.86	46.85
			- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 93.52 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
204. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	17,43.01		
पु.	- 1,43.10	15,99.91	15,99.82
			- 0.09
₹ 1,43.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
204. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन			
(02) ई-ग्राम योजना			
मू.	1,98.62		
पु.	- 72.92	1,25.70	1,25.68
			- 0.02
₹ 72.92 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कलेक्टर्स द्वारा विधानसभा चुनावों से संबंधित कार्यों में उनके व्यस्तता के कारण कम व्यय को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
800. अन्य व्यय			
(01) मूल्यांकन संगठन विभाग			
मू.	4,09.68		
पु.	- 54.05		
		3,55.63	3,55.63
			..

₹ 54.05 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई। भर्ती प्रक्रिया की प्रगति को देखते हुए 73 रिक्त पदों में से 35 पदों के लिये प्रावधान अनुमानित किया गया किन्तु वर्ष के दौरान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसी दौरान 9 अतिरिक्त पद रिक्त हो गये।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन			
(01) आर्थिक और सांख्यिकी विभाग			
[02] आर्थिक गणना			
मू.	0.09		
अ.	20,00.00		
पु.	3,38.15		
		23,38.24	23,38.23
			- 0.01

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,38.15 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः छठी आर्थिक गणना पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

203. कम्प्यूटर सेवाएं

(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

[12] स्वान होरीजेंटल

मू.	3,63.70		
पु.	2,42.61		
		6,06.31	6,06.31
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,42.61 लाख की अतिरिक्त निधियां बी.एस.एन.एल. के बकाया बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
204. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
(03) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सांख्यिकी प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु			
मू.	0.14		
		4,27.17	4,26.76
पु.	4,27.03		- 0.41

13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत सांख्यिकी प्रणाली के सुधार के लिए प्रशिक्षण और दौरो तथा हस्तचलित मशीनों के सुधार के भुगतान के व्यय को पूरा करने हेतु 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,27.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 6,86.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 7,00.02 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 0.01 लाख) में अनुपुरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 7,00.03 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[06] एन. ई . जी. पी.			
मू.	19,19.98		
		4,66.00	4,66.00
पु.	- 14,53.98		..

31 मार्च 2014 को ₹ 14,53.98 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,20.17 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,33.81 लाख) की गई।

अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(05) राजकीय विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी			
मू.	5,21.50		
अ.	7,00.00	15,56.58	..
पु.	3,35.08		
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान और 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,35.08 लाख की अतिरिक्त निधियां सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण हेतु ली गई।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[08] सेकलेन			
मू.	98.00		
		2,39.73	..
पु.	1,41.73		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,41.73 लाख की अतिरिक्त निधियां सेकलेन परियोजना के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[18] ई-सेक्रेट्रेट			
मू.	2,61.67		
		3,12.15	..
पु.	50.48		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.48 लाख की अतिरिक्त निधियां ई-सेक्रेट्रेट स्कीम के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस			
अ.	0.01		
		1,86.55	..
पु.	1,86.54		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,86.54 लाख की अतिरिक्त निधियां विडियो कॉन्फ्रेंस स्कीम के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।			
800. अन्य व्यय			
(13) इण्डिया स्ट्रेथनिंग स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्ट			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	0.07		
		70.00	..
पु.	69.93		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69.93 लाख की अतिरिक्त निधियां हनुमानगढ़ जिले में सात ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के निर्माण पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 036 - सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और

2425. सहकारिता

पूंजी - 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,

4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,

6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,

6425. सहकारिता के लिए कर्ज और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,73,55,11	4,04,23,31	3,59,29,80	- 44,93,51
अनुपूरक	1,30,68,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
				44,91,07
प्रभारित				
मूल	1	40	39	- 1
अनुपूरक	39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	47,32,13	1,57,32,15	1,45,24,15	- 12,08,00
अनुपूरक	1,10,00,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
				12,08,00

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 44,93.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 5,00.02 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 1,25,68.18 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,30,68.20 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 036 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
मू.	17,04.14		
पु.	- 1,49.27	15,54.87	15,53.35
			- 1.52
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीक्षण			
मू.	24,69.86		
अ.	0.01	23,50.83	23,50.09
पु.	- 1,19.04		
			- 0.74
101. सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा			
मू.	21,27.54		
अ.	0.01	18,55.22	18,55.05
पु.	- 2,72.33		
			- 0.17

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 5,40.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

108. अन्य सहकारी समितियों को सहायता
(09) स्पिन फैंड को सहायता

मू.	3,37.84			
अ.	5,00.00	5,00.00	5,00.00	..
पु.	-3,37.84			

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान वित्तीय सशक्तिकरण हेतु स्पिन फैंड को सहायता हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 3,37.84 लाख के प्रावधान के अभ्यर्षण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

800. अन्य व्यय
(02) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान

मू.	1,18,05.61			
अ.	68,08.57	1,46,83.94	1,46,83.94	..
पु.	- 39,30.24			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 68,08.57 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 39,30.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 036 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	70,28.00		
अ.	43,57.00	1,16,13.29	..
पु.	2,28.29		

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 43,57.00 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों को ब्याज के भुगतान के लिए सहायता हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,28.29 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता
(26) के.वी.एस.एस.

मू.	0.01			
		1,02.82	1,02.83	+ 0.01
पु.	1,02.81			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,02.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
[03] स्पिन फैंड में विनियोजन			
मू.	4,10.96		
पु.	- 4,10.96

₹ 4,10.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 036 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
[06] राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम			
अ.	30,00.00		
		10,00.00	10,00.00
पु .	- 20,00.00		..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम में हिस्सा राशि हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार			
मू .	1,46.92		
अ.	10,00.00	10,00.00	10,00.00
पु .	- 1,46.92		..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान स्पिन फेड को वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उधार हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 1,46.92 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को उधार			
मू .	0.02		
		13,50.00	13,50.00
पु .	13,49.98		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,49.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 037 - कृषि

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
 पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज और
 6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	13,51,65,61	13,51,65,84	12,64,08,74	- 87,57,10
अनुपूरक	23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				86,80,03
प्रभारित				
मूल	1,02	1,02	19	- 83
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				83
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,20,19,68	1,79,53,46	1,62,72,17	-16,81,29
अनुपूरक	59,33,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				16,84,73

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 87,57.10 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 77.07 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन			
मू.	15,88.38	14,55.76	14,54.85
पु.	- 1,32.62		
₹ 1,32.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला संगठन			
मू.	8,39.70	7,33.72	7,33.70
पु.	- 1,05.98		
₹ 1,05.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) राज्य किसान आयोग हेतु			
मू.	1,18.00	66.98	67.00
पु.	- 51.02		
₹ 51.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(02) उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला			
मू.	6,41.50	5,57.21	5,57.13
पु.	- 84.29		
₹ 84.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
108. वाणिज्यिक फसलें			
(16) कार्य योजना (10% राज्यांश : 90% केन्द्रीयंश)			
मू.	2,64.00
पु.	- 2,64.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 2,64.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
108. वाणिज्यिक फसलें			
(17) तिलहन, दलहन, आइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)			
मू.	33,54.99	27,95.17	27,94.78
पु.	- 5,59.82		

31 मार्च 2014 को ₹ 5,59.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार कम राज्यांश जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(01) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना
[05] अनुसंधान

मू.	7,16.20	6,31.83	6,31.84	+ 0.01
पु.	- 84.37			

₹ 84.37 लाख की प्रत्याशित बचत 92 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(15) कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण (ए.टी.एम.ए.)

मू.	5,52.00	3,45.00	3,45.00	..
पु.	-2,07.00			

31 मार्च 2014 को ₹ 2,07.00 लाख की प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

110. फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रीयंश)
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से

मू.	2,12,64.93	1,47,77.30	1,47,76.99	- 0.31
पु.	- 64,87.63			

₹ 2,12,64.93 लाख का प्रावधान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के नुकसान से होने वाली हानि को पूरा करने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 64,87.63 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयंश)

मू.	8,10.00	6,60.46	6,60.46	..
पु.	-1,49.54			

₹ 8,10.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत परियोजना आधारित तथा क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,49.54 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश : 80% केन्द्रीयंश)			
मू.	21,43.30	17,79.27	17,79.25
पु.	- 3,64.03		
₹ 21,43.30 लाख का प्रावधान जल बचाने एवं अधिक उत्पादन हेतु बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,64.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(27) कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु सहायता			
मू.	10,00.00	2,32.19	2,32.19
पु.	- 7,67.81		
₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान किसानों की रूची देखते हुए प्रोसेसिंग यूनिट को अनुदान हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2014 को ₹ 7,67.81 लाख प्रावधान मुख्यतः (i) उत्पादन शुरू न होने के कारण दो प्रोसेसिंग यूनिट को अनुदान की द्वितीय किश्त जारी नहीं किया जाना तथा (ii) आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तीन प्रोसेसिंग यूनिट को अनुदान की प्रथम किश्त जारी नहीं की गयी इसके परिणामस्वरूप इन यूनिटों का निरीक्षण नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(34) हॉर्टिकल्चर पार्क			
मू.	1,50.00	6.24	6.24
पु.	- 1,43.76		
₹ 1,50.00 लाख का प्रावधान डी.पी.आर. बनाने, प्रोजेक्ट की मॉनेटरिंग के लिए वाहन किराये पर लेने तथा पी.डी. कोर से सलाह लेने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2014 को ₹ 1,43.76 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) चुनाव आचार संहिता के कारण पी.डी. कोर से सलाह नहीं लेने, (ii) पी.डी. कोर द्वारा डी.पी.आर. बनाने में देरी तथा (iii) उद्यान विभाग को आवंटित भूमि के स्थानान्तरण में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	40,87.84	36,14.11	36,11.64
पु.	- 4,73.73		
₹ 4,73.73 लाख की प्रत्याशित बचत 252 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[06] कार्य योजना (10% राज्यांश : 90% केन्द्रीयंश)			
मू.	6,18.00
पु.	- 6,18.00
31 मार्च 2014 को ₹ 6,18.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्ण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[07] तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)			
मू.	21,67.00	6,87.02	6,85.62
पु.	- 14,79.98		- 1.40
₹ 14,79.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[09] कृषि विस्तार सेवाएं			
मू.	6,12.74	5,31.37	5,28.61
पु.	- 81.37		- 2.76
31 मार्च 2014 को ₹ 81.37 लाख का प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती तथा चुनाव कार्य में अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यस्त रहने के कारण अन्तरराज्यीय दौरा पर कम व्यय के कारण अभ्यर्णित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	1,86,45.01	1,83,21.26	1,83,19.31
पु.	- 3,23.75		- 1.95
31 मार्च 2014 को ₹ 3,23.75 लाख प्रावधान मुख्यतः 1349 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्णित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(23) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	68,70.98	33,21.98	33,21.98
पु.	- 35,49.00		..
₹ 35,49.00 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	30,00.01		
पु.	- 2,32.62		
	27,67.39	27,67.31	- 0.08
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	20,00.00		
पु.	-14,00.00		
	6,00.00	6,00.00	..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[05] मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.01		
पु.	-1,18.48		
	81.53	81.53	..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	25,00.00		
पु.	-16,80.00		
	8,20.00	8,20.00	..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[13] उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
मू.	1,00.00		
पु.	- 66.31		
	33.69	33.69	..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[15] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	15,00.00		
पु.	- 5,01.33		
	9,98.67	10,03.58	+ 4.91

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के माध्यम से			
मू.	15,00.00		
पु.	- 7,50.00	7,50.00	..

उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत ₹ 47,48.74 लाख की प्रत्याशित बचत *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* के अन्तर्गत भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय
(30) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

मू.	14,04.00		
पु.	-14,04.00

₹ 14,04.00 लाख का प्रावधान कृषि प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण देने तथा अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मूल्य संवर्धन के लिये संस्थान की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 14,04.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,51.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,53.00 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

800. अन्य व्यय
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	28,95.00		
पु.	-23,15.00	5,80.00	..

₹ 23,15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(13) नवाचार कार्यक्रम			
मू.	2,54.50		
पु.	10,72.15	13,26.65	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 10,72.15 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(02) बागवानी का विकास			
मू.	22,41.02	34,66.78	34,66.67
पु.	12,25.76		
			- 0.11

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,25.76 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की घोषणा की अनुपालना में सौर ऊर्जा परियोजना पर राज्यांश से बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(28) बूंद बूंद सिंचाई राज्य योजना

मू.	60,33.47	63,75.92	63,75.92	..
पु.	3,42.45			

₹ 60,33.47 लाख का प्रावधान जल के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,42.45 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वीकृत कार्य योजनाओं/बकाया अनुदान प्रकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान

मू.	1,97.50	4,00.00	3,62.33	- 37.67
पु.	2,02.50			

₹ 1,97.50 लाख का प्रावधान किसानों की आय में वृद्धि के लिए उच्च तकनीकी बागवानी की ग्रीन हाउस/शेड्स-नेट्स की स्थापना को उन्नत करने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,02.50 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना में लघु एवम् सीमान्त कृषकों की रूची में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गई परिणामतः भारत सरकार से अधिक अनुदान जारी की गयी तथा तदनुसार अधिक राज्यांश जारी किया गया।

₹ 37.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

800. अन्य व्यय
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	1,82,99.95	2,62,45.09	2,62,17.28	- 27.81
पु.	79,45.14			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,45.14 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध कराई गई।

₹ 27.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	87,00.02	1,24,70.17	- 3.00
पु.	37,70.15		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[09] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के माध्यम से			
मू.	2,00.00	5,00.00	..
पु.	3,00.00		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,70.15 लाख की अतिरिक्त निधियां *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[02] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर			
मू.	53,79.26	58,79.25	..
पु.	4,99.99		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नियमित कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर			

अ.	0.06	2,90.00	..
पु.	2,89.94		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,89.94 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 16,81.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 59,33.78 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 59,33.76 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(03) हॉर्टिकल्चर पार्क			
मू.	1,00.00	25.00	25.00
पु.	- 75.00		
₹ 1,00.00 लाख प्रावधान आवंटित भूमि पर चार दीवारी, मुख्य द्वार, ट्यूब वेल एवम् वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रचर के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 75.00 लाख का प्रावधान उद्यान विभाग को आवंटित भूमि के स्थानान्तरण में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[02] भवनों का विकास एवं पुनर्सुधार			
मू.	1,50.00	75.00	75.00
पु.	- 75.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 75.00 लाख प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	84,18.00	40,05.37	40,05.37
पु.	- 44,12.63		
₹ 44,12.63 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी गति को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	6,99.91	57.90	57.90
पु.	- 6,42.01		
31 मार्च 2014 को ₹ 6,42.01 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	4,00.02
पु.	-4,00.02
31 मार्च 2014 को ₹ 4,00.02 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.02		
पु.	-1,41.49	58.53	62.49 + 3.96
31 मार्च 2014 को ₹ 1,41.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 3.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(06) कृषि विश्वविद्यालयों को उधार			
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार			
मू.	0.01		
पु.	8,99.99	9,00.00	9,00.00 ..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशन, कम्प्यूटेशन तथा उपदान के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को ऋण के लिए उपलब्ध कराई गई।			

800. अन्य कर्ज			
(06) कृषि विश्वविद्यालयों को उधार			
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार			
मू.	0.01		
पु.	20,24.99	20,25.00	20,25.00 ..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 20,24.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
अ.	59,33.76		
पु.	10,66.24	70,00.00	70,00.00 ..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 10,66.24 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और

2702. लघु सिंचाई

पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,22,30,91		
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		1,22,30,92	1,00,47,73
			- 21,83,19
प्रभारित			
मूल	4		
अनुपूरक	2,04		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		2,08	2,05
			- 3
			3
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	26,13,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		26,13,00	39,08
			- 25,73,92
			25,73,91
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
102. मृदा संरक्षण			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैंड फण्डेड)(एम पॉवर)			
मू.	27,84.49		
पु.	- 13,39.67		
		14,44.82	14,44.54
			-0.28

अनुदान संख्या 038 - (क्रमशः)

31 मार्च 2014 को ₹ 13,39.67 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले 56 पदों में से 25 पदों के रिक्त रहने, (ii) वेतन आधारित अनुबन्ध पर कार्य कर रहे एफ.एन.जी.ओ. के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण न होने, (iii) चुनाव आचार संहिता के कारण माह मार्च 2014 में कार्य पर रोक तथा (iv) स्वयं सहायता समूहों के पूंजीगत सहयोग को जारी करने के पेरामीटर्स एन.आर.एल.एम. प्रावधानों के अनुसार बैंक क्रेडिट लिक्विडिटी की अनिवार्य शर्त होने की वजह से वित्तीय लक्ष्यों के पूर्ण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) कार्य योजना के भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान			
[02] भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान (10:90)			
मू.	9,93.99
पु.	- 9,93.99

31 मार्च 2014 को ₹ 9,93.99 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,98.83 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,95.16 लाख) किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा योजना बंद कर दी गयी।

2702. लघु सिंचाई

02. भू-जल

005. अन्वेषण

(01) भू-जल का सर्वेक्षण व अनुसंधान

मू.	15,01.29	12,64.89	12,64.84	- 0.05
पु.	- 2,36.40			

₹ 2,36.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा पीजो मीटरों के मरम्मत तथा संधारण के कार्यों के निष्पादन न होने को आरोपित की गयी।

03. रखरखाव

103. नलकूप (ट्यूब वेल)

(01) कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना

[01] निदेशन और प्रशासन

मू.	6,52.92	5,72.31	5,72.29	- 0.02
पु.	- 80.61			

₹ 80.61 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों का उपयोग नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बजट का ऑन लाइन आंक्टन उपलब्ध नहीं था।

अनुदान संख्या 038 - (क्रमशः)

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) कार्य योजना के भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय			
मू.	16,34.75		
पु.	2,50.83	18,85.58	18,83.04
			- 2.54

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.83 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया, बढ़ी दर पर मंहगाई भत्ता तथा वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2702. लघु सिंचाई

03. रखरखाव

103. नलकूप (ट्यूब वेल)

(01) कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना

[02] कार्यकारी

मू.	39,16.65	41,71.07	41,71.05	- 0.02
पु.	2,54.42			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,54.42 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) डी.टी.एच. द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक विभागीय रिग मशीनों के चलने, (ii) डीजल आइल की दरों में वृद्धि, (iii) गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा (iv) ड्रिलिंग में उपयोग किये गये पाइप/ बिट्स की दरों में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
102. मृदा संरक्षण			
(02) वन विभाग के माध्यम से			
[12] बनास नदी पर कार्य योजना (10 : 90)			
मू.	11,34.70
पु.	- 11,34.70

अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
102. मृदा संरक्षण			
(02) वन विभाग के माध्यम से			
[13] नदी घाटी पर कार्य योजना (10 : 90)			
मू.	11,45.10
पु.	- 11,45.10
102. मृदा संरक्षण			
(02) वन विभाग के माध्यम से			
[14] लूनी नदी पर कार्य योजना (10 : 90)			
मू.	2,19.50
पु.	- 2,19.50
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 24,99.30 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 24,90.98 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8.32 लाख) किया गया।			
4702. लुघ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
102. भू-जल			
(01) भू-जल विभाग द्वारा संचालित कार्य			
[02] भवन निर्माण			
मू.	88.68	5.77	5.77
पु.	- 82.91		..
31 मार्च 2014 को ₹ 82.91 लाख की राशि के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)			

अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन और
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और
 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,88,92,61	7,03,97,92	6,77,52,92	- 26,45,00
अनुपूरक	2,15,05,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
प्रभारित				
मूल	1,01	1,01	..	- 1,01
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	5,24,77	85,79,74	83,41,12	- 2,38,62
अनुपूरक	80,54,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 26,45.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,15,05.31 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 56,05.19 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 26,45.00 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,27.81 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[01] प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग			
मू.	46,57.22		
अ.	1,00,00.00	1,27,28.06	1,26,87.46
पु.	- 19,29.16		- 40.60

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान गोशाला को अनुदान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 19,29.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) चुनाव आचार संहिता तथा अधिकारियों/कर्मचारियों का चुनावी कार्य में संलग्नता के कारण सहायतार्थ अनुदान के कम भुगतान, (ii) पदों के रिक्त रहने तथा नियुक्ति में देरी, (iii) निदेशालय कार्यालय में साफ्टवेयर विकास कार्य, अग्नि रोधक प्रणाली तथा कूलिंग प्रणाली का निष्पादन न होना, (iv) चुनाव आचार संहिता के कारण संभावित कार्यों के पूरा नहीं होने को देखते हुए आयोजना सीमा में कटौती तथा (v) जिला कार्यालयों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं/देरी से होने को आरोपित की गयी।

₹ 40.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	41,09.86		
पु.	- 25,18.61	15,91.25	15,80.17
			- 11.08

₹ 25,18.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) कार्मिकों का चुनावी कार्य में संलग्नता तथा (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन के किराये का मूल्यांकन न किये जाने एवं मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं के संग्रहण हेतु किराये पर भवन लेने का प्रमाण पत्र उप-खण्डीय अधिकारियों से प्राप्त न होने को आरोपित की गयी।

₹ 11.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(05) अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	3,15,81.96		
अ.	8,00.00	3,04,83.72	3,04,27.33
पु.	- 18,98.24		- 56.39

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,00.00 लाख का प्रावधान पशु स्वास्थ्य के विस्तार हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 18,98.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) ए सी पी/ वेतन निर्धारण के बकाया का भुगतान न होने, (iii) आयोजना सीमा में कटौति के कारण नवसृजित तथा क्रमोन्नत संस्थाओं पर कम व्यय होने, (iv) जिला चिकित्सा सोसायटी को सीडमनी उपलब्ध कराने तथा कृत्रिम गर्भाधान के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से अनुदान की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने तथा (v) कार्मिकों की चुनावी कार्य में संलग्नता को आरोपित की गयी।

₹ 56.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड)(1:3)			
मू.	2,95.04	1,48.83	1,49.17
पु.	- 1,46.21		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,46.21 लाख का प्रावधान विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों की आयोजना सीमा में कटौती तथा उपकरणों की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(20) राष्ट्रीय बुसेला नियंत्रण योजना			
मू.	87.00	30.50	29.96
पु.	- 56.50		
31 मार्च 2014 को ₹ 56.50 लाख का प्रावधान बुसेला के नियंत्रण हेतु कम टीकाकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि चुनावों के कारण कार्य प्रभावित हुआ।			
102. पशु तथा भैस विकास			
(01) पशु अभिजनन प्रक्षेत्र			
मू.	9,37.46	7,72.58	7,69.27
पु.	- 1,64.88		
₹ 1,64.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चुनावों के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को दृष्टिगत रखते हुए आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
102. पशु तथा भैस विकास			
(15) राजस्थान लाइव स्टॉक डवलपमेंट बोर्ड को सहायता			
मू.	70.00	17.50	17.50
पु.	- 52.50		
31 मार्च 2014 को ₹ 52.50 लाख का प्रावधान कृत्रिम गर्भाधान के तहत राजस्थान लाइव स्टॉक डवलपमेंट बोर्ड को पूर्व में दी गयी निधियों के समायोजन के कारण अनुदान में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2405. मछली-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
मू.	13,51.55	11,32.64	11,37.44
पु.	- 2,18.91		
₹ 2,18.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 4.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
03. पशु पालन			
120. अन्य संस्थाओं को सहायता			
(02) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	1,13.15	63.15	63.15
पु.	- 50.00		..

31 मार्च 2014 को ₹ 50.00 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(11) पोलिक्लिनिकों की स्थापना			
मू.	22.01	1,38.94	1,37.40
पु.	1,16.93		- 1.54

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,16.93 लाख की अतिरिक्त निधियां क्रमोन्नत पोलिक्लिनिकों में पदस्थापन के पश्चात् वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य
(21) मुख्यमंत्री मोबाइल वेटेनरी यूनिट

मू.	3,48.80	7,44.90	7,34.84	- 10.06
पु.	3,96.10			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,96.10 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः तहसील स्तर पर मुख्यमंत्री मोबाइल यूनिटों पर स्वीकृत पदों के विपरीत नियुक्तियों एवं पदस्थापन के परिणामतः वेतन पर अधिक व्यय तथा यूनिटों के लिये किराये पर मोटर वाहन की उपलब्धता होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी
(02) पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना
(सी एस एस) (50:50)

मू.	1,56.60	2,26.36	2,25.61	- 0.75
पु.	69.76			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69.76 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः रिक्त पदों पर नियुक्तियों के परिणामतः वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी हुई दरों पर भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2404. डेयरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता			
मू.	86.63		
		1,50.00	1,50.00
पु.	63.37		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63.37 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से खाद्य तथा चारा योजना के तहत निधियां प्राप्त होने से उपलब्ध करायी गयी।			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(02) दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन			
मू.	0.01		
अ.	1,06,05.17	1,45,00.00	1,45,00.00
पु.	38,94.82		..

अगस्त 2013 (₹ 50,00.00 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 56,05.17 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,06,05.17 लाख का प्रावधान दुग्ध उत्पादकों और राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को सहायता हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38,94.82 लाख की अतिरिक्त निधियां दुग्ध उत्पादकों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6403. पशु-पालन के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(02) विश्वविद्यालय को उधार			
[01] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर			
मू.	5,24.72		
		2,62.36	2,62.36
पु.	- 2,62.36		..

₹ 2,62.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग और

2875. अन्य उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,27,13	3,32,71	3,29,35	- 3,36
अनुपूरक	2,05,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				3,37
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3	88,00,93	88,00,93	..
अनुपूरक	88,00,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	31,93,14,93		
अनुपूरक	3,43,92,72	35,37,07,65	33,37,85,61 – 1,99,22,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,16,04,99
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	..	1	.. – 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1

पूंजी

दत्तमत			
मूल	2,75,12		
अनुपूरक	3,35,72	6,10,84	6,91,54 + 80,70 (आधिक्य ₹ 80,70,191)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,99,22.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 25,00.02 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 3,18,92.70 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,43,92.72 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 1,99,22.04 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,16,04.99 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) जिला योजना समिति कर्मचारीवर्ग			
मू. 10,21.00	8,29.32	8,29.32	..
पु. - 1,91.68			
₹ 1,91.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) तदर्थ सहायता			
[01] संस्थापन			
मू. 22,38.42	27,87.47	27,87.45	- 0.02
अ. 15,00.00			
पु. - 9,50.95			
अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान बी.पी.एल. योजनाओं के लोगो और साईन बोर्ड हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 9,50.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) पिछड़ा जिला विकास निधि			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू. 2,22,37.00	47,58.00	47,58.00	..
पु. - 1,74,79.00			
₹ 2,22,37.00 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने, गरीबी उन्मूलन में सहयोग तथा जवाबदेह व उत्तरदायी पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2014 को ₹ 1,74,79.00 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(21) जिला नवीनीकरण निधि			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू. 11,58.96
पु. - 11,58.96			

₹ 11,58.96 लाख का प्रावधान राज्य के 33 जिलों में पूर्व में सृजित सम्पत्तियों की क्षमता को बढ़ाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, भारत सरकार से द्वितीय किस्त जारी न होने के कारण 31 मार्च 2014 को ₹ 11,58.96 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये) मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	4,81,94.00		
		2,83,52.27	2,83,25.32
पु.	- 1,98,41.73		- 26.95

₹ 1,98,41.73 लाख की प्रत्याशित बचत (i) जिला परिषद, जोधपुर द्वारा राशि के आहरण न करने तथा जिला रसद अधिकारियों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी की शक्ति का उपयोग न करने तथा (ii) बारां जिले द्वारा व्यय का गलत वर्गीकरण करने को आरोपित की गयी।

₹ 26.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता
(19) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत
ग्राम पंचायतों के लिये विशेष क्षेत्र निष्पादन
बुनियादी अनुदान
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां

मू.	3,42.36			
पु.	- 3,42.36			

₹ 3,42.36 लाख का प्रावधान स्थानीय विशिष्ट मांगों के अनुसार योजना बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 3,42.36 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता
(27) राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु
अनुबन्ध कार्मिकों के मानदेय हेतु
[01] संस्थापना

मू.	20,00.00			
		19,02.02	19,02.02	
पु.	- 97.98			

31 मार्च 2014 को ₹ 97.98 लाख का प्रावधान सभी राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सुरक्षा कार्मिकों की तैनातगी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग			
मू.	11,37.59		
अ.	0.01	33,67.67	33,67.63
पु.	22,30.07		- 0.04

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,30.07 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कम्प्यूटर की खरीद तथा (ii) विभाग द्वारा अपलेखित तकावी ऋणों के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

- (04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)

- [02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	10,95.40			
अ.		20,20.75	20,20.75	..
पु.	9,25.35			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,25.35 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

- (18) ग्रामों के मास्टर प्लान हेतु राशि

- [02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	0.01			
अ.	10,00.00	40,50.00	40,50.00	..
पु.	30,49.99			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

- (25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास

- [01] सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	1,78,31.58			
अ.		1,91,87.56	1,91,87.56	..
पु.	13,55.98			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,55.98 लाख की अतिरिक्त निधियां हुड़कों को भुगतान हेतु जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(28) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.01		
अ.	0.01	2,91.81	..
पु.	2,91.79	2,91.81	

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,91.79 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) तदर्थ सहायता
[01] संस्थापन

मू.	2,94,29.96			
अ.	56,74.63	4,06,10.83	4,23,20.83	+ 17,10.00
पु.	55,06.24			

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 56,74.63 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों को वेतन एवं भत्तों के लिए अनुदान जारी करने हेतु लिया गया।

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55,06.24 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 17,10.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत
पंचायत समितियों के लिए अनुदान
(कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां

मू.	43,81.62			
पु.	14,49.65	58,31.27	58,31.27	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,49.65 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(07) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत
समितियों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां

मू.	70,66.80			
पु.	1,61.75	72,28.55	72,28.55	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,61.75 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान			
[01] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	48,27.60	49,36.06	49,36.06
पु.	1,08.46		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,08.46 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) तदर्थ सहायता			
[01] हैण्ड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)			
मू.	43,00.00	47,00.00	47,00.00
पु.	4,00.00		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			..
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) तदर्थ सहायता			
[03] जनता जल योजनान्तर्गत संधारण			
मू.	42,27.19	51,33.94	51,33.94
पु.	9,06.75		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,06.75 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			..
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(12) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.01	74.00	74.00
पु.	73.99		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 73.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			..

अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(16) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	5,00,56.50	5,12,02.25	5,12,02.25
पु.	11,45.75		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,45.75 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(17) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	3,41,95.50	3,49,63.71	3,49,63.71
पु.	7,68.21		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,68.21 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

पूंजी

दत्तमत

- व्यय अनुदान से ₹ 80,70,191 अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है।
- ₹ 80.70 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,35.72 लाख का प्रावधान अपर्याप्त था।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	2,75.12	6,10.84	6,91.54
अ.	3,35.72		
			+ 80.70

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,35.72 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों/जिला परिषदों के भवनों के निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए अपर्याप्त था।

₹ 80.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 042 - उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और

2852. उद्योग

पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,

4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,

6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और

6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,17,14,29	1,42,72,09	1,35,51,57	- 7,20,52
अनुपूरक	25,57,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				7,23,80
प्रभारित				
मूल	2	2	..	-2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	21,82,59	73,59,39	73,44,84	-14,55
अनुपूरक	51,76,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				14,55

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 7,20.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 10,00.08 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 15,57.72 लाख) में लिया गया ₹ 25,57.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 7,20.52 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 7,23.80 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
103. हथकरघा उद्योग			
(09) एकीकृत हथकरघा विकास कार्यक्रम			
मू.	1,07.00
पु.	- 1,07.00

₹ 1,07.00 लाख का प्रावधान बुनकर समूह के विकास के लिये *एकीकृत हथकरघा विकास योजना* के तहत अनुमानित था। राज्य में योजना के अन्तर्गत 14 समूह एप्रोच परियोजना एवं 6 हथकरघा क्लस्टर परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, परन्तु कार्यकारी अभिकरणों की शिथिलता तथा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को ₹ 1,07.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 95.35 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11.65 लाख) किया गया।

111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना			
(03) उद्यम स्थापना विस्तार विविधिकरण एवं आधुनीकरण			
[01] मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना			
अ .	2,50.00	59.65	59.62
पु .	- 1,90.35		-0.03

₹ 1,90.35 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान लाभार्थी इकाईयों को ऋण कम वितरित करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ब्याज अनुदान के कम दावे निस्तारित करने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन			
मू.	13,92.00		
अ.	3,09.91	10,47.57	10,54.66
पु.	- 6,54.34		+ 7.09

अगस्त 2013 (₹ 0.01 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 3,09.90 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,09.91 लाख का प्रावधान *राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन* की क्रियान्विति हेतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अनुदान हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 6,54.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

₹ 7.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र			
मू.	27,12.22	24,51.76	24,51.16
पु.	- 2,60.46		- 0.60

₹ 2,60.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 346 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
003. औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(10) नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फेशन टेक्नोलोजी			
मू.	9,32.98		
		3,95.54	3,95.54
पु.	- 5,37.44		..

₹ 5,37.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राष्ट्रीय फेशन तकनीकी संस्थान द्वारा पूर्व में आवण्टित समस्त निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

80. सामान्य
102. औद्योगिक उत्पादकता
(24) अप्रवासी भारतीय विभाग
[01] राजस्थान फाउन्डेशन

मू.	60.00		
		5.00	5.00
पु.	- 55.00		..

31 मार्च 2014 को ₹ 55.00 लाख का प्रावधान चुनावों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने अपना राजस्थान कार्यक्रम आयोजित नहीं होने तथा गत वर्ष की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------------------------	-------------------

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग
103. हथकरघा उद्योग
(01) राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम

मू.	2,89.99		
		4,97.49	4,97.49
पु.	2,07.50		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,07.50 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

103. हथकरघा उद्योग
(12) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संग निगम

मू.	2,50.00		
		5,00.00	5,00.00
पु.	2,50.00		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2014)

अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
105. खादी ग्रामोद्योग			
(01) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड			
मू.	31,39.40		
अ.	10,12.75	43,95.15	43,95.15
पु.	2,43.00		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,43.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मंडल कर्मचारियों को बकाया वेतन एवं भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (बी.आई.पी.)			
मू.	4,43.40		
अ.		6,27.90	6,27.90
पु.	1,84.50		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,84.50 लाख की अतिरिक्त निधियां अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) और राज्य सरकार के मध्य हुये समझौते के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान करने के लिये उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(03) राजस्थान लघु उद्योग निगम			
मू.	74.98		
अ.	3,85.07	6,33.05	6,33.04
पु.	1,73.00		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,73.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 043 - खनिज

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,04,33,87	1,48,65,22	- 25,29,51
अनुपूरक	44,31,35		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			25,19,20
प्रभारित			
मूल	1,00	1,00	- 1,00
अनुपूरक	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1,00
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	1,30,02	1,30,04	- 1,12,04
अनुपूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1,12,04

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 25,29.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.05 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 44,31.30 लाख) में लिया गया ₹ 44,31.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	66,37.51		
पु.	- 8,27.82	58,09.69	58,01.78
			- 7.91
<p>₹ 8,27.82 लाख की प्रत्याशित बचत (i) सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) बोर्डर होम गार्ड कम्पनियों पर कम व्यय होने तथा संविदा पर कम्प्यूटर विद्मैन पर व्यय न होने, (iii) चुनाव आचार संहिता के कारण मशीनरी, टायर-ट्यूब, बैटरी इत्यादि की खरीद समय पर नहीं होने एवं (iv) चुनाव आचार संहिता के कारण लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहन के रूप में वितरण करने हेतु सामग्री की खरीद न होने को आरोपित की गयी।</p> <p>₹ 7.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।</p>			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) खनिज संरक्षण बल			
मू.	8,38.60		
पु.	- 6,91.57	1,47.03	1,44.61
			- 2.42
<p>31 मार्च 2014 को ₹ 6,91.57 लाख का प्रावधान मुख्यतः गैर कानूनी खनन को रोकने हेतु खनिज सुरक्षा बलों के 1000 कार्मिकों का नियोजन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) सघन पूर्वक्षण तथा खनिज सर्वेक्षण			
मू.	4,00.12		
पु.	- 2,68.40	1,31.72	1,31.71
			- 0.01
<p>₹ 2,68.40 लाख की प्रत्याशित बचत आउट सोर्सिंग के आधार पर लाईम स्टोन व लिग्नाइट में छिद्रण कार्य हेतु कम दरों के कारण मशीन विद्मैन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।</p>			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
102. खनिज खोज (समन्वेषण)			
(01) पूर्वक्षण और व्यधन			
मू.	8,90.81		
पु.	- 1,54.81	7,36.00	7,36.00
			..
<p>₹ 1,54.81 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।</p>			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[02] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग			
मू.	0.01		
अ.	19,60.67	12,69.70	12,69.70
पु.	- 6,90.98		..

अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 19,60.67 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 6,90.98 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा निर्धारित अवधि में चिकित्सा सुविधाओं जैसे उपकरणों, दवाइयों, अन्य कार्य जो राजस्थान में मुख्य खनिज क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये थी, पर व्यय नहीं होने के कारण को अरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[01] खनन एवं भू-विज्ञान विभाग			
मू.	0.01	94.98	94.98
पु.	94.97		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 94.97 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) खान विभाग द्वारा वन विभाग से भूमि अधिग्रहण			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00		..

₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान वन क्षेत्र को खनन क्षेत्र में बदलने हेतु उपलब्ध कराया गया था परन्तु वन विभाग ने राशि का मुल्यांकन/मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 98.71 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1.29 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 044 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूंजी - 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	26,85,32	28,85,06	28,25,47	- 59,59
अनुपूरक	1,99,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				59,59
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,50,01	1,50,01	1,47,19	- 2,82
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,82

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 59.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,99.74 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 045 - राज्य कर्मचारियों को ऋण
(समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	9			
अनुपूरक	..	9	..	- 9
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				9

अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	16,88,91,50		
अनुपूरक	52,52,16	17,41,43,66	16,45,62,69 - 95,80,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			74,20,80
प्रभारित			
मूल	10		
अनुपूरक	2,10,16	2,10,26	2,04,56 - 5,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			5,68
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	11,08,50,87		
अनुपूरक	34	11,08,51,21	8,29,33,09 - 2,79,18,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,66,44,49
प्रभारित			
मूल	2		
अनुपूरक	12,92	12,94	12,93 - 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- अगस्त 2013 (₹ 0.04 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 52,52.12 लाख) में लिया गया ₹ 52,52.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 95,80.97 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 21,60.17 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रख रखाव और मरम्मत			
(01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी			
मू.	2,35.00	1,54.70	1,45.00
पु.	- 80.30		
₹ 2,35.00 लाख का प्रावधान जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूले गये तथा राजकीय खाते में जमा कराये गये जल प्रभार का 50 प्रतिशत वापसी हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष 2013-14 के दौरान जल उपभोक्ता संगमों द्वारा कम राशि वसूल किये जाने के परिणामतः 31 मार्च 2014 को ₹ 80.30 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी।			
₹ 9.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) वाहिनी मुख्य नहर			
[01] मुख्य नहर एवं शाखाएं (सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा के माध्यम से)			
मू.	4,47.00	3,74.08	3,74.08
पु.	- 72.92		
₹ 72.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] आर.एम.सी. से स्थानान्तरित प्रोरेटा			
मू.	93.80	93.29	..
पु.	- 0.51		
₹ 93.29 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य			
मू.	60,10.10	68,75.32	61,71.17
अ.	8,73.53		
पु.	- 8.31		
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,73.53 लाख का प्रावधान व्यास परियोजना पर भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा संधारण के पुनर्भरण हेतु लिया गया था जो शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 7,04.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[02] अनुरक्षण व्यय			
मू.	11,18.48	9,68.96	9,69.01
पु.	- 1,49.52		
₹ 1,49.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	18,71.26	16,75.43	16,75.37
पु.	- 1,95.83		
₹ 1,95.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति (ए सी पी) योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर परियोजना कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना			
मू.	6,32.00	5,30.90	5,26.46
पु.	-1,01.10		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,01.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	4,22,45.37	4,20,56.93	4,19,28.91
अ.	- 1,88.44		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,88.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित तथा ₹ 1,28.02 लाख की अंतिम बचत कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण रही।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	1,97,83.50		
अ.	4,80.59	2,03,03.48	1,95,33.07
पु.	39.39		- 7,70.41

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,80.59 लाख तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39.39 लाख का प्रावधान पूंजी लेखों पर ब्याज के समायोजन हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि ब्याज का वास्तविक समायोजन कुल अनुमान से कम होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 7,70.41 लाख की अंतिम बचत रही।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक)(मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)

800. अन्य व्यय
(01) अन्य व्यय

मू.	49,06.87			
पु.	- 1,06.72	48,00.15	48,00.41	+ 0.26

31 मार्च 2014 को ₹ 1,06.72 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2701. मध्यम सिंचाई

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
[01] निदेशन तथा प्रशासन

मू.	21,40.21			
पु.	- 1,62.56	19,77.65	19,77.64	- 0.01

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
[03] निष्पादन

मू.	82,48.83			
पु.	- 17,54.30	64,94.53	64,93.27	- 1.26

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 19,16.86 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

80. सामान्य
005. सर्वेक्षण
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
[02] निष्पादन

मू.	22,89.49			
अ.	0.01	16,83.18	16,83.02	- 0.16
पु.	- 6,06.32			

₹ 6,06.32 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) उपनिवेशन योजनाएँ			
मू.	16,52.53	15,11.20	15,04.67
पु.	- 1,41.33		
₹ 1,41.33 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			- 6.53
₹ 6.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निदेशन			
मू.	50,32.00	50,34.56	50,34.44
अ.	3,00.00		
पु.	- 2,97.44		
फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत तथा संधारण हेतु लिया गया था। यद्यपि, मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण ₹ 2,97.44 लाख की प्रत्याशित बचत रही।			- 0.12
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] मद 2701-80 साधारण से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	14,01.65	13,41.66	11,61.47
पु.	- 59.99		
31 मार्च 2014 को ₹ 59.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित तथा ₹ 1,80.19 लाख की अंतिम बचत आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम होने के कारण था।			- 1,80.19
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(05) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एस. डब्ल्यू. आर. पी. डी. के माध्यम से			
मू.	56,69.99	17,25.68	17,20.05
पु.	-39,44.31		
₹ 39,44.31 लाख की प्रत्याशित बचत (i) चुनाव आचार संहिता के कारण विभिन्न लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों का देरी से आरम्भ होना तथा (ii) एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन योजना के सुगमता तथा क्रियान्विति के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विलम्ब को आरोपित की गयी।			- 5.63
₹ 5.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रख रखाव और मरम्मत			
(01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय			
[02] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	1,00.00	1,74.93	1,85.43
पु.	74.93		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 74.93 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 10.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रख रखाव और मरम्मत			
(04) हरियाणा सरकार द्वारा व्यय			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	61.27	1,44.33	1,44.33
पु.	83.06		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83.06 लाख की अतिरिक्त निधियां हरियाणा सरकार के बकाया ए. जी. मीमों के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रख रखाव और मरम्मत			
(06) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	17,78.89	18,72.27	18,72.27
पु.	93.38		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.38 लाख की अतिरिक्त निधियां भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा मांग के अनुसार बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उच्चन्त			
(02) भाखरा व्यास प्रबंधक मण्डल			
मू.	0.02	1,58.94	1,62.87
पु.	1,58.92		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,58.92 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर परियोजना कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[03] सेम निवारण			
मू.	0.01		
अ.	56.97	1,45.73	1,45.95
पु.	88.75		+ 0.22
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.75 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) सेम निवारण कार्यों, (ii) बकाया दायित्वों के भुगतान तथा (iii) बिजली बिलों के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) बजट शीर्ष "2701-80" से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	41.51		
पु.	- 1.49	40.02	1,91.35
			+ 1,51.33
₹ 1,51.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
34. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
अ.	0.01		
पु.	- 0.01	..	68.35
			+ 68.35
बिना प्रावधान के ₹ 68.35 लाख के हुए व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
03. पार्वती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)			
101. मरम्मत एवं रखरखाव			
(01) निष्पादन			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	4.00		
पु.	1,31.54	1,35.54	1,35.55
			+ 0.01
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,31.54 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना की विशेष मरम्मत पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(01) सिंचाई प्रबन्धन और प्रशिक्षण केन्द्र			
मू.	92.60		
अ.	0.01	2,15.60	2,15.60
पु.	1,22.99		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,22.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला परिषदों को अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय			

मू.	2,40.00			
		3,47.27	3,35.27	- 12.00
पु.	1,07.27			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,07.27 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 12.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौति/आवर्द्धन, अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय			

मू.	32,57.13			
		26,50.80	29,40.44	+ 2,89.64
पु.	- 6,06.33			

31 मार्च 2014 को ₹ 6,06.33 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,89.64 लाख का अंतिम आधिक्य हुआ।

06. गुड़गांव नहर (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			

मू.	3,30.41			
		3,97.41	3,67.54	- 29.87
पु.	67.00			

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 29.87 लाख का अंतिम बचत रही।

2701. मध्यम सिंचाई			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			

मू.	8,31.60			
		9,16.84	8,13.53	- 1,03.31
पु.	85.24			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	8,38.15	9,88.06	- 67.80
पु.	1,49.91		
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	9,65.81	10,50.97	- 46.08
पु.	85.16		
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	2.68	1,07.22	- 1,04.54
पु.	1,04.54		
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	8,44.86	8,68.82	- 50.57
पु.	23.96		

उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,48.81 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम होने के परिणामस्वरूप उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,72.30 लाख की अंतिम बचत रही।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य हेतु जिला परिषदों को जिला स्तर की पंचायतों को अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय			
मू.	6,80.00	7,66.03	- 1,24.97
पु.	86.03		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 86.03 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 1,24.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

6. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (4) में स्पष्ट की गयी है।

2013-14 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के	वर्ष के	अन्त शेष
	नामें (+)	जमा (-)	दौरान नामें	दौरान जमा	नामें (+) जमा (-)
	<i>(₹ लाख में)</i>				
राजस्व *					
स्टॉक	(+) 5,14.36		79.75	82.29	(+) 5,11.82
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 3,08.31		88.04	98.02	(+) 2,98.33
योग	(+) 8,22.67		1,67.79	1,80.31	(+) 8,10.15

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,79,18.12 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 12,73.63 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 1,85,79.37 लाख, ₹ 1,81,66.80 लाख, ₹ 1,71,26.35 लाख, ₹ 2,28,96.72 लाख और ₹ 2,79,18.12 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 19.48 प्रतिशत से 28.22 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. भांखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भांखरा नहर प्रणाली का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	40,00.00	5,48.65	5,48.65
पु.	- 34,51.35		..

31 मार्च 2014 को ₹ 34,51.35 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य योजना की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति समय पर जारी नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	10,00.00	7,23.13	7,23.13
पु.	- 2,76.87		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,76.87 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[10] जल निकास			
मू.	2,98.00	2,26.43	2,26.44
पु.	- 71.57		+ 0.01
₹ 71.57 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनीकीकरण			
मू.	50,00.00	4,75.71	4,75.71
पु.	- 45,24.29		..
₹ 45,24.29 लाख की प्रत्याशित बचत नये निर्माण कार्यों के शुरू नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[16] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,83.39
पु.	-2,83.39		..
₹ 2,83.39 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[01] संचालन			
मू.	7,60.00		
पु.	-1,17.80	6,42.20	6,42.20
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	24,00.00		
पु.	-19,03.53	4,96.47	4,96.47
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[09] उप कुल्पिकाएं			
मू.	1,83.00		
पु.	-1,79.64	3.36	3.35

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 22,00.97 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इनके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से
(बाईं मुख्य नहर)
[07] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी नहर से स्थानान्तरित
आनुपातिक व्यय

मू.	1,50.43		
पु.	-1,50.43

₹ 1,50.43 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] इंदिरा गांधी नहर मण्डल			
मू.	4,77.71		
पु.	- 70.60		
	4,07.11	3,96.39	- 10.72
₹ 70.60 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 10.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	83,63.33		
पु.	-35,99.64		
	47,63.69	47,51.85	- 11.84
₹ 35,99.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धित निर्माण कार्य शीर्षों को हस्तांतरित करने, (ii) निर्माण कार्यों के कम निष्पादन तथा (iii) आयोजना सीमा में कमी को आरोपित की गयी।			
₹ 11.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	33,32.71		
पु.	- 3,05.15		
	30,27.56	30,36.13	+ 8.57
₹ 3,05.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभाग की वार्षिक निर्माण कार्य योजना द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा आयोजना सीमा में कमी को आरोपित की गयी।			
₹ 8.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[16] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [07] से			
मू.	4,02.79		
पु.	- 1,06.90		
	2,95.89	2,95.89	..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,06.90 लाख का प्रावधान आयोजना भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत कुछ खण्डों / उपखण्डों के स्थानान्तरण के बाद वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[17] डा. करणी सिंह जलोत्थान योजना (कोलायात लिफ्ट योजना)			
मू.	18,22.40		
पु.	- 91.40		
		17,31.00	- 13.77
		17,17.23	
₹ 91.40 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 13.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[18] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [08] से			
मू.	4,28.25		
पु.	-1,54.64		
		2,73.61	..
		2,73.61	
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[20] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [09] से			
मू.	2,01.46		
पु.	- 1,23.27		
		78.19	..
		78.19	
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[22] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [10] से			
मू.	1,87.60		
पु.	- 96.02		
		91.58	..
		91.58	

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 3,73.93 लाख का प्रावधान आयोजना भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुछ खण्डों/उपखण्डों के स्थानान्तरण के बाद वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	57,43.74		
पु.	- 8,27.19	49,16.55	49,06.57
			- 9.98
₹ 8,27.19 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यभारित कर्मचारियों पर स्थापना व्यय सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर भारित होने को आरोपित की गयी।			
₹ 9.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) तैरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[07] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट स्कीम (गजनेर लिफ्ट स्कीम)			
मू.	1,43.22
पु.	-1,43.22
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) तैरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार प्राप्त राशि			
[13] जयनारायण व्यास लिफ्ट स्कीम (पोकरण लिफ्ट स्कीम)			
मू.	78.43	3.88	3.88
पु.	- 74.55		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 2,17.77 लाख का प्रावधान नहरों में पानी के संचालन हेतु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के आर.डी. 108 पर क्रोस रेगुलेटर के कार्य तैरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निधियों के प्राप्त होने के परिणामतः मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ को हस्तांतरित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से.74 कि.मी. तक) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण			
मू.	35,00.00	7,24.89	6,94.89
पु.	-27,75.11		- 30.00

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) मुख्य नहर (कि.मी. 74 से 189 कि.मी.)			
मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर)			
विभाग, हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	35,00.00	12,97.25	12,97.28
पु.	-22,02.75		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 49,77.86 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता के कारण संविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कार्य योजना की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति सितम्बर 2013 में जारी की गयी थी।

शीर्ष "4700-04-800(01) [01] " के अंतर्गत ₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (01) निदेशन तथा प्रशासन
- [01] निष्पादन

मू.	12,01.50	7,85.46	7,84.39
पु.	- 4,16.04		

₹ 4,16.04 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (02) निर्माण कार्य
- [01] राजस्थान में निर्माण कार्य

मू.	12,43.70	5,86.89	5,86.80
अ.	0.01		
पु.	- 6,56.82		

31 मार्च 2014 को ₹ 6,56.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
- [01] राजस्थान में निर्माण कार्य

मू.	1,21,09.30	76,07.99	76,20.00
अ.	0.01		
पु.	- 45,01.32		

₹ 45,01.32 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

₹ 12.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[02] गुजरात सरकार की निर्माण कार्य में हिस्सा राशि			
मू. 25,00.00	17,98.17	17,98.17	..
पु. - 7,01.83			
31 मार्च 2014 को ₹ 7,01.83 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू. 4,67.94	1,04.75	1,04.75	..
पु. -3,63.19			
31 मार्च 2014 को ₹ 3,63.19 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू. 4,74.82	4,10.01	3,73.76	- 36.25
पु. - 64.81			
31 मार्च 2014 को ₹ 64.81 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 36.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन भत्ते)			
मू. 4,10.30	40.49	- 3,01.59	- 3,42.08
पु. - 3,69.81			
31 मार्च 2014 को ₹ 3,69.81 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
₹ 3,01.59 लाख के ऋण व्यय तथा ₹ 40.49 लाख के प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	5,80.33		
पु.	- 1,47.72	4,32.61	3,95.71
			- 36.90

31 मार्च 2014 को ₹ 1,47.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 36.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	4,96.20		
पु.	- 73.62	4,22.58	4,22.58
			..
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	7,16.34		
पु.	-2,62.51	4,53.83	4,53.83
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,36.13 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,63.79		
पु.	-1,39.55	1,24.24	1,13.64
			- 10.60

31 मार्च 2014 को ₹ 1,39.55 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 10.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय			
मू.	3,95.69		
पु.	- 2,00.70		
		1,94.99	- 16.63
		1,78.36	
31 मार्च 2014 को ₹ 2,00.70 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण तथा ₹ 16.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निष्पादन			
मू.	1,81.15		
पु.	- 88.98		
		92.17	- 0.38
		91.79	
₹ 88.98 लाख की प्रत्याशित बचत कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
101. सतही जल			
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत			
निर्माण कार्य (मरूस्थल प्रदेश में)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,48.48		
पु.	- 5,48.48		
	
101. सतही जल			
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत			
निर्माण कार्य (मरूस्थल प्रदेश में)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,96.52		
पु.	- 1,96.52		
	

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 7,45.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	7,89.22		
पु.	- 4,35.64	3,53.58	3,53.56
			- 0.02

31 मार्च 2014 को ₹ 4,35.64 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

101. सतही जल

(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से

[02] मुख्य शीर्ष- 2701 से स्थानान्तरित
आनुपातिक व्यय

मू.	2,82.78		
पु.	- 1,93.60	89.18	81.57
			- 7.61

31 मार्च 2014 को ₹ 1,93.60 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 7.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

800. अन्य व्यय

(06) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे. आई. सी. ए.)

[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित
आनुपातिक व्यय

मू.	44,41.83		
पु.	- 24,41.43	20,00.40	9,62.79
			- 10,37.61

31 मार्च 2014 को ₹ 24,41.43 लाख का अभ्यर्पण तथा ₹ 10,37.61 लाख की अंतिम बचत निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण थी।

800. अन्य व्यय

(06) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे. आई. सी. ए.)

[04] निष्पादन

मू.	78,17.22		
अ.	0.01	47,64.04	47,06.39
पु.	- 30,53.19		- 57.65

₹ 30,53.19 लाख की प्रत्याशित बचत चुनाव आचार संहिता के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी।

₹ 57.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(06) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे. आई. सी. ए.)			
[06] निदेशक कृषि के माध्यम से			
मू.	4,17.36		
पु.	-1,46.20		
		2,71.16	2,71.16
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,46.20 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

800. अन्य व्यय			
(09) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (यूरोपियन कमीशन) (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	25,74.00		
पु.	- 9,59.83		
		16,14.17	16,14.22
			+ 0.05

31 मार्च 2014 को ₹ 9,59.83 लाख का प्रावधान लाइन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को छोड़ दिए जाने तथा चुनाव आचार संहिता के कारण कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[04] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	2,94.56		
पु.	2,24.39		
		5,18.95	5,18.93
			- 0.02

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,24.39 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) कोटा बैराज मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[01] परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
अ .	0.02		
		1,43.50	1,41.71
पु .	1,43.48		- 1.79

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,43.48 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[23] वीर तेजाजी जलोत्थान योजना (बांगड़सर लिफ्ट योजना)			
मू .	1,17.00		
		4,36.11	4,51.12
पु .	3,19.11		+ 15.01

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,19.11 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 15.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[05] चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट स्कीम (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू .	36.58		
		1,18.39	1,18.39
पु .	81.81		..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 81.81 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	39,83.97		
पु.	23,14.90	62,98.87	62,98.04
			- 0.83
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,14.90 लाख की अतिरिक्त निधियां उंचत लेखे के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[05] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	59.17		
पु.	1,65.63	2,24.80	2,24.83
			+ 0.03
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,65.63 लाख की अतिरिक्त निधियां उंचत लेखे के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से 74 कि.मी. तक) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[08] तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
मू.	6,00.00		
पु.	1,99.98	7,99.98	7,97.08
			- 2.90
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों के प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
06. गुडगांव नहर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	0.01		
अ.	0.01	5,77.51	5,67.59
पु.	5,77.49		- 9.92
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,77.49 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 9.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
		3,51.83	+ 1.50
पु.	3,51.82		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,51.82 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (05) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण
- [01] निर्माण कार्य

अ .	0.02		
		2,94.36	+ 76.87
पु .	2,94.34		

37. परियोजनाओं को पुनर्जीविकरण/उन्नयन/
आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- [01] निर्माण कार्य

मू.	0.01		
अ.	0.01	4,96.79	+ 1,59.10
पु .	4,96.77		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,91.11 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,35.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
- (02) राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना
- [02] निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग
के माध्यम से)

मू.	0.01		
अ.	0.01	2,64.63	- 1.53
पु .	2,64.61		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,64.61 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
अ .	0.02		
पु .	2,52.30	2,47.23	- 5.09

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,52.30 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
अ .	0.02		
पु .	1,08.55	1,38.71	+ 30.14

28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
अ .	0.02		
पु .	3,70.36	3,64.02	- 6.36

29. सोमकागदर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
अ .	0.02		
पु .	1,42.61	1,40.17	- 2.46

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,21.52 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "4701-24-001(02) [01] " के अंतर्गत ₹ 30.14 लाख के अंतिम आधिक्य तथा शीर्ष "4701-28-001(02) [01] " के अंतर्गत ₹ 6.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	8,88.18		
पु.	2,18.74	11,06.92	11,06.92
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,18.74 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	5,20.72		
पु.	3,63.17	8,83.89	8,83.89
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,63.17 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	10,91.62		
पु.	2,27.59	13,19.21	13,19.21
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,27.59 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	13,03.05		
पु.	12,43.66	25,46.71	25,46.70
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,43.66 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,29.33	14,38.58	14,38.62
पु.	9,09.25		
800. अन्य व्यय			
(05) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	49,96.38	56,70.46	56,70.46
पु.	6,74.08		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,83.33 लाख की अतिरिक्त निधियां नये निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(01) घग्घर बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य			
मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग			
[01] निर्माण कार्य			

मू.	5,07.94	6,23.05	6,22.00
पु.	1,15.11		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,15.11 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/आवर्द्धन अनावश्यक/अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) मुख्य शीर्ष- 2701-80 से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय			
मू.	4,22.07	2,94.15	8,33.65
पु.	-1,27.92		

31 मार्च 2014 को ₹ 1,27.92 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5,39.50 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष -2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	4,66.90	6,42.32	5,87.53
पु.	1,75.42		- 54.79
101. सतही जल			
(03). पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,90.17	4,53.17	3,80.81
पु.	1,63.00		- 72.36
800. अन्य व्यय			
(05) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	5,47.37	16,11.13	13,08.20
पु.	10,63.76		- 3,02.93

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,02.18 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,30.08 लाख की अंतिम बचत रही।

5. उचन्त लेन-देन : 2013-14 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
पूंजी *				
स्टॉक	(-) 27,68.41	29,36.60	32,38.44	(-) 30,70.25
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 12,84.06	33,67.09	44,14.69	(+) 2,36.46
योग	(-) 14,84.35	63,03.69	76,53.13	(-) 28,33.79

* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन
पूँजी - 5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय और
7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	22,42,82	23,81,72	21,02,60	- 2,79,12
अनुपूरक	1,38,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,78,67
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1

पूँजी

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
दत्तमत				
मूल	31,63,61	50,14,05	46,93,91	- 3,20,14
अनुपूरक	18,50,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,20,14

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- फरवरी 2014 में लिया गया ₹ 1,38.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	11,03.40	9,87.52	9,87.52	..
पु.	- 1,15.88			

₹ 1,15.88 लाख की प्रत्याशित बचत (i) उदयपुर में पर्यटक पुलिस स्टेशन शुरू होने के कारण पर्यटक स्वागत केन्द्र, उदयपुर पर कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों के पद समाप्त करने, (ii) पुलिस विभाग द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध पुलिस कर्मियों की पर्यटक पुलिस के रूप में नियुक्त न करने तथा (iii) जैसलमेर पर्यटक कार्यालय पर पदस्थापित पुलिस कर्मियों की अपने पैतृक कार्यालय में वापसी को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 047- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	9,34.36		
अ.	1,38.90	9,75.68	9,75.23
पु.	- 97.58		- 0.45

फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,38.90 लाख का प्रावधान राजस्थान दिवस समारोह-2014 के आयोजन पर व्यय तथा बकाया दायित्वों की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 97.58 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान दिवस समारोह-2014 पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि समारोह छोटे स्तर पर आयोजित किया गया।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(07) राजस्थान मेला आयोजना प्राधिकरण

मू.	1,20.00			
पु.	- 50.00	70.00	70.00	..

₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 3,20.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 14,99.99 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 3,50.45 लाख) में लिया गया ₹ 18,50.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटक स्थलों का विकास			
मू.	25,17.53		
पु.	- 5,11.57	20,05.96	19,05.96

₹ 5,11.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये कार्यों के स्वीकृत न होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निजी निक्षेप खाते में रखे हुए ₹ 1,00.00 लाख की अवशेष राशि जमा कराने के कारण थी। भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के तहत स्वीकृत पर्यटन की सभी परियोजनाओं से संबंधित अवशेष राशि वापिस करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया। इसके अनुसार पर्यटन डेस्टीनेशन प्रोजेक्ट के तहत डांग सर्किट के विकास हेतु पूर्व में स्वीकृत निधियां जोकि अवशेष रही, को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा जमा कराया गया।

अनुदान संख्या 047- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	3,71.04		
		1,83.45	1,83.45
पु.	- 1,87.59		..

₹ 1,87.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) चुनाव आचार संहिता के कारण नये कार्यों को स्वीकृत न करने तथा (ii) चालू कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(06) पर्यटन भवन का निर्माण

मू.	2,75.00		
		1,04.50	1,04.50
पु.	- 1,70.50		..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,70.50 लाख का प्रावधान वर्ष 2012-13 में शुरू किये गये पर्यटन भवन के निर्माण हेतु प्लिन्थ कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(05) राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01		
अ.	3,50.45	10,00.00	10,00.00
पु.	6,49.54		..

फरवरी 2014 में ₹ 3,50.45 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,49.54 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड को अधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु ली गयी।

अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	93,80,62,87		
अनुपूरक	10,00,04		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		93,90,62,91	72,13,12,51 - 21,77,50,40
पूंजी			
मूल	31,18,60,73		
अनुपूरक	6,64,29,51		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		37,82,90,24	31,38,63,13 - 6,44,27,11
			21,77,50,40
			6,44,27,11

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 21,77,50.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा *सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना* हेतु लिया गया ₹ 10,00.04 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(08) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	18,43.91		
पु.	- 18,43.91		
	

₹ 18,43.91 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु अनुमानित था जो अनावश्यक था क्योंकि वर्ष के दौरान ब्याज का वास्तविक भुगतान नहीं किया जाना था इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(16) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान			
मू.	4,94,00.00	2,51,11.33	2,51,11.33
पु.	- 2,42,88.67		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(17) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान			
मू.	3,00,00.00	1,55,61.42	1,55,61.42
पु.	- 1,44,38.58		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(18) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान			
मू.	3,56,00.00	2,17,18.81	2,17,18.81
पु.	- 1,38,81.19		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 5,26,08.44 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण निगमों द्वारा विद्युत् करों की वसूली के अनुसार ही अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(19) बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-जयपुर विद्युत् वितरण निगम को बॉण्डस् के ब्याज हेतु अनुदान			
मू.	5,65,63.00
पु.	- 5,65,63.00		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(20) बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-जोधपुर विद्युत् वितरण निगम को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान			
मू.	5,84,25.00
पु.	- 5,84,25.00		

अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(21) बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-अजमेर विद्युत् वितरण निगम को बॉण्ड्स के ब्याज हेतु अनुदान			
मू.	6,79,25.00
पु.	- 6,79,25.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹18,29,13.00 लाख का प्रावधान उपरोक्त तीनों विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को बॉण्ड्स पर ब्याज के भुगतान हेतु सहायता जारी करने हेतु अनुमानित किया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वर्ष के दौरान वित्तीय पुर्नसंरचना पैकेज के अन्तर्गत ब्याज का वास्तविक भुगतान नहीं किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(25) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
मू.	15,47,70.58	12,29,22.95	12,29,22.95
पु.	- 3,18,47.63		..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,18,47.63 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रशमन की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम को अनुदान			
मू.	40,00.00	5,85.05	5,85.05
पु.	- 34,14.95		..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रशमन की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम को अनुदान			
मू.	25,00.00	2,35.24	2,35.24
पु.	- 22,64.76		..

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रशमन की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम को अनुदान			
मू.	35,00.00		
पु.	- 31,14.64	3,85.36	3,85.36

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 87,94.35 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत् चोरी अपराध के प्रशमन राशि की वसूली के अनुसार ही अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सहायता			
[01] सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना			
अ.	10,00.00		
पु.	- 10,00.00

31 मार्च 2014 को ₹ 10,00.00 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(24) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
मू.	18,97,72.58		
पु.	4,93,43.11	23,91,15.69	23,91,15.69
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,93,43.11 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा विद्युत् दरें बढ़ाने के पश्चात् विद्युत् वितरण कम्पनियों को अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(27) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
[01] सी.एफ.एल. वितरण			
अ.	0.01		
पु.	39,59.99	39,60.00	39,60.00

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(28) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
[01] सी.एफ.एल. वितरण			
अ.	0.01		
पु .	36,39.99	36,40.00	..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(29) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
[01] सी.एफ.एल. वितरण			
अ.	0.01	44,00.00	..
पु .	43,99.99	44,00.00	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19,99.97 लाख की अतिरिक्त निधियां सी.एफ.एल. के वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 6,44,27.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 65,00.00 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 5,99,29.51 लाख) में ₹ 6,64,29.51 लाख का अनुपूरक अनुदान विद्युत् कम्पनियों में पूंजी निवेश हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,88,33.92	5,20,07.20	..
पु .	- 3,68,26.72	5,20,07.20	..

31 मार्च 2014 को ₹ 3,68,26.72 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,50,77.21 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 17,49.51 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 048- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	3,58,42.80		
पु.	- 1,29,32.32	2,29,10.48	2,29,10.48
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	5,67,47.82		
अ.	3,80,12.55	8,04,79.95	8,04,79.95
पु.	- 1,42,80.42		
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	5,73,58.93		
अ.	2,19,16.96	7,71,38.77	7,71,38.77
पु.	- 21,37.12		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 2,93,49.86 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	7,20,77.22		
पु.	17,49.51	7,38,26.73	7,38,26.73

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,49.51 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 049 – स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
मूल	3,75,80,76			
		3,75,80,76	2,48,69,19	– 1,27,11,57
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,27,11,40

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन				
101. भू-राजस्व				
(03) गुजारा और अन्य मुआवजे				
[01] धार्मिक तथा शिक्षा संस्थाओं को आवर्तक सहायता (देवस्थान विभाग के माध्यम से)				
मू.	5,94.52			
		19.51	19.37	– 0.14
पु.	– 5,75.01			
₹ 5,75.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) जिला परिषदों को समनुदेशन				
[03] पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में से समनुदेशन				
मू.	2,02.48			
	
पु.	– 2,02.48			

31 मार्च 2014 को ₹ 2,02.48 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 049 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला परिषदों को समनुदेशन			
[04] देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त राशि में से हिस्सा में से समनुदेशन			
मू.	66.00
पु.	- 66.00
31 मार्च 2014 को ₹ 66.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) पंचायत समितियों को समनुदेशन			
[01] डी.टी.एच. पर मनोरंजन कर में से समनुदेशन			
मू.	1,10.00
पु.	- 1,10.00
31 मार्च 2014 को ₹ 1,10.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) पंचायत समितियों को समनुदेशन			
[03] पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में से समनुदेशन			
मू.	8,09.92
पु.	- 8,09.92
31 मार्च 2014 को ₹ 8,09.92 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) पंचायत समितियों को समनुदेशन			
[04] देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त राशि में से हिस्सा में से समनुदेशन			
मू.	2,64.00
पु.	- 2,64.00
31 मार्च 2014 को ₹ 2,64.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) पंचायत समितियों को समनुदेशन			
[06] माल के प्रवेश कर में अंश में से समनुदेशन			
मू.	3,32.20	1,83.31	1,83.31
पु.	- 1,48.89
31 मार्च 2014 को ₹ 1,48.89 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 049 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(01) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर रॉयल्टी में पंचायतों का हिस्सा			
मू.	75,00.00
पु.	- 75,00.00		
₹ 75,00.00 लाख का प्रावधान आयोजना भिन्न के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु रॉयल्टी से शुद्ध आय के 3 प्रतिशत राशि हेतु अनुमानित था जिसे संबंधित पंचायतों के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित किया जाना था। यद्यपि, सरकार के निर्णय के अनुसार आयोजना भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत पंचायतों को रॉयल्टी की राशि हस्तान्तरित नहीं करने के कारण 31 मार्च 2014 को ₹ 75,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 16,84.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 58,15.06 लाख) किया गया।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(02) ग्राम पंचायतों को समनुदेशन			
[07] पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में से समनुदेशन			
मू.	57,36.91
पु.	- 57,36.91		
31 मार्च 2014 को ₹ 57,36.91 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(02) ग्राम पंचायतों को समनुदेशन			
[08] देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त राशि में से हिस्से में से समनुदेशन			
मू.	18,70.00
पु.	- 18,70.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 18,70.00 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(02) ग्राम पंचायतों को समनुदेशन			
[10] माल के प्रवेश कर में अंश में से समनुदेशन			
मू.	23,56.20	11,50.54	11,50.54
पु.	- 12,05.66		..
31 मार्च 2014 को ₹ 12,05.66 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 049 - (समाप्त)

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला परिषदों को समनुदेशन			
[02] खनिजों पर रॉयल्टी में से समनुदेशन			
मू.	1,98.00	3,67.91	3,67.91
पु.	1,69.91		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,69.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) पंचायत समितियों को समनुदेशन			
[02] खनिजों पर रॉयल्टी में से समनुदेशन			
मू.	7,92.00	14,71.65	14,71.65
पु.	6,79.65		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,79.65 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(02) ग्राम पंचायतों को समनुदेशन			
[06] खनिजों पर रॉयल्टी में से समनुदेशन			
मू.	56,10.00	1,04,24.19	1,04,24.19
पु.	48,14.19		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 48,14.19 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(02) ग्राम पंचायतों को समनुदेशन			
[11] तेंदू पत्ता व अन्य वन लघु उपज से आय का समनुदेशन			
मू.	3,39.59	4,90.65	4,90.65
पु.	1,51.06		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,51.06 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	2,86,31,95	3,83,65,73	3,26,22,67	- 57,43,06
अनुपूरक	97,33,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				57,42,46
पूंजी				
मूल	27,37,80	73,00,80	61,07,40	- 11,93,40
अनुपूरक	45,63,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				11,93,40

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

- ₹ 57,43.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 97,33.78 लाख का प्रावधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार तथा नकद सहायता हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 2,63,75.74 लाख, ₹ 26,75.93 लाख, ₹ 76,14.94 लाख, ₹ 60,69.06 लाख तथा ₹ 57,43.06 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.08 प्रतिशत से 45.91 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार				
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)				
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम				
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
[03] कार्यकलाप संबंधी				
मू.	2,45,84.61	1,05,42.00	1,05,42.00	..
पु.	- 1,40,42.61			
₹ 1,40,42.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।				

अनुदान संख्या 050 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[03] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	40,33.92		
पु.	12,82.07		
		53,15.99	53,15.39
			-0.60

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,82.07 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार अधिक राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)

800. अन्य व्यय

(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं

[01] कार्यकलाप संबंधी

मू.	0.02		
अ.	97,33.78		
पु.	70,27.98		
		1,67,61.78	1,67,61.78
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 70,27.98 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 11,93.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 45,63.00 लाख का प्रावधान *ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना* हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(16) स्वविवेक जिला विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	2,80.80		
पु.	- 1,40.40		
		1,40.40	1,40.40
			..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,40.40 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 050 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
45 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(19) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	24,57.00		
अ.	45,63.00	59,67.00	59,67.00
पु.	- 10,53.00		..

अगस्त 2013 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा ₹ 45,63.00 लाख का प्रावधान *ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना* हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2014 को ₹ 10,53.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2055. पुलिस,
 2056. जेल,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2216. आवास,
 2217. शहरी विकास,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम तथा रोजगार,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,
 2403. पशु-पालन,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2425. सहकारिता,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3055. सड़क परिवहन,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	26,91,96,46			
अनुपूरक	2,63,16,76	29,55,13,22	26,92,87,32	- 2,62,25,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,61,05,52
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	18,61,39,78			
अनुपूरक	2,31,61,92	20,93,01,70	18,17,94,07	- 2,75,07,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,72,42,79

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 2,62,25.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,63,16.76 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी 2014 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,63,16.12 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 2,62,25.90 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 1,20.38 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 48,39.57 लाख, ₹ 16,58.51 लाख, ₹ 2,02,87.95 लाख, ₹ 1,95,65.11 लाख तथा ₹ 2,62,25.90 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 2.18 प्रतिशत से 10.65 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग के माध्यम से			
[01] भू-प्रबंध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)			
मू.	11,10.76
पु.	-11,10.76
31 मार्च 2014 को ₹ 11,10.76 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण तथा पुनः सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(16) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनःभरण-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	48,16.00	9,26.80	9,26.80
पु.	-38,89.20
31 मार्च 2014 को ₹ 38,89.20 लाख का प्रावधान मुफ्त शिक्षा के लिए लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कम होने को तथा अराजकीय विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण वास्तविक फीस के बजाय 2012-13 की सत्यापित पुनर्भरण फीस के आधार पर करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	29,80.00	23,41.83	23,42.30
पु.	- 6,38.17	+ 0.47	+ 0.47
31 मार्च 2014 को ₹ 6,38.17 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) से जुड़े जिले के लाभार्थियों को निधियां सीधे ही हस्तांतरित की गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	21,46.15	16,84.70	16,84.69
पु.	- 4,61.45		
31 मार्च 2014 को ₹ 4,61.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[02] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	47,26.51	16,02.67	16,02.67
अ.	0.01		
पु.	- 31,23.85		
₹ 31,23.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[02] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	1,16.17	13.55	13.55
अ.	0.01		
पु.	-1,02.63		
₹ 1,02.63 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति को आरोपित की गयी ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[02] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	9,13.76	2,13.86	2,13.86
अ.	0.02		
पु.	- 6,99.92		
₹ 6,99.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साईकिल का वितरण			
मू.	24,69.90		
पु.	- 95.30	23,74.60	23,74.60
			..
₹ 24,69.90 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को साईकिलों के वितरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, साईकिलों के लिये चैक केवल योग्य छात्राओं को वितरित किये गये जिसके परिणामतः ₹ 95.30 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर सुविधा			
मू.	4,97.59		
पु.	- 4,97.59
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 4,97.59 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	2,26.60		
पु.	-1,25.92	1,00.68	1,00.67
			- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 1,25.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र के अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
मू.	3,66.40		
पु.	-3,66.40
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,66.40 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	3,82.56		
पु.	-1,14.76	2,67.80	2,67.80
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,14.76 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) महिला बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू.	1,76.00
पु.	-1,76.00		
31 मार्च 2014 को ₹1,76.00 लाख का समस्त प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	2,57.40	1,63.20	1,63.20
पु.	- 94.20		..
31 मार्च 2014 को ₹ 94.20 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान			
मू.	2,28.15	97.35	97.35
अ.	0.02		..
पु.	-1,30.82		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,30.82 लाख का प्रावधान राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
मू.	7,19.01	18.42	18.41
पु.	-7,00.59		- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 7,00.59 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निदेशालय भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के माध्यम से			
[02] अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई			
मू.	1,55.78	57.21	57.20
पु.	- 98.57		- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 98.57 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] फर्टीलिटी क्लिनिक स्थापना हेतु अनुदान			
मू.	1,00.01
पु.	-1,00.01
31 मार्च 2014 को ₹ 1,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	7,46.61	1,49.18	1,49.04
पु.	- 5,97.43		- 0.14
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	3,42.00	75.56	75.56
पु.	- 2,66.44		..
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	14,51.30	3,80.90	3,80.30
पु.	-10,70.40		- 0.60
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 19,34.27 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने से अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश राशि			
मू.	1,50.00
पु.	-1,50.00
31 मार्च 2014 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	5,40.00		
पु.	-1,50.31	3,89.69	3,89.68
			- 0.01
₹ 1,50.31 लाख की प्रत्याशित बचत मशीनरी तथा उपकरणों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	7,08.46		
अ.	0.01	1,24.21	1,27.41
पु.	- 5,84.26		+ 3.20
31 मार्च 2014 को ₹ 5,84.26 लाख का प्रावधान मुख्यतः मशीनरी तथा उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	5,29.12		
पु.	-3,79.29	1,49.83	1,49.82
			- 0.01
31 मार्च 2014 को ₹ 3,79.29 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों और छात्रवृत्तियों एवं वजीफे पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	11,62.55		
अ.	0.01	9,48.71	9,48.71
पु.	- 2,13.85		..
31 मार्च 2014 को ₹ 2,13.85 लाख का प्रावधान मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर रोक के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	10,38.95		
पु.	- 6,72.36	3,66.59	3,66.59
			..
₹ 6,72.36 लाख की प्रत्याशित बचत 156 पदों में से 152 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड से उपकरणों की खरीद की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण मशीनरी तथा उपकरण के क्रय आदेश जारी नहीं होने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	48,04.80		
पु.	- 24,02.40	24,02.40	24,02.40
			..
₹ 24,02.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	17,00.13		
पु.	- 2,43.90	14,56.23	14,20.28
			- 35.95
₹ 2,43.90 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
₹ 35.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[02] निर्बन्ध अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	18,36.12		
पु.	- 9,83.70	8,52.42	8,52.42
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 9,83.70 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिये नगर निगम को अनुदान कम जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			

मू.	83.35
-----	-------	----	----

पु.	- 83.35
-----	---------	----	----

31 मार्च 2014 को ₹ 83.55 लाख का समस्त प्रावधान नगर निगम को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य

191. नगर निगम को सहायता

(31) मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना

[02] सामान्य कार्यकलाप गतिविधियां

मू.	1,52.11
-----	---------	----	----

पु.	-1,52.11
-----	----------	----	----

31 मार्च 2014 को ₹ 1,52.11 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य

192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(01) सामान्य अनुदान

[02] निर्बन्ध अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)

मू.	41,69.88	38,34.22	38,34.22	..
-----	----------	----------	----------	----

पु.	- 3,35.66			
-----	-----------	--	--	--

31 मार्च 2014 को ₹ 3,35.66 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुसूचित जातियों के लिए अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य

192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

मू.	41,73.02	40,22.11	40,22.11	..
-----	----------	----------	----------	----

पु.	- 1,50.91			
-----	-----------	--	--	--

31 मार्च 2014 को ₹ 1,50.91 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य उद्देश्य के लिए अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) (10:10:80)			
[02] विकास कार्य			
मू.	21,01.24		
पु.	- 6,80.00	14,21.24	14,21.24 ..
31 मार्च 2014 को ₹ 6,80.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(35) मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना			
[02] सामान्य कार्यकलाप गतिविधियां			
मू.	4,51.02		
पु.	- 4,51.02
31 मार्च 2014 को ₹ 4,51.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	19,62.86		
पु.	- 2,37.09	17,25.77	17,22.92 - 2.85
₹ 2,37.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा खाद्यान्न सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) नागरिक सुरक्षा हेतु सहायता			
मू.	7,05.00		
पु.	- 2,21.68	4,83.32	4,83.27 - 0.05
₹ 7,05.00 लाख का प्रावधान नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के तहत प्रभावित अनुसूचित जातियों के परिवारों को सहायता द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 2,21.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	2,95.59		
पु.	-1,74.65	1,20.94	1,20.94
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,74.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[09] अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	5,80.00		
पु.	-1,59.02	4,20.98	4,20.98
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,59.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए नवजीवन योजना			
मू.	4,25.00		
पु.	-3,16.54	1,08.46	1,08.46
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,16.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[04] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	2,00.00		
पु.	-1,28.00	72.00	72.00
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,28.00 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	3,50.01		
पु.	- 3,50.01
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,50.01 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू. 45,97.00	39,42.42	39,26.21	- 16.21
पु. - 6,54.58			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू. 12,06.00	8,85.32	8,85.32	..
पु. - 3,20.68			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 9,75.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "2235-60-196(01) [08] " के अंतर्गत ₹ 16.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू. 1,83,13.38	1,21,85.66	1,21,85.66	..
पु. - 61,27.72			
31 मार्च 2014 को ₹ 61,27.72 लाख का प्रावधान (i) लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कम होने तथा (ii) माह दिसम्बर 2013 में प्रशासनिक कारणों से पोषक भोजन की आपूर्ति के आदेश जारी नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[11] तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)			
मू. 5,60.00	1,19.89	1,19.67	- 0.22
पु. -4,40.11			
31 मार्च 2014 को ₹ 4,40.11 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[20] कार्य योजना (10% राज्यांश : 90% केन्द्रीयंश)			
मू.	3,02.00
पु.	-3,02.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 3,02.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[21] तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)			
मू.	8,80.00	3,12.36	3,12.37 + 0.01
पु.	- 5,67.64		
31 मार्च 2014 को ₹ 5,67.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	17,05.10	8,78.00	8,78.00 ..
पु.	- 8,27.10		
31 मार्च 2014 को ₹ 8,27.10 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[28] राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	7,10.00	10.00	10.00 ..
पु.	-7,00.00		
31 मार्च 2014 को ₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[30] राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग			
मू. 3,44.00			
पु. - 3,44.00			
31 मार्च 2014 को ₹ 3,44.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के द्वारा			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश : 80% केन्द्रीयंश)			
मू. 4,89.92	2,86.82	2,86.82	..
पु. - 2,03.10			
₹ 4,89.92 लाख का प्रावधान जल बचाने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए बूंद-बूंद तथा फव्वारा सिंचाई पद्धति के प्रोत्साहन हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 2,03.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[06] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू. 13,77.07	9,25.26	9,25.26	..
पु. - 4,51.81			
₹ 13,77.07 लाख का प्रावधान जल के न्यायिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई योजना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2014 को ₹ 4,51.81 लाख का प्रावधान योजना के तहत अनुदान के लिए मामले कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू. 17,00.00	13,50.28	13,50.28	..
पु. - 3,49.72			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[08] राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)			
मू. 10,00.00	1,80.00	1,80.00	..
पु. - 8,20.00			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 11,69.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[05] मत्स्य विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00
पु.	-1,00.00		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[11] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	6,00.00	1,67.41	1,62.49
पु.	- 4,32.59		- 4.92

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 5,32.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2402. मृदा तथा जल संरक्षण

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक क्षेत्र में कार्य योजना हेतु अनुदान

[02] भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान (10:90)

मू.	2,38.00
पु.	-2,38.00		

31 मार्च 2014 को ₹ 2,38.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना को समाप्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(02) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैंड फण्डेड) (एम पावर)

मू.	6,79.88	3,40.94	3,40.94
पु.	-3,38.94		..

31 मार्च 2014 को ₹ 3,38.94 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन आधारित अनुबंध पर कार्यरत एफ.एन.जी.ओ. के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किये जाने, (ii) माह मार्च 2014 में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अनुरक्षण कार्य पर प्रतिबन्ध लगे होने तथा (iii) वित्तीय लक्ष्यों का उपलब्धि से नीचे क्योंकि स्वयं सहायता समूहों को सीड पूंजी जारी करने के मापदण्डों को एन.आर.एल.एम. का प्रावधानों के बजाय आज्ञा सूचक बैंक क्रेडिट लिंकेज स्थिति भारत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	26,29.45	6,99.78	6,99.77
पु.	- 19,29.67		- 0.01
₹ 19,29.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) कार्मिकों का चुनावी कार्य में संलग्नता तथा (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन के किराये का मूल्यांकन न करने तथा मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयों के संग्रहण हेतु भवन के किराये पर लेने का प्रमाण-पत्र एस.डी.ओ. से प्राप्त न होने को आरोपित की गयी।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, फेज-II			
मू.	35,19.00	25,80.00	25,80.00
पु.	- 9,39.00		..
₹ 9,39.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	28,83.00	20,92.59	20,92.59
पु.	- 7,90.41		..
31 मार्च 2014 को ₹ 7,90.41 लाख का प्रावधान मुख्यतः केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जल ग्रहण विकास हेतु			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	7,72.20
पु.	- 7,72.20		..
31 मार्च 2014 को ₹ 7,72.20 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इन्दिरा आवास योजना			
[05] अनुदान (राज्य योजना)			
मू.	22,05.55
पु.	- 22,05.55		
31 मार्च 2014 को ₹ 22,05.55 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	60,06.01	25,74.00	25,74.00
पु.	- 34,32.01		..
₹ 34,32.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) पिछड़ा जिला विकास कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	46,47.00	12,10.00	12,10.00
पु.	- 34,37.00		..
31 मार्च 2014 को ₹ 34,37.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(23) जिला नवाचार कोष			
[02] कार्यकलाप /गतिविधियां			
मू.	2,83.80
पु.	- 2,83.80		
31 मार्च 2014 को 2,83.80 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[02] सिंचाई प्रबन्धन और प्रशिक्षण केन्द्र			
मू.	2,37.40	2,37.40	1,74.92
पु.			- 62.48
₹ 62.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से			
मू.	15,30.00		
पु.	- 9,03.09	6,26.91	6,26.91
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 9,03.09 लाख का प्रावधान मुख्य स्वीकृत कार्यों का निर्णय न्यायालय में लंबित होने तथा चुनाव आचार संहिता के कारण नये कार्यों पर रोक के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
2705. कमान क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] निर्देशन प्रशासन, गंग नहर परियोजना			
मू.	3,29.98		
पु.	- 2,67.10	62.88	62.90
			+ 0.02
31 मार्च 2014 को ₹ 2,67.10 लाख का प्रावधान जल उपभोक्ता संगमों के चुनाव नहीं/पंजीयन नहीं होने के कारण कम व्यय हुआ क्योंकि इन संगमों के गठन तथा पंजीयन के पश्चात् प्रारम्भ में एक मुश्त प्रावधान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खनिज संरक्षण बल			
मू.	1,18.98		
पु.	- 1,18.98
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,18.98 लाख का प्रावधान खनिज संरक्षण बल के 1000 कार्मिकों को अवैध खनन रोकथाम के लिये नहीं लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,16.50		
पु.	-4,16.50
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 4,16.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	20,60.00		
		15,00.00	
पु.	- 5,60.00	15,00.00	..
31 मार्च 2014 को ₹ 5,60.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	5,37.07		
		3,49.17	
पु.	-1,87.90	3,49.12	- 0.05
31 मार्च 2014 को ₹ 1,87.90 लाख का प्रावधान (i) फिक्की को ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के आयोजन के लिए भुगतान न करने, (ii) पर्यटक साहित्य के मुद्रित न होने तथा (iii) मेले और त्यौहारों के आयोजन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	4,62.98		
	
पु.	-4,62.98
31 मार्च 2014 को ₹ 4,62.98 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	1,92.83		
		16.79	
पु.	-1,76.04	16.79	..
₹ 1,76.04 लाख की प्रत्याशित बचत नव सृजित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में पदस्थापित किये जाने वाले कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत एक मुश्त प्रावधान किया गया परन्तु कार्मिकों को पदस्थापित करने के पश्चात् व्यय संबंधित शीर्षों में वर्गीकृत करने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[07] वितरण			
मू.	0.01		
अ.	79,99.99	64,69.19	..
पु.	-15,30.81		

फरवरी 2014 में ₹ 79,99.99 लाख का प्रावधान बजट भाषण में की गई उद्घोषणा के अनुसार समर्थन मूल्य दर पर गेहूं की खरीद करने पर ₹150 प्रति क्विन्टल के बोनस के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 15,30.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(01) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
[02] विकास कार्य

मू.	6,00.00		
पु.	- 4,19.64	1,80.36	1,80.36

31 मार्च 2014 को ₹ 4,19.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)			
मू.	2,22,03.47		
पु.	1,69.46	2,23,72.93	2,23,72.93

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,69.46 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) लेपटोप वितरण

मू.	19,44.00		
पु.	40,89.71	60,33.71	60,33.11

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,89.71 लाख की अतिरिक्त निधियां लेपटोप तथा टेबलेट पी.सी. के वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)			
मू.	48,72.88		
अ.	0.01	50,36.48	50,36.46
पु.	1,63.59		- 0.02

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,63.59 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों को भरने के पश्चात् वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	7,57.97		
पु.	1,44.67	9,02.64	9,02.26
			- 0.38

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,44.67 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	0.02		
अ.	0.12	6,40.50	6,71.40
पु.	6,40.36		+ 30.90

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,40.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 30.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं			
[01] प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू.	18,37.25		
पु.	2,00.00	20,37.25	20,37.25
			..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	10,66.00		
पु.	1,75.17	12,41.17	12,37.62
			- 3.55

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,75.17 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
(15:85)			
मू.	36,54.50		
		42,84.18	
पु.	6,29.68		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,29.68 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार अधिक राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	14,05.35		
		15,13.66	
पु.	1,08.31		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,08.31 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के तहत अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,			
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों का विकास			
मू.	10,00.00		
		60,00.00	
पु.	50,00.00		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में संबल ग्रामों में आधारभूत विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	1,00.00		
		7,26.00	
पु.	6,26.00		..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,26.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अंतर्जातीय विवाह योजना में सहायता राशि में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	1,88,50.50	1,98,55.95	1,98,45.71
पु.	10,05.45		
			- 10.24
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,05.45 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 10.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2401. फसल-कृषि कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) कृषि विभाग के द्वारा			
[04] फसल बीमा (50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)			
मू.	55,16.34	60,43.30	60,43.24
पु.	5,26.96		
			- 0.06
₹ 55,16.34 लाख का प्रावधान फसलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को कम करने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,26.96 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[18] नवाचार कार्यक्रम			
मू.	2,49.70	5,61.73	5,61.73
पु.	3,12.03		
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,12.03 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) उद्यान विभाग के द्वारा			
[01] बागवानी विकास			
मू.	1.51	1,28.29	1,28.29
पु.	1,26.78		
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,26.78 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में सोलर एनर्जी पंप परियोजना पर राज्यांश से अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल-कृषि कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	33,00.00	35,05.77	34,91.43
पु.	2,05.77		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	7,00.00	24,53.84	24,50.53
पु.	17,53.84		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	6,00.00	10,00.00	10,00.00
पु.	4,00.00		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[06] राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	3,00.00	4,00.00	4,00.00
पु.	1,00.00		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[10] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	5,00.00	9,00.00	9,00.00
पु.	4,00.00		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,59.61 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

शीर्ष "2401-789(03) [01]" के अंतर्गत ₹ 14.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	17,16.00	30,33.39	30,33.39
पु.	13,17.39		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,17.39 लाख की अतिरिक्त निधियां दोषी किसानों द्वारा समस्त ऋणों के भुगतान पर ब्याज अनुदान के तहत भूमि विकास बैंकों को अनुदान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान			
मू.	5,85.80	8,02.40	8,02.40
पु.	2,16.60		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,16.60 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इन्दिरा आवास योजना			
[04] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	49,62.45	67,52.60	67,51.70
पु.	17,90.15		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,90.15 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार अधिक राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[02] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	0.02	40,92.66	40,92.66
पु.	40,92.64		
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 40,92.64 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3%)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,67.24	5,23.57	5,23.57
पु.	2,56.33		
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,56.33 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[02] विशिष्ट संघटक योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	68,37.00	72,16.62	72,16.62
पु.	3,79.62		
			..
₹ 68,37.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में ग्रामीण आबादी की खुशहाली में योगदान करने हेतु स्वच्छ तथा स्वस्थ राज्य को हासिल करने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,79.62 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	10,68.93	20,94.28	20,94.28
पु.	10,25.35		
			..
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	75,71.59	1,48,34.52	1,48,34.52
अ.	53,46.02		
पु.	19,16.91		
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,42.26 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)			
मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	1,51,08.50		
पु .	2,96.39		
		1,54,04.89	1,54,04.89
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,96.39 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड			
मू .	1,65.36		
पु .	11,90.60		
		13,55.96	13,55.96
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,90.60 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रत्येक बुनकर के लिये कार्यशील पूंजी तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु ₹ 5,000 के अनुदान उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
अ .	0.06		
पु .	2,96.14		
		2,96.20	2,96.20
			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
अ .	0.06		
पु .	10,74.15		
		10,74.21	10,74.21
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,70.29 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 2,75,07.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.19 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 2,31,61.73 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,31,61.92 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 2,75,07.63 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,64.84 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 6,01.46 लाख, ₹ 11,17.83 लाख, ₹ 4,01,80.68 लाख, ₹ 1,23,83.38 लाख तथा ₹ 2,75,07.63 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 32.11 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना था।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[01] आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	18,87.60		
पु.	- 9,97.34	8,90.26	8,90.26
31 मार्च 2014 को ₹ 9,97.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			..
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
मू.	1,34.76
पु.	-1,34.76
31 मार्च 2014 को ₹ 1,34.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[01] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवन			
मू.	2,92.52	1,48.10	1,00.51
पु.	- 1,44.42		- 47.59

31 मार्च 2014 को ₹ 1,44.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि बजरी के खनन पर रोक के कारण कार्य बाधित हुआ।

₹ 47.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	3,78.76
पु.	-3,78.76
31 मार्च 2014 को ₹ 3,78.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि बजरी के खनन पर रोक के कारण कार्य बाधित हुआ।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	1,76.99	45.08	45.03 - 0.05
पु.	-1,31.91		
31 मार्च 2014 को ₹ 1,31.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) भवन			
मू.	2,60.23	2,00.29	99.01 - 1,01.28
पु.	- 59.94		
31 मार्च 2014 को ₹ 59.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,01.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) छात्रावास सुविधा			
मू.	2,90.43
पु.	-2,90.43
31 मार्च 2014 को ₹ 2,90.43 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	6,69.75
पु.	- 6,69.75
31 मार्च 2014 को ₹ 6,69.75 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पुस्तकालय भवन			
[01] भवन			
मू.	3,50.00		
पु.	- 2,88.75	61.25	61.25

₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों पर 70 पुस्तकालय भवनों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, मात्र 58 पुस्तकालय भवनों हेतु जमीन उपलब्ध हुई तथा दो कार्यकारी अभिकरणों, राजस्थान आवास विकास तथा ढांचागत लिमिटेड और निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर के साथ हुए समझौते के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान भुगतान मात्र 50 प्रतिशत किया जाना था जिसके परिणामतः 31 मार्च 2014 को ₹ 2,88.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01. जलपूर्ति

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट
संघटक योजना

(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति

[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II

मू. 17,20.00

पु. -17,20.00

31 मार्च 2014 को ₹ 17,20.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

01. जलपूर्ति

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट
संघटक योजना

(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति

[25] बोरवासा-मंडाना जल प्रदाय परियोजना

मू. 4,30.00

पु. -2,15.00

2,15.00

2,15.00

..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[29] डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	2,75.20
पु.	-2,75.20
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	3,06.78	89.92	..
पु.	-2,16.86	89.92	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज-2 (पार्ट-बी 68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	1,72.00
पु.	-1,72.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[39] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 (पार्ट-सी 473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	1,72.00
पु.	-1,72.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[41] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	3,75.00	2,00.48	..
पु.	-1,74.52	2,00.48	..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[42] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू.	1,88.00		
पु.	- 75.05	1,12.95	1,12.95
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[47] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	1,87.50		
पु.	-1,59.39	28.11	28.11
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[50] नर्मदा परियोजना एल एल और एल यू (आर डी 74 पर)			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[54] नोखा-बीकानेर परियोजना (जी.एल.सी.)			
मू.	2,91.70		
पु.	- 2,87.04	4.66	4.66
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[56] इसरदा बांध का निर्माण (सिंचाई विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,00.00		
पु.	- 3,00.00

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 25,47.06 लाख का प्रावधान मुख्यतः कार्यों के निष्पादन कम/न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	35,78.50		
पु.	- 2,13.50	33,65.00	33,60.67
			- 4.33
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[03] जयपुर-बीसलपुर जल प्रदाय परियोजना			
मू.	1,72.00		
पु.	-1,55.33	16.67	16.67
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[09] जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन पोषित परियोजनाएं			
मू.	86.00		
पु.	- 81.83	4.17	4.17
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	22,99.80		
पु.	-12,66.60	10,33.20	10,33.20
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[16] डीग जलप्रदाय योजना			
मू.	86.00		
पु.	- 86.00	..	- 48.63
			- 48.63

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[21] देवास जल प्रदाय योजना फेज-II (शहरी)			
मू.	3,87.00		
पु.	-1,93.50	1,93.50	1,93.50
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[26] चंबल-बूंदी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	3,44.00		
पु.	-1,31.60	2,12.40	2,12.40
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[30] 200 एमएलडी जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	5,84.80		
पु.	- 3,32.80	2,52.00	2,52.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	8,58.00		
पु.	- 3,95.00	4,63.00	4,62.95
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[35] तेरहवां वित्त आयोग			
मू.	7,30.60		
पु.	-1,25.60	6,05.00	6,03.49

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[36] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/ स्थापना/संचालन एवं संधारण कार्य			
मू.	3,43.20		
पु.	- 3,26.28	16.92	16.92
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[38] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू.	1,88.00
पु.	-1,88.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[41] इसरदा बांध का निर्माण (सिंचाई विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,00.00
पु.	- 3,00.00

उपरोक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 37,96.04 लाख का प्रावधान जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन कम/न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

शीर्ष "4215-01-789(02)[16]" के अंतर्गत ₹ 48.63 लाख का ऋण व्यय मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के विपरीत बैंक गारन्टी के नकदीकरण के कारण था।

01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना, फेज द्वितीय			
मू.	17,20.00
पु.	-17,20.00

31 मार्च 2014 को ₹ 17,20.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन			
[01] विकास कार्य (स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से)			
मू.	68,83.40		
		16,83.04	16,83.04
पु.	- 52,00.36		..
31 मार्च 2014 को ₹ 52,00.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	1,87.50		
		4.38	4.38
पु.	-1,83.12		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,83.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अग्निशमन सेवाएं			
मू.	1,60.68		
	
पु.	-1,60.68		..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,60.68 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास योजना			
मू.	35,16.43		
		25,21.13	25,21.13
पु.	- 9,95.30		..
31 मार्च 2014 को ₹ 9,95.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) कन्या के छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 2,95.62	34.15	34.15	..
पु. - 2,61.47			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 7,21.83	1,96.24	1,96.26	+ 0.02
पु. - 5,25.59			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 7,87.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 5,33.93	3,56.09	3,56.11	+ 0.02
पु. - 1,77.84			
31 मार्च 2014 को ₹ 1,77.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) नाबार्ड सहायता योजना अन्तर्गत छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 12,02.91	3,15.01	3,11.56	- 3.45
पु. - 8,87.90			
31 मार्च 2014 को ₹ 8,87.90 लाख का प्रावधान मुख्यतः नाबार्ड से कम सहायता प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 13,19.73	3,08.98	3,08.98	..
पु. - 10,10.75			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,05.59
पु.	-1,05.59
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 11,16.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.00	23.00	..
पु.	-1,77.00	23.00	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.00
पु.	-2,00.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00	8.14	..
पु.	- 91.86	8.14	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 4,68.86 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	21,96.00	9,91.91	..
पु.	-12,04.09	9,91.91	..
31 मार्च 2014 को ₹ 12,04.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) वन विभाग के माध्यम से			
[01] नदी घाटी पर कार्य योजना			
मू.	82.50
पु.	- 82.50
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) वन विभाग के माध्यम से			
[02] बनास नदी पर कार्य योजना			
मू.	4,05.30
पु.	- 4,05.30
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) वन विभाग के माध्यम से			
[03] लूनी नदी पर कार्य योजना			
मू.	1,10.50
पु.	-1,10.50
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 5,98.30 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक			
मू.	3,97.04	3,03.29	3,03.15
पु.	- 93.75		- 0.14
31 मार्च 2014 को ₹ 93.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नाबार्ड पोषित जल संग्रहण परियोजना			
मू.	4,00.00	64.14	64.14
पु.	-3,35.86		..
31 मार्च 2014 को ₹ 3,35.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	68,80.00	68,80.00	67,76.80
₹ 1,03.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 29,80.80	24,84.00	24,84.00	..
पु. - 4,96.80			
31 मार्च 2014 को ₹ 4,96.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[03] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02)[31] से			
मू. 25,92.70	17,99.09	17,99.09	..
पु. - 7,93.61			
31 मार्च 2014 को ₹ 7,93.61 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया जिसके परिणामतः कम आनुपातिक व्यय स्थानान्तरित किये गये।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर के माध्यम से			
[02] आनुपातिक व्यय का द्वितीय चरण (02)[30] से स्थानान्तरित			
मू. 10,00.48	8,86.72	8,86.72	..
पु. - 1,13.76			
31 मार्च 2014 को ₹ 1,13.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू. 47,54.52	29,53.92	29,55.51	+ 1.59
अ. 0.01			
पु. - 18,00.61			
₹ 18,00.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,53.00
पु.	-1,53.00
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	3,74.00	2,80.50	..
पु.	- 93.50	2,80.50	..
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,70.00
पु.	-1,70.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 4,16.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] लघु सिंचाई परियोजनायें			
मू.	6,48.90	5,41.85	- 6.64
पु.	-1,07.05	5,35.21	- 6.64
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[05] त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
मू.	2,55.00	3.61	- 0.07
पु.	-2,51.39	3.54	- 0.07

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 3,58.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "4702-789 (02) [01] " के अन्तर्गत ₹ 6.64 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम			
[01] लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुर्नवास			
मू.	41,25.82		
		23,70.24	23,58.94
पु.	- 17,55.58		- 11.30

31 मार्च 2014 को ₹ 17,55.58 लाख का प्रावधान कार्यों की समाप्ति में देरी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 11.30 लाख की अंतिम बचत स्वीकृत कार्यों पर व्यय टेण्डर लागत की अपेक्षा कम होने के कारण थी।

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर-अजमेर)			
मू.	1,80.86		
		64.91	64.87
पु.	-1,15.95		- 0.04

₹ 1,80.86 लाख का प्रावधान 14000 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, किसानों के साथ खाला निर्माण हेतु विवाद होने के कारण कार्य बाधित होने से मात्र 3990 हेक्टेयर क्षेत्र में ही निर्माण कार्य निष्पादित हुआ। इसके परिणामतः 31 मार्च 2014 को ₹ 1,15.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[01] अमर सिंह जस्साना में भूमि विकास कार्य			
मू.	2,20.00		
		18.50	14.80
पु.	- 2,01.50		- 3.70

31 मार्च 2014 को ₹ 2,01.50 लाख का प्रावधान मुख्यतः परियोजना में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के एम.ओ.यू. के स्वीकृत न होने तथा राज्य सरकार द्वारा तय दर (₹ 22000 प्रति हेक्टेयर) से वास्तविक निर्माण दरों के अधिक होने के कारण वाटर कोर्सेस के लक्ष्य से कम निर्माण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	2,20.00		
		36.60	36.60
पु.	- 1,83.40		..

31 मार्च 2014 को ₹ 1,83.40 लाख का प्रावधान मुख्यतः परियोजना में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के एम.ओ.यू. के स्वीकृत न होने तथा राज्य सरकार द्वारा तय दर (₹ 22000 प्रति हेक्टेयर) से वास्तविक निर्माण दरों के अधिक होने के कारण वाटर कोर्सेस के लक्ष्य से कम निर्माण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	12,62.24
पु.	-12,62.24
31 मार्च 2014 को ₹ 12,62.24 लाख का समस्त प्रावधान भाखड़ा नहर परियोजना में खाला के निर्माण के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,16,90.24	1,26,98.40	1,26,98.40
पु.	- 89,91.84		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	87,51.60	55,94.56	55,94.56
पु.	-31,57.04		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,21,48.88 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	39,78.23	24,79.18	24,79.18
पु.	- 14,99.05		..
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,02.20	8.91	8.91
पु.	-1,93.29		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 16,92.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण			
मू.	2,86.89		
पु.	-1,72.37	1,14.52	1,14.52
			..
31 मार्च 2014 को ₹ 1,72.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	41,28.85		
पु.	- 26,63.03	14,65.82	14,65.83
			+ 0.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना			
मू.	16,83.10		
पु.	-16,83.10
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 43,46.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	8,39.40		
पु.	- 6,81.48	1,57.92	1,57.92
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[07] मिसिंग लिंक परियोजना द्वितीय (अष्टदशम्)			
मू.	91,80.53		
अ.	27,09.74	1,15,84.01	1,15,83.98
पु.	- 3,06.26		- 0.03
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	27,88.12		
पु.	- 9,21.48	18,66.64	18,89.57
			+ 22.93

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,53.01
पु.	- 1,53.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण			
मू.	2,86.89	0.62	0.62
पु.	-2,86.27		..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) आर्थिक महत्व की सड़कें			
मू.	4,69.98
पु.	- 4,69.98
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें			
मू.	22,83.19	7,28.34	7,28.33
पु.	-15,54.85		- 0.01

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 43,73.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "5054-04-789 (05)" के अंतर्गत ₹ 22.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	0.01	1,65.04	1,65.04
पु.	1,65.03		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	1,37.05		
		1,37.06	1,37.06
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,02.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की अभिवृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	90,22.78		
पु.	6,77.22		
		97,00.00	96,49.35
			- 50.65
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[05] चुरु-झुझुनु जल प्रदाय परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)			
मू.	6,86.40		
पु.	7,11.09		
		13,97.49	13,97.44
			- 0.05
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[11] कोलायत तहसील जल प्रदाय परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	1,95.73		
		1,95.74	1,95.73
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[16] तिवरी-मथानिया-भोपालगढ़ जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	4,30.00		
पु.	1,17.00		
		5,47.00	5,46.93
			- 0.07

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जल प्रदाय परियोजना			
मू.	7,74.00		
पु.	4,11.88	11,85.88	11,85.88
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[24] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय योजना			
मू.	17,20.00		
पु.	1,99.80	19,19.80	19,19.80
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	12,90.00		
पु.	4,13.55	17,03.55	17,03.50
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[30] फ्लोराईड कंट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	4,93.64		
पु.	4,61.14	9,54.78	9,54.78
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[32] राजगढ़ बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	1,04.64		
पु.	4,94.58	5,99.22	5,98.95
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[34] नागौर लिफ्ट केनाल फेज-प्रथम			
मू.	0.01		
पु.	3,69.99	3,70.00	3,70.00

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[35] नावां के 72 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	0.01		
		3,75.00	3,75.00
पु.	3,74.99		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[37] नर्मदा परियोजना (डी आर)			
मू.	0.01		
		2,52.00	2,52.00
पु.	2,51.99		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[40] जवाई-पाली-जोधपुर पाईप लाईन परियोजना फेज-2 (क्लस्टर परियोजना)			
मू.	0.01		
		1,35.00	1,35.00
पु.	1,34.99		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना, चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू.	5,00.00		
		9,23.20	9,23.20
पु.	4,23.20		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[46] बीसलपुर-दूदू परियोजना, सांभर तहसील की ढाणियाँ			
मू.	2,50.00		
		4,14.00	4,14.00
पु.	1,64.00		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[48] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	5,62.50		
पु.	1,66.50	7,29.00	7,28.89
			- 0.11
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[49] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	1,88.00		
पु.	2,62.18	4,50.18	4,50.17
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[51] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	7,00.00		
पु.	1,00.60	8,00.60	8,00.60
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू.	2,91.70		
पु.	4,58.21	7,49.91	7,49.91
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[55] नर्मदा परियोजना, क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	1,87.50		
पु.	1,43.79	3,31.29	3,31.28
			- 0.01

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[57] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
अ.	0.01		
पु .	6,67.26	6,67.27	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्मदा से शिव तहसील, जिला बाड़मेर जल पूर्ति परियोजना (205 गांव)			
अ.	0.01		
पु .	16,73.42	16,73.43	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[59] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से बावड़ीकलां खारा एवं जलोड़ा जल पूर्ति परियोजना			
अ.	0.01		
पु .	2,33.09	2,33.10	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
अ.	0.01		
पु .	8,32.87	8,32.88	..

उपरोक्त चौबीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,39.07 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की अभिवृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

शीर्ष "4215-01-789(01)[01]" के अंतर्गत ₹ 50.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना			
मू.	35.71		
पु.	1,22.68	1,58.39	1,58.39
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[14] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	4,30.00		
पु.	11,15.26	15,45.26	15,45.26
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[17] बौराबास-मंडाना जल प्रदाय योजना			
मू.	0.01		
पु.	98.99	99.00	99.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[24] राजगढ़-बूंगी जल प्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	3,59.99	3,60.00	3,60.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	12,05.99	12,06.00	12,05.99
			- 0.01

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[28] चूरु-झुंझुनू जल प्रदाय परियोजना फेज-द्वितीय (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	6,29.99	6,30.00	6,30.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[29] पोकरण-फलसूंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	16,55.46	16,55.47	16,55.47
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[31] शहरी जलप्रदाय योजना जालौर (शहरी)			
मू.	1,72.00		
पु.	98.00	2,70.00	2,70.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	86.00		
पु.	2,47.34	3,33.34	3,33.34
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना क्लस्टर			
मू.	5,62.50		
पु.	2,68.86	8,31.36	8,31.36

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[42] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर- झुंझुनू-खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
अ.	0.01		
पु.	12,63.84	12,63.25	- 0.60

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70,66.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यो की अभिवृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजीव आवास योजना			
मू.	1,71.54		
अ.	15,08.48	21,32.93	..
पु.	4,52.91		

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,52.91 लाख की अतिरिक्त निधियां *स्लम मुक्त भारत योजना के लिए राजीव आवास योजना* के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	0.02		
पु.	7,76.23	7,76.25	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,76.23 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड ₹ 4.50 लाख प्रत्येक भवन के अनुसार आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी।

4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वन संपदा का संरक्षण			
मू.	3,75.36		
पु.	1,06.32	4,81.68	+ 41.66

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,06.32 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 41.66 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	10,96.66	24,03.32	24,35.24
पु.	13,06.66		
			+ 31.92
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,06.66 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 31.92 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	48.60	1,72.15	1,96.20
पु.	1,23.55		
			+ 24.05
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,23.55 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 24.05 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	6,02.00	14,62.00	14,62.00
पु.	8,60.00		
			..
31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] मुख्य नहर (0 कि.मी. से 74 कि.मी. तक)			
पुनर्जीविकरण/उन्नयन/नवीनीकरण			
एवं आधुनिकीकरण			
अ.	0.01	4,80.34	4,80.34
पु.	4,80.33		
			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधान (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] मुख्य नहर (कि.मी. 74 से 189 कि.मी. तक)			
पुनर्जीविकरण/उन्नयन/नवीनीकरण			
एवं आधुनिकीकरण			
अ .	0.01		
पु .	1,32.41		
		1,32.42	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,12.74 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. सोम-कमला-अंबा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
अ .	0.02		
पु .	1,88.88		
		1,85.65	- 3.25
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	3,11.00		
पु .	1,10.36		
		4,21.36	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,99.24 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू .	17,60.00		
पु .	1,03.35		
		18,63.35	..

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,03.35 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	2,44.81		
पु.	10,29.28	12,74.09	+ 0.01
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	25,27.57		
पु.	3,83.78	29,11.35	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[05] सड़क उन्नयन परियोजना (षष्टदशम्)			
मू.	95.90		
पु.	2,48.53	3,44.43	- 0.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[06] मिसिंग लिंक परियोजना (सप्तदशम्)			
मू.	1,62.14		
पु.	2,95.22	4,57.36	- 0.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[08] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू.	42,07.74		
अ.	30,05.53		
पु.	27,73.57	99,86.84	- 0.02

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
अ. 0.01	11,79.99	11,79.99	..
पु. 11,79.98			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
अ. 0.01	94.40	94.40	..
पु. 94.39			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 20,83.39	23,21.47	23,23.30	+ 1.83
पु. 2,38.08			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 7,81.27	8,70.55	8,71.24	+ 0.69
पु. 89.28			
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,32.11 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की अभिवृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[18] ई-सेक्रेट्रेट			
मू. 63.43	1,72.50	1,72.50	..
पु. 1,09.07			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[20] ब्लाक स्तर पर विडियो कान्फ्रेंस			
अ .	0.01		
पु .	3,00.15	3,00.16	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजकीय विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी (बैकएण्ड)			
मू .	0.01	2,18.87	..
पु .	2,18.86	2,18.87	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,28.08 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान में कमी/वृद्धि, अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू .	3,71.90	1,53.93	+ 57.66
पु .	-2,17.97	2,11.59	

₹ 2,17.97 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 57.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(02) औषधालय तथा सहायता चौकियां

[90] निर्माण कार्य

मू	2,07.69	81.30	3,25.73	+ 2,44.43
पु .	-1,26.39			

₹ 1,26.39 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 2,44.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या 051 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	0.01		
पु.	3,09.69	3,09.70	74.81 - 2,34.89

31 मार्च 2014 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,09.69 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 2,34.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2014)।

(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम		बजट अनुमान	
		राजस्व	पूंजी
		(₹ सहस्र में)	
009.	वन	1,08,01	..
010.	विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012.	अन्य कर	35,54	..
014.	बिद्री कर	9,01,77	..
015.	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016.	पुलिस	30,00	..
019.	लोक निर्माण कार्य	2,70,50,85	..
021.	सड़कें एवं पुल	81,98,06	3,19,60,56
022.	क्षेत्र का विकास	..	32,54,04
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027.	पेय जल योजना	2,47,60,87	2,19,37,03
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	75,01	67,61,55
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
	<i>दत्तमत</i>	50,86,47	..
	<i>प्रभारित</i>	10	..
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	6,95,33,00	..
035.	विविध सामुदायिक एवं		
	आर्थिक सेवाएं	..	38,74,83
043.	खनिज	5	..
046.	सिंचाई	2,14,45,76	1,38,04,17
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट		
	संघटक योजना	..	71,57,90
	दत्तमत	15,72,25,44	8,87,50,08
	कुल वसूलियां		
	<i>प्रभारित</i>	10	..

शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
2,31,43	..	+ 1,23,42	..
..	..	- 1	..
27,57	..	- 7,97	..
4,09,20	..	- 4,92,57	..
..	..	- 3	..
27,74	..	- 2,26	..
2,69,95,58	..	- 55,27	..
76,44,80	3,50,36,77	- 5,53,26	+ 30,76,21
..	15,76,69	..	- 16,77,35
..	..	- 1	..
3,17,36,44	1,44,41,13	+ 69,75,57	- 74,95,90
..	57,42,74	- 75,01	- 10,18,81
47,13,77	..	- 3,72,70	..
8	..	- 2	..
9,13,65,74	..	+ 2,18,32,74	..
..	38,74,82	..	-1
13,64,68	..	+ 13,64,63	..
1,79,89,33	1,41,46,60	- 34,56,43	+ 3,42,43
..	43,91,65	..	- 27,66,25
18,25,06,28	7,92,10,40	+ 2,52,80,84	- 95,39,68
8	..	- 2	..

© भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
2014

www.cag.gov.in

विनियोग लेखे

*

2013-2014

*

राजस्थान सरकार